



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

का

निष्पादन प्रतिवेदन

-लेखा द्वारा जवाबदेही को सुनिश्चित करना-

2006-07



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विहंगावलोकन



विभाग के लिए निश्चित रूप से यह एक और उत्कृष्ट वर्ष रहा और इस रिपोर्ट में अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान संगठनात्मक निष्पादन का सार शामिल है। यह बड़े संतोष की बात है कि इस अवधि के दौरान हम लेखाओं की गुणवत्ता और सामयिकता दोनों का सुधार करने तथा लेखापरीक्षा पर किए गए व्यय के लिए अच्छा प्रतिमूल्य मुहैया कराने में समर्थ हुए। सरकार के लेखापरीक्षक के रूप में हमने लेखापरीक्षा पर खर्च किए गए प्रत्येक रूपए के लिए अधिक भुगतान/कम वसूली से सम्बन्धित, 23 रूपये की वसूली का अंशदान दिया। हमारी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कुल 17,007 करोड़ रूपये की वसूलियां प्रारम्भ की गईं जबकि लेखापरीक्षा पर कुल व्यय 747 करोड़ रूपये था।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान हमने पूरे देश और विदेश में संघ, राज्य और संघ शासित सरकारों के 63,000 से अधिक लेखापरीक्षिती कार्यालयों में कार्यस्थल लेखापरीक्षा की और 10.7 मिलियन वाउचरों और लेनदेनों की लेखापरीक्षा जांच की। विभाग ने मेरे लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी विभागों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, निकायों और प्राधिकरणों के कार्यस्थल चक्रीय लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर 54,000 से अधिक लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए।

2006-07 के दौरान हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 तथा संघशासित क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत संसद और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए 98 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए। इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिए जाने तक कुल 97 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-41 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 के दौरान तथा 56 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उसके पश्चात संसद अथवा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डलों को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

हमने अपने कार्य की दो मुख्य धाराओं यथा नियमितता लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा का आधुनिकीकरण और सुधार करना जारी रखा। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और मानव शक्ति की तैनाती को कारगर बनाने के लिए हम जोखिम आधारित लेखापरीक्षा योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। नियमितता लेखापरीक्षा- वित्तीय और अनुपालन दोनों लेखापरीक्षा, सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक निकाय लेखाओं का सही रख-रखाव करते हैं और धन जो संसद और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विधान मंडलों ने उन्हें दिया है, के लिए पूर्ण लेखा भेजते हैं। नियमितता लेखापरीक्षा सभी पणधारियों को स्वतंत्र आश्वासन भी प्रदान करती है कि लेखापरीक्षित प्राधिकरणों ने विधान मंडल के उद्देश्य तथा कार्यकारी के आदेशों का अनुपालन किया है। दूसरी ओर निष्पादन लेखापरीक्षा सरकारी संसाधनों के उपयोग से प्राप्त मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता की जांच करती है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए संसद और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विधान मंडलों को प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 405 प्रकरणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा और 41 प्रकरणों पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा शामिल थी। 405 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रकरणों में से 17 पर्यावरणीय विषयों पर थे। हमने पाया कि हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, विशेषकर एकल प्रतिवेदन जो 1 अप्रैल 2006 से अलग क्रम में जारी किए जा रहे हैं, की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक बनी हुई है। मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता है कि संसद की लोक लेखा समिति ने निष्पादन लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे द्वारा की गई पहल की काफी प्रशंसा की है।

हमने विश्व बैंक द्वारा निधिबद्ध क्षमता निर्माण परियोजना के अन्तर्गत अपने वित्तीय लेखापरीक्षा कार्य के सिद्धांतों और कार्यविधियों को विश्व स्तरों पर बँच मार्क करने के लिए एक परियोजना भी प्रारम्भ की है। इस परियोजना के अन्तर्गत इस विभाग से चयनित अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षण दिया गया।

भारत के संविधान के अन्तर्गत, यद्यपि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं, तथापि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 19 राज्यों द्वारा सरकार के तृतीय सोपान की लेखापरीक्षा हेतु प्रशिक्षण, मार्गनिर्देश और सहायता (टी जी एस) मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टी जी एस योजना के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के अतिरिक्त हमने इस वर्ष तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के विधान मंडलों को प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं।

सार्वजनिक लेखापरीक्षा में कुछ अन्य क्षेत्रों, जिनको विभाग में प्राथमिकता दी जा रही है, में (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत विनियम बनाना; (ख) धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की पहचान, रिपोर्टिंग, और अनुवर्तन पर अधिक ध्यान देना; तथा (ग) सार्वजनिक लेखापरीक्षा के लिए गुणवत्ता प्रबन्धन ढाँचे का कार्यान्वयन शामिल है।

जहां तक राज्य लेखाओं के संकलन का संबंध है, हमारा मुख्य उद्देश्य लेखाओं की सामयिकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसे वर्ष के दौरान पर्याप्त रूम में प्राप्त कर लिया गया था।

हम अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा के अग्रभाग पर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के शासी बोर्ड के एक सदस्य हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वर्ष 2009 तक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन (एसोसाई) के महासचिव भी है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इंटोसाई की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं तथा वित्त और प्रशासन पर इंटोसाई की स्थाई समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। हमने सार्वभौम कार्यचालन ग्रुप के विचार विमर्श और राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षकों के सम्मेलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन और विश्व पर्यटन संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक हैं।

वर्ष के दौरान जो सफलता हमने प्राप्त की वह मुझे विभाग के वरिष्ठ प्रबन्धन से मिली प्रचुर सहायता और सहयोग तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण एवं व्यावसायिकत्व के कारण ही संभव हो पाई है।


वि. गौ. कौल
(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

विषय-वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
-	मुख्य बातें	5
-	दूरदर्शिता और लक्ष्य	7
1	फोकस के क्षेत्र	9
2	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	11
3	सार्वजनिक जवाबदेही की प्रक्रिया - लेखापरीक्षा के प्रकार - लेखापरीक्षा में कार्य का परिमाण - लेखाओं का प्रमाणीकरण - लेखापरीक्षा में नया विशिष्टीकरण - सरकार की प्रभावनीयता - लो ले स/लो उ स द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच	17
4	लेखापरीक्षा का प्रभाव - नीति, कानून, नियमों में परिवर्तन तथा लेखापरीक्षा के बताने पर अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन	24
5	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संघ सरकार - संघ सरकार - राज्य सरकार - स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा	33
6	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग - संगठनात्मक ढांचा - भा ले एवं ले प वि का बजट - लेखापरीक्षा की लागत - मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण - प्रकाशन एवं नियम पुस्तिकाएं	53
7	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	68
8	हम अग्रसर हैं.....	73
9	लेखा और हकदारी कार्य	74
	अनुबंध	
	I. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय	78
	II. संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किये गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सूची	84
	III. विभिन्न संघ मंत्रालयों/ विभागों से प्रतीक्षित कार्सवाई टिप्पणियां	89
	IV. राज्य सरकारों से प्रतीक्षित कार्सवाई टिप्पणियां	91
	V. शब्दावली	92

टिप्पणी: अध्याय 2 से 7 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सुसंगत सूचना दी गयी है।



मुख्य बातें

- हमने सत्त्वों के निष्पादन से अधिकतम मूल्यवर्धन द्वारा मार्गदर्शित, जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा आयोजना पर और यथा समय और अर्थपूर्ण लेखा और हकदारी सेवाओं पर अपना बल देना जारी रखा।
- 2006-07 के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने संसद को प्रस्तुत करने के लिए 28 तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडलों को प्रस्तुत करने के लिए 70 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए जो वित्तीय वर्ष 2005-06 से संबंधित थे।
- वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, जो संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत किए गए, में 405 विषयों पर निष्पादन लेखापरीक्षा और 3,252 लेन देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ, लेखाओं पर मत/टिप्पणियों के अलावा दिए गए।
- हमने निर्णायक महत्त्व से संगत, 41 सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और 17 पर्यावरण लेखापरीक्षा की।
- नि.म.ले.प. द्वारा निर्धारित प्रतिमान/मापदंड के आधार पर परिकल्पित नियमितता (अनुपालन) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल धन मूल्य 8,505 करोड़ रूपए की बड़ी राशि थी।
- हमने अपने लेखापरीक्षा कार्य द्वारा पर्याप्त धन मूल्य की उगाही की। लेखापरीक्षा कार्यों पर खर्च किए गए प्रत्येक रूपए के लिए हमने लेखापरीक्षा के कहने पर की गयी वसूलियों के रूप में 22.77 रूपए की उगाही की। वर्ष के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा कुल 17,006.83 करोड़ रूपए के अधिक भुगतान/कम वसूलियां हमारे कहने पर स्वीकार की गयी।
- हमने वर्ष के दौरान 20,850 मामलों में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/मत जारी किए।
- सरकारी कम्पनियों की हमारी अनुपूरक लेखापरीक्षा और सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा के कारण 45 कम्पनियों/निगमों के लेखाओं में संशोधन हुआ जिसके कारण 1,727.43 करोड़ रूपए के सूचित लाभ/हानि में वृद्धि/कमी हुई। इसके अतिरिक्त हमने लाभ/हानि और परिसम्पत्तियां/देयताएं क्रमशः 7,430 करोड़ रूपए और 35,908 करोड़ रूपए की राशि तक कम/अधिक इंगित की।
- हमने केन्द्रीय लेखापरीक्षा में कम से कम 1.07 करोड़ वाउचरों की लेखापरीक्षा की और कुल 40,914 लेखापरीक्षा निरीक्षण टिप्पणियां जारी कीं।
- हमारी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सक्रिय सम्बद्धता जारी रही। नि.म.ले.प. का सू प्रौ लेखापरीक्षा पर इन्टोसाई संचालन समिति के अध्यक्ष, इन्टोसाई के अधिशासी बोर्ड के सदस्य और एसोसाई के महासचिव के रूप में कार्य करना जारी है। वे इन्टोसाई की वित्त और प्रशासन की स्थायी समिति के सदस्य भी थे।
- भारत के नि.म.ले.प. 2006-07 के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन; विश्व स्वास्थ्य संगठन; अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और विश्व पर्यटन संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक थे।
- अपनी लेखापरीक्षण तकनीकों और क्रियाविधियों के अनवरत उन्नयन के अलावा हमने अपनी लेखाकरण सेवाओं में और सुधार करने पर भी पर्याप्त बल दिया। सामान्य भविष्य निधि लेखाओं और पेंशन प्राधिकार कार्य के कम्प्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कई राज्यों में इन्टरएक्टिव वाइस रिसर्पॉस सिस्टम प्रचालन में था।

- पेंशनभोगियों के मामलों पर कार्रवाई करने के विचार से हमने वर्ष के दौरान 19 “पेंशन अदालतें” आयोजित कीं और इन “अदालतों” में अभ्यावेदनों के आधार पर 1,930 मामलों का निपटान किया।
- हमने राज्यों के मासिक लेखाओं और वार्षिक वित्त लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता को उच्चतम प्राथमिकता देना जारी रखा और समय के अनुसार उनको पूरा किया।
- हमने बहुत निम्न लागत पर अपने लेखापरीक्षा कार्य द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य प्राप्त किया। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित प्रत्येक एक लाख के लेन देनों पर हमने मात्र 41 रुपए खर्च किए जो कि पूर्व वर्ष के 45 रुपये से भी कम था।

दूरदर्शिता

“अभिशासन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा और लेखाकरण में उत्कर्षता को प्रोन्नत करना”।

लक्ष्य

भारत के संविधान तथा अधिनियमों और साथ ही साथ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में लेखापरीक्षा करके और राज्यों में लेखाकरण सेवाएं प्रदान करके संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को बढ़ाना। जहां कहीं सौंपा जाए वहां पंचायती राज संस्थाओं सहित स्थानीय निकायों को उनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन करना।



फॉर्कॉस के क्षेत्र

विशिष्टता के साथ अपनी भूमिका निभाना हमारा प्रयास रहा है जिसमें अच्छी लेखापरीक्षा आयोजना, व्यापक और विश्वव्यापी निर्देश चिन्हित (बैंच मार्क की गई) लेखापरीक्षा क्रियाविधियां और लेखाकरण सेवाओं सहित अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिवेदन शामिल हैं। फॉर्कॉस के कुछेक विशेष क्षेत्र प्रतिवर्ष अवधारित किए जाते हैं और उन पर विशेष बल दिया जाता है ।

लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जोखिम आधारित लेखापरीक्षा आयोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसे बजट और व्यय के विस्तृत विश्लेषण द्वारा दबाव क्षेत्रों (श्रस्ट एरिया), प्रमुख परियोजनाओं, प्रमुख योजनागत स्कीमों और महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों का पता लगाकर और सुदृढ़ किया जाएगा। श्रमबल का नियोजन जोखिम आधारित आयोजना के आधार पर सुकर बनाया जाएगा।

वित्तीय (साह्यांकन) लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे प्रयास में आर टी आई/आर टी सी में इस विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा और सू प्रौ लेखापरीक्षा के लिए अपनी क्षमता को सुदृढ़ करना जारी रखा। 2006-07 के दौरान हमने 16 सू प्रौ लेखापरीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 333 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमने अधिप्राप्ति की लेखापरीक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा, ठेका प्रबन्धन की लेखापरीक्षा और अलग-अलग निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजनों पर प्रैक्टिस गाईडस जारी किए। इसके अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षण में साह्य एकत्र करने, विश्लेषण और मूल्यांकन तकनीकों पर भी एक अनुपूरक मार्गनिर्देश जारी किया गया। विभाग में निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य की मानीटर्सिंग को सुकर बनाने के लिए एक डटाबेस तैयार किया गया है और कार्यालय के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है।

भा ले ले प वि के अप्रत्यक्ष कर और रेलवे स्कन्धों के लिए वर्क फ्लो आटोमेशन प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया है। कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए वर्क फ्लो आटोमेशन के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, अब मुख्यालय में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसंस्कृत किये जाते हैं।

चयनित कार्यालयों में संशोधित प्रतिमानों के साथ में इष्टतम कुल प्रचालन लागत और सू प्रौ संसाधन के उपयोग सहित, सस्टेनेबिल और दक्ष कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए विज़नेस प्रोसेस रीड्जीनियर्सिंग (बी पी आर) पर एक अध्ययन पूरा किया गया और सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुवर्तन में "वेतन" और "आर्थिक सहायता" पर व्यय सम्बन्धी सूचना का विवरण देने वाले दो अनुलग्नक, पेंशनभोगियों की संख्या पर एक पादटिप्पणी के साथ, 2005-06 के वित्त लेखाओं में संलग्न किए गए।

पेंशनों की मानीटर्सिंग और प्राधिकार से सम्बन्धित एक नये पेंशन साफ्टवेयर की जांच की गयी और महाशास्त्र में इसे कार्यान्वित किया गया। इस साफ्टवेयर को अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के कार्यालय में सरकारी लेखाकरण मानक परामर्शी बोर्ड (गसब) ने लेखाकरण के नकद आधार से उपचित आधार में परिवर्तन का मार्गचित्र अनुमोदित किया और भारत सरकार को उसके विचारार्थ भेजा।

राज्य सरकारों को नकद लेखा प्रणाली से उपचित लेखाप्रणाली अपनाने में गसब के प्रयास से 19 राज्य सरकारों सिद्धान्त रूप से सहमत हो गयीं। ग्यारह (11) राज्यों में सेमिनार आयोजित किए गए जिससे राज्य सरकारों इस विषय पर पायलट स्टडी करने को तैयार हो गयीं।

दो, इन्डियन गर्वनेन्ट अकाउन्टिंग स्टैंडर्ड्स यथा गारंटीयों पर आई जी ए एस 1 और सहायता अनुदान पर आई जी ए एस 2 का गसब द्वारा अनुमोदन किया गया और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा।

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा) को आई टी सिक््योरिटी के लिए बी एस 7799 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया जो विश्वव्यापी उत्तम पद्धतियों के साथ आईसीसा में सू प्रौ के संरेखण को सुनिश्चित करने में आगे तक जाएगा। वर्ष के दौरान आईसीसा को "लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता का प्रबन्धन करने" पर एक असोसाई सेमीनार को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेमीनार में विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। विषयवस्तु के दो विशेषज्ञ थे- एक जी ए ओ, अमरीका से और अन्य साई, भारत से।

असोसाई के महासचिव और "परिवेश लेखापरीक्षा मार्गनिर्देशों" पर 8वीं असोसाई अनुसंधान परियोजना के एक सदस्य के रूप में भारत अनुसंधान दल की प्रारम्भण बैठक का समन्वय कर रहा है और इस पर कार्य कर रहा है। "परिवेश लेखापरीक्षा मार्गनिर्देशों" पर 8वीं असोसाई अनुसंधान परियोजना के मार्गचित्र को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रारम्भण बैठक दिल्ली में आयोजित की गयी।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए लेखापरीक्षा परिणामों की बेहतर संसूचना के लिए भा ले ले प वि की एक व्यापक संसूचना नीति तैयार की गयी है। यह सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर निष्पादन और कार्यान्वयन के बारे में बेहतर अभिज्ञ होने और बेहतर जानकारी रखने के लिए पणधारियों, मीडिआ और जनता में बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई रूचि का ध्यान रखने की दृष्टि से है।

लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करने और उस पर आश्वासन प्रदान करने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान समकक्ष समीक्षा के दायरे में 21 सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय लाए गए।

अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने कर्तव्य और शक्तियाँ भारत के संविधान के भाग V के अध्याय V में अनुच्छेद 148 से 151 तथा नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जो कि संविधान के प्रावधानों से बना है, से प्राप्त करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों में निम्नलिखित की लेखापरीक्षा शामिल है :

- भारत तथा राज्य एवं विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियाँ तथा समेकित निधि से व्यय;
- किसी सरकारी विभाग में रखे गए व्यापार, विनिर्माण, लाभ तथा हानि लेखे तथा तुलनपत्र तथा अन्य सहायक लेखे;
- सरकारी कार्यालयों अथवा विभागों में रखे गए भंडारों और स्टॉक के लेखे;
- कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनियाँ;
- संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत सम्बन्धित विधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित निगम;
- संघ और राज्य सरकारों की समेकित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित प्राधिकरण और निकाय;
- कोई निकाय अथवा प्राधिकरण बेशक समेकित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित न हो परन्तु जिसकी लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई हो;
- विशेष प्रयोजनों के लिए निकायों और प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और कर्जे; और
- सौंपी गयी लेखापरीक्षा उदाहरणार्थ तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टी जी एस) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा।

लेखा कार्यालय निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार हैं :

- राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और सम्बन्धित लेखा रखना;
- राज्य सरकारों तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक लेखे तैयार करना; तथा
- राज्य सरकारों को लेखा सम्बन्धी सूचना तथा सहायता प्रदान करना।

सांविधिक उत्तरदायित्व

- संघ और राज्य सरकारी लेखाओं, व्यय तथा प्राप्तियाँ की लेखापरीक्षा-;
- संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा निधिबद्ध और/अथवा स्थापित निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा; और
- सरकारी कम्पनियाँ और निगम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नि.म.ले.प. संघ के लेखाओं से सम्बन्धित अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे और वित्त लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होता है। राज्यों¹ के लेखाओं से सम्बन्धित उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे और वित्त लेखे सम्बन्धित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्य के राज्यपाल² को प्रस्तुत किए जाते हैं।

नि.म.ले.प. सभी सांविधिक निगमों तथा स्वायत्त निकायों, जिनके वे एकमात्र लेखापरीक्षक हैं पर भी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नि.म.ले.प. संसद/राज्य विधान मंडलों और विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के एक अथवा अधिक खण्ड निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हैं:

संघ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
• सिविल ;
• स्वायत्त निकाय ;
• वैज्ञानिक विभाग ;
• रक्षा सेवाएं ;
• रेलवे ;
• प्रत्यक्षकर ;
• अप्रत्यक्ष कर; तथा
• वाणिज्यिक।

राज्य के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
• सिविल;
• राजस्व;
• वाणिज्यिक ; तथा
• स्थानीय निकाय।

लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

संवैधानिक प्रावधान

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के व्यय तथा प्राप्त की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में अपनी स्थिति तथा प्राधिकार संविधान से प्राप्त करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 149 यह निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ तथा राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसे कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित की जाए।

संविधान यह भी निर्धारित करता है कि संघ तथा राज्यों के लेखे ऐसे प्रपत्र में रखे जाएंगे जैसे कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

संसद द्वारा अधिनियमन

संविधान के अनुसूचन में संसद ने 1971³ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों को परिभाषित करते हुए विधि का अधिनियमन किया। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ संघ तथा राज्य सरकारों, उनके अधीन स्वायत्त निकायों, सरकारों से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों तथा प्राधिकरणों के व्यय, राजस्व प्राप्तियों, भण्डार तथा स्टॉक एवं सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां निर्धारित करता है।

¹ विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

² विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल हैं।

³ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (क श से श) अधिनियम 1971- 3 डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू.के.ग. गव.इन/एच

टी एम एल/अबाउट/ लीगल- डी पी सी. एच टी एमऊ.

संसद तथा राज्य विधान मण्डलों के प्रति सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के कार्यकारियों की जिम्मेवारियाँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम यह अभिनिश्चित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों तथा निगमों⁴ के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की शक्तियाँ होंगी। ये प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निगम स्थापित करने वाले अधिनियमों के अनुसूच्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है:

- सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति;
- विधि जिसके अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी, के निर्देश देना;
- लेखापरीक्षा से सम्बन्धित किसी मामले में लेखापरीक्षकों को ऐसे अनुदेश देना;
- लेखाओं की अनुपूरक अथवा नमूना जांच करना; तथा
- सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करना अथवा उन्हें पूरक करना।

अधिनियम कार्यालयों के निरीक्षण, लेखापरीक्षित सत्वों द्वारा दस्तावेजों तथा सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्राधिकार निर्धारित करता है। अधिनियम लेखापरीक्षा की विधि तथा कार्य क्षेत्र के निर्धारण में भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार प्रदान करता है।

नि.म.ले.प. का (क श से श) अधिनियम, 1971 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ तथा प्रत्येक राज्य, संघ की किसी विशेष सेवा अथवा विभाग के लेखाओं का संकलन करने तथा रखरखाव करने के लिए जिम्मेवार है। अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति/राज्यपाल उन्हें ऐसे लेखाओं के संकलन करने की जिम्मेवारी से मुक्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने संघ सरकार एवं चंडीगढ़ तथा दादर एवं नगर हवेली को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के लेखाओं के संकलन तथा रखरखाव के उत्तरदायित्व से निमलेप को मुक्त कर दिया है। जहाँ तक राज्यों का सम्बन्ध है नि.म.ले.प. द्वारा गोवा राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के लेखाओं का संकलन तथा रखरखाव करना और इसके विनियोग और वित्त लेखाओं का तैयार करना जारी है।

लेखापरीक्षण मानक

लेखापरीक्षा की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षण मानक जारी किये हैं जो व्यावसायिक क्षमता तथा नीति शास्त्र दोनों के अर्थ से भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (भा ले ले प वि) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यावसायिक व्यवहार के मानक निर्धारित करता है। यह लेखापरीक्षा के सिद्धांत तथा निम्नतम मानक भी निर्धारित करता है। मानक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ निर्धारित करने वाले अधिनियम के अनुसूच्य में हैं। यह इण्टोसाई में शामिल समकालीन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा के भी अनुसूच्य में हैं। व्यावसायिक संचालन के मानकों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षण मानक संस्थान के भीतर गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली, लेखापरीक्षा कार्य करने तथा उसकी व्यवस्था करने में लेखापरीक्षक द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्यवाहियों तथा लेखापरीक्षा के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए ढांचे का भी निर्धारण करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भा ले ले प वि द्वारा लेखापरीक्षा अपने लिए जारी किये गए मानकों के अनुसूच्य में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने स्थायी आदेश तथा अनेक मार्गनिर्देश जारी किये हैं।

स्थायी आदेश

लेखापरीक्षण मानकों तथा अपनी लेखाकरण जिम्मेवारियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने तीन स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिकाएं (एम एस ओ) नामतः (i) एम एस ओ (लेखापरीक्षा), (ii) एम एस ओ (लेखा) तथा (iii) एम एस ओ (प्रशा.) जारी की हैं।

मानक आधारित लेखापरीक्षा

- नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षण मानक वृत्तिक आचार के निम्नतम मानक निर्धारित करते हैं;
- नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यापक रेंज वाली परामर्शी व्यवस्थाएं; और
- स्थायी आदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत लेखापरीक्षा करने में मार्गदर्शन करते हैं।

⁴ संसद अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित अथवा बनाई गई विधि के अन्तर्गत निगम

स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा के सामान्य सिद्धांत तथा क्रियाविधियां, लेखापरीक्षा के परिणामों की रिपोर्टिंग करने तथा संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की तैयारी के सम्बन्ध में है। नियमपुस्तिका विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं, जैसे व्यय, प्राप्तियों, भण्डारों तथा स्टाक, वाणिज्यिक लेखाओं तथा गैर वाणिज्यिक स्वायत्त निकायों इत्यादि के लिए विस्तृत अनुदेश/जांच सूचियां प्रदान करती है। इसमें स्थापना व्यय, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, पेंशन ठेकों, निक्षेपों, सेवा भविष्य तथा अन्य निधियों, विश्व बैंक तथा अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, इसके अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, लोक निर्माण कार्य तथा वन लेखे इत्यादि की लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत विवरणों सहित प्रमाणीकरण, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अनुपूरक अनुदेश भी हैं।

स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (लेखा) में पूंजीगत तथा राजस्व के बीच लेनदेनों के वर्गीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत तथा क्रियाविधियां, कर्ज़ तथा पेशगियों, निक्षेपों, लोक निर्माण कार्य, वन, भविष्य निधि इत्यादि के लेखाकरण की क्रियाविधि, इसके अतिरिक्त मासिक लेखाओं तथा वित्त एवं विनियोग लेखाओं के फार्म तथा विषय वस्तु शामिल हैं।

स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासन) में संगठनात्मक ढांचा तथा सेवा सम्बन्धी मामले, विभाग के भीतर विभिन्न संवर्ग, भर्ती नियम, पदोन्नतियां, विभागीय परीक्षाएं, अधीनस्थ कार्यालयों की वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां इत्यादि दी गई हैं।

मार्गनिर्देश तथा व्यवहार दिव्यगियां

व्यापक परिवर्तनीय, जटिल तथा विशाल लेखापरीक्षा किये जाने वाले वातावरण को देखते हुए नि.म.ले.प. ने लेखापरीक्षा के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् सिविल, वाणिज्यिक, रक्षा, डाक एवं दूरसंचार तथा रेलवे इत्यादि के लिए विस्तृत विषय तथा तकनीकी विशेष मार्गनिर्देश जारी किये हैं। इन मार्गनिर्देशों में अधिनियम के अनुसरण में तथा लेखापरीक्षा करने के लिए स्थापित लेखापरीक्षण मानकों तथा अधिकारियों तथा स्टाफ की व्यावसायिक क्षमता के विकास के लिए क्रमशः क्रियाविधि/प्रणाली तथा तकनीकें दी गई हैं।

परामर्शी क्रियाविधि

यद्यपि लेखापरीक्षा भारत के संविधान तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए अधिनियम की पृष्ठभूमि में की जाती है, तथापि नि.म.ले.प. ने अपने उच्च स्तर के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा के लिए परामर्शी प्रबन्धन के लिए ढांचा स्थापित किया है। लेखापरीक्षा योजना तैयार करने के लिए संसद की लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति द्वारा प्रयोज्य सामग्री/सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बना हुआ है। उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में महानिदेशक (लेखापरीक्षा) बोर्ड के सदस्य सचिव हैं। तीन उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षकों, जो पदेन सदस्य हैं, के अतिरिक्त लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (2007 एवं 2008) के प्रतिष्ठित व्यक्ति निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	नाम	
1.	श्री एन आर नारायण मूर्ति	चैयर्समैन और चीफ मॅटर, इनफोसिस टेकनोलाजीस लिमिटेड, बंगलौर
2.	श्री नरेश चन्द्र	भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव और अमरीका में राजदूत
3.	श्री टी एस कृष्णामूर्ति	भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
4.	डा. आर ए मशेलकर	महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
5.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त
6.	श्री दीपक नैय्यर	सदस्य, ज्ञान आयोग
7.	श्री धर्मवीर	भारत के भूतपूर्व उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
8.	श्री सी पी जैन	भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड
9.	श्री सी एल काव	भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
10.	वाईस एडमिरल (सेवानिवृत्त) अवनीशराय टंडन	वाईस एडमिरल (सेवानिवृत्त)
11.	सुश्री सुनीता नारायण	डायरेक्टर, सेंटर फार साईंस एंड एनवायरनमेंट
12.	श्री सुनील तलाती	अध्यक्ष, इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया

केन्द्रीय सा क्षेत्र के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड

पदेन अध्यक्ष के रूप में उप नि.म.ले.प. (वाणिज्यिक) के साथ लेखापरीक्षा बोर्ड गठित किए जाते हैं। बोर्ड का सचिव और दो-तीन प्रधान निदेशक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त सा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग निमलेप के साथ परामर्श से दो अंशकालिक तकनीकी सदस्य नियुक्त करता है।

ये बोर्ड सरकारी कम्पनियों और निगमों के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन करने और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने से पहले उद्यमों के प्रबन्धनों और सरकार के उनके नियंत्रक मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके विचारों को अभिनिश्चित करने के लिए उनके परिणामों और निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए गठित किए जाते हैं। ऐसी व्यापक निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट किए गए हैं।

सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

विभिन्न संहितीय प्रावधानों को मानकीकृत करने और नियम आधारित प्रणाली के एक युग को सभी विभागों के लिए सामान्य मानक आधारित लेखाकरण में परिवर्तित करने के लिए अगस्त 2002 में नि.म.ले.प. द्वारा गसब स्थापित किया गया। बोर्ड उप नि.म.ले.प. की अध्यक्षता में कार्य करता है। बोर्ड के सदस्यों में महालेखानियंत्रक, वित्त आयुक्त, रेलवे, महानिदेशक, खासा लेखे, अतिरिक्त सचिव (बजट), भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और आईसीएआई के अध्यक्ष, एनसीईईआर के महानिदेशक और चार राज्यों के प्रधान वित्त सचिव (चक्रानुक्रम) शामिल हैं। नि.म.ले.प. के कार्यालय में महानिदेशक (ले हक शि) बोर्ड के सदस्य सचिव है।

गसब का लक्ष्य राज्य और स्थानीय सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक स्थापित करना तथा इनमें सुधार करना है जिससे वित्तीय रिपोर्टों के प्रयोक्ताओं के लिए लाभप्रद सूचना प्राप्त होगी। बोर्ड संघ और राज्य सरकारों में विभागों, प्राधिकरणों और संगठनों में सरकारी लेखाओं की बोधगम्यता, विश्वसनीयता, सुसंगतता, समयबद्धता, संगतता और तुलनीयता की मूल विशेषताओं को प्रोन्नत करने की भी मांग करता है।

लेखाकरण सुधार

- लेखाकरण मानकों का विकास करने के लिए निमलेप द्वारा स्थापित गसब; और
- लेखाकरण सुधारों के लिए भी उत्तरदायी

लेखापरीक्षा समितियां

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन का अनुवर्तन करने और मानीटरन करने के लिए सरकारी विभाग में लेखापरीक्षा समितियां हैं। लेखापरीक्षा समितियों में लेखापरीक्षा विभाग और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना हमारे वेब पृष्ठ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. के.ग. गव. इन/एच टी एम एल/आर टी आई. एच टी एम ऊपर उपलब्ध करायी गयी है।

सार्वजनिक जवाबदेही की प्रक्रिया (सार्वजनिक जवाबदेही की कड़ी)


नि.म.ले.प. निष्पादन लेखापरीक्षा और नियमितता लेखापरीक्षा की सहायता से संसद/राज्य विधान मण्डल के प्रति कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। निम्नलिखित चित्र में जवाबदेही की कड़ी दर्शाई गई है :

जवाबदेही क्रियाविधि :

कार्यकारी - लेखापरीक्षा कड़ी



संसद/राज्य विधान मण्डल के माध्यम से जवाबदेही कड़ी



लेखापरीक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के अनुसरण में लेखापरीक्षा विभाग निम्नलिखित का प्रयास करता है :

- मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावी रूप से उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा आयोजना करना;
- यह स्थापित करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटन हेतु स्वीकार्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, वित्तीय विवरणियों का विश्लेषण;
- अनुपालन और निष्पादन हेतु आन्तरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता का मूल्यांकन;
- लेखापरीक्षक के निर्णय और निष्कर्षों की सहायता के लिए सक्षम, सुसंगत और समुचित साक्ष्य प्राप्त करना;
- लेखापरीक्षा कार्य पर प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करना; और
- प्रभावी गुणवत्ता प्रबन्धन ढांचे का अनुसरण करना ।

लेखापरीक्षा के प्रकार

अभिशासन, दक्षता और जवाबदेही की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कर्तव्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का प्रयास करने हेतु निम्नलिखित प्रकार की लेखापरीक्षा निमलेप द्वारा की गई है:

- निष्पादन लेखापरीक्षा; और
- नियमितता (वित्तीय) प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा और नियमितता (अनुपालन) या संयवहार लेखापरीक्षा।

निष्पादन लेखापरीक्षा

नि.म.ले.प. मितव्ययिता का समुचित ध्यान रखते हुए दक्षता और प्रभावकारिता, जिससे सत्त्व अपने कार्यक्रमों और कार्यकलापों को चलाते हैं, के निर्धारण के मद्देनजर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण प्रभाव पर बल देते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा संघ सरकार और राज्य सरकारों के कार्यों के सभी क्षेत्रों में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिविल, रक्षा, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे, सरकारी कम्पनियों और निगमों, स्वायत्त निकाय, संघ और राज्य प्रादियाँ आदि शामिल थे। वर्ष के दौरान हमने आठ विशिष्ट को शामिल करते हुए 405 विषयों पर निष्पादन लेखापरीक्षा की। इन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को संसद/विधान मण्डलों में प्रस्तुत 19 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और अन्य लेन देन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया गया था। वर्ष के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित थीं :

- पासपोर्ट, वीजा और कंसुलर सर्विसेज (विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय)
- राजस्व, भारी उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों में आंतरिक नियंत्रण
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और टेका श्रम (विनियमन और उत्पादन), अधिनियम 1970 को लागू करना
- त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (विद्युत मंत्रालय)
- डाक विभाग में डाक प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा
- राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की निष्पादन लेखापरीक्षा
- टी डी एस/टी सी एस योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा
- भारतीय रेलवे में सफाई और स्वच्छता
- भारतीय रेलवे में रेलपथ नवीकरण कार्य

- विद्युत ताप स्टेशनों का निष्पादन
- गंदे जल वाले क्षेत्रों में अपतट रिगों का निष्पादन
- भारत संचार निगम लिमिटेड में सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसंरचनात्मक और प्रचालनात्मक सुविधाओं की समीक्षा

नियमितता लेखापरीक्षा (अनुपालन)

नियमितता (अनुपालन) अथवा लेन देन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के मद्देनजर की जाती है कि व्यय संविधान, विधियों, नियमों, विनियमों और लेखापरीक्षा किये जाने वाले सत्त्वों से संबंधित अन्य अनुदेशों के सुसंगत प्रावधानों के समनुरूप किया गया है।

2006-07 के दौरान निमलेप ने संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर 12 लेनदेन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेखाओं पर 67 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया। निमलेप द्वारा अवधारित प्रतिमानों/मानदण्डों के आधार पर परिकल्पित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेनदेन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल धन मूल्य 8,505.20 करोड़ रुपये था जिसका ब्यौरा आगे दिया गया है:

विस्तृत लेखापरीक्षा

- संघ और राज्य सरकारों की लगभग 63,000 इकाईयों में कार्य स्थल पर लेखापरीक्षा की गई, और
- 1.07 करोड़ वाऊचरों की लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा के परिणाम

- लेन देन लेखापरीक्षा रिपोर्टों का धन मूल्य 8,505 करोड़ रूपए बनता था

संघ सरकार

क्रम संख्या	प्रतिवेदनों की श्रेणी	प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में शामिल किये गये पैराओं की संख्या	प्रतिवेदनों का धन मूल्य (करोड़ रूपए में)
1	वैज्ञानिक विभागों सहित सिविल	2	50	64.91
2	स्वायत्त निकाय	1	37	76.03
3	प्रत्यक्ष कर	1	862	632.38
4	अप्रत्यक्षकर			
	सीमा शुल्क एवं	1	139	38.24
	केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवाकर		207	1,297.21
5	रक्षा सेवाएं			
	थल सेना एवं आयुध फैक्ट्रियाँ	1	18	43.16
	वायु सेना एवं नौ सेना	1	23	508.39
6	रेलवे	1	125	347.35
7	वाणिज्यिक	4	145	1,198.03
	जोड़	12	1,606	4,205.70

राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र

क्रम संख्या	प्रतिवेदनों की श्रेणी	प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में शामिल किये गये पैराओं की संख्या	प्रतिवेदनों का धन मूल्य (करोड़ रूपए में)
1	सिविल लेखापरीक्षा	30	608	997.28
2	प्राप्ति लेखापरीक्षा	19	605	2,474.39
3	वाणिज्यिक लेखापरीक्षा	15	393	827.83
4	स्थानीय निकाय	3	40	. ⁵
	जोड़	67	1,646	4,299.50

लेखापरीक्षा में कार्य का परिमाण

2006-07 के दौरान लेखापरीक्षा विभाग द्वारा निपटाए गए कार्य का परिमाण नीचे दर्शाया गया है :

क: केन्द्रीय लेखापरीक्षा

सरकार	लेखापरीक्षा किये गये वाउचरों की संख्या	जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या
संघ सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र	1,06,79,246	40,914

ख: इकाईयों/कार्यालयों में स्थानीय लेखापरीक्षा

सरकार	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या
संघ सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र	63,062	54,133

वर्ष 2006-07 के प्रारम्भ में लेखापरीक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पनियों और निगमों (गैर कार्यात्मक कम्पनियों सहित) की संख्या

स्कन्ध	सरकारी कम्पनियों की संख्या	मानी गई सरकारी कम्पनियों की संख्या	सांविधिक निगम	सामान्य बीमा कम्पनियाँ	जोड़
केन्द्रीय	299	94	6	5	404
राज्य	1,059	60	108	-	1,227

नियमितता लेखापरीक्षा (वित्तीय)

लेखाओं का प्रमाणीकरण

नि.म.ले.प. का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य संघ एवं राज्य सरकारों (विनियोग लेखे और वित्त लेखे), स्वायत्त निकाय और सरकारी कम्पनियों/ निगमों के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा प्रमाण -पत्रों और लेखापरीक्षा राय जारी करना है। सरकारी कम्पनियों के लिए, नि.म.ले.प. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा पर पूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से इस उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। सरकारी कम्पनियों के प्रमाणीकरण के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक

⁵ स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए धन मूल्य मापदंड को अभी अंतिम रूप देना है

लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति, उन्हें निर्देश देने और वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के रूप में प्रमाणीकरण की गुणवत्ता में योगदान देते हैं।

इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. ने संघ के लेखाओं और लेन देनों के बारे में 661 "वित्तीय लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र," और एक नियमितता लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में 5,381 "वित्तीय लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र" और 14,807 "नियमितता लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र" जारी किए।

लेखापरीक्षा में नया विशिष्टीकरण

(क) सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस पर निरन्तर जोर देते हुए भारत के नि.म.ले.प. ने सू प्रौ प्रणालियों की लेखापरीक्षा की कार्य नीति का विकास किया है जो कि विश्वव्यापी उत्तम पद्धतियों के अनुरूप है। वर्ष के दौरान किये गये कुल 41 में से कुछ मुख्य सू प्रौ लेखापरीक्षा निम्नवत् थीं :

- भारतीय रेलवे की कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली
- भारतीय रेलवे में कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में बिलिंग और ग्राहक सेवा प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा
- नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड में एकीकृत कारबार समाधान
- आई टी आई लिमिटेड में सामग्री प्रबन्धन और मालसूची लेखाकरण
- राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में जेनेसिस में सू प्रौ नियंत्रण
- ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड में उद्यम संसाधन आयोजना
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में ई आर पी परिवेश में मालसूची प्रबन्धन प्रणाली
- तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सामग्री प्रबन्धन की सू प्रौ लेखापरीक्षा
- आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग में इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट साफ्टवेयर (आई सी पी) पर सू प्रौ समीक्षा
- गुजरात में मोटर वाहन विभाग में अन्तरराज्यीय चैक पोस्ट स्वचलन प्रणाली पर समीक्षा
- राजस्थान में राजस्थान राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व प्रणाली में कम्प्यूटरीकरण
- पश्चिम बंगाल में घोषणा के प्रति आयातित माल के लदान का मानीटरन करने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डी एस एस) की विफलता
- हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना

(ख) पर्यावरण लेखापरीक्षा

पर्यावरण लेखापरीक्षा लगातार आपत्तिक क्षेत्र बन रही है। पर्यावरण से संबंधित मामलों की लेखापरीक्षा पर विशेष संकेन्द्रित करने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा सस्थाओं (एस ए आई) के मध्य देशीय और विश्वव्यापी प्रवृत्ति के अन्दर पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण मामलों के विवेचित महत्व के समनुरूप नि.म.ले.प. ने पर्यावरण लेखापरीक्षा के लिए एक नोडल कार्यालय का गठन किया। हम पर्यावरण लेखापरीक्षा पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण और दक्षता विकास सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। हमारी लेखापरीक्षा योजना में पर्यावरण से संबंधित विषयों को भिन्न संविभाग के अन्तर्गत लिया जा रहा है। एक पर्यावरण लेखापरीक्षा नियमपुस्तक बनायी जा रही है। 2006-07 के दौरान नि.म.ले.प. ने पर्यावरण मामलों से संबंधित (17) प्रकरणों का अनुमोदन किया जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

- मुम्बई पत्तनन्यास (भूतल परिवहन मंत्रालय) द्वारा परिवेशी प्रबन्धन
- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में

प्रोजेक्ट टाईगर एवं इको डिवलपमेंट

- हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क (वन्यजीव परिरक्षण सहित)
- जम्मू एवं कश्मीर में डलझील का संरक्षण एवं प्रबन्धन
- उत्तरांचल में राष्ट्रीय पार्कों और सैक्चुरी का प्रबन्धन
- छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पार्कों और सैक्चुरी में वन्य जीव का परिरक्षण
- छत्तीसगढ़ में वाटरशेड डिवलपमेंट प्रोग्राम

सरकार की प्रभावनीयता

यह सुनिश्चित करने के मद्देनजर कि कार्यकारी की राय पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अन्तिम स्म देने से पूर्व विचार किया जा सके यह अत्यावश्यक है कि लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में जनित/जारी किए गए विभिन्न प्रतिवेदन, जो कि अन्त में संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनते हैं, पर कार्यकारी अपने जवाब/दृष्टिकोण लेखापरीक्षा को अवश्य दें। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में भारत सरकार ने लोक लेखा समिति की सिफारिश पर निर्धारित किया कि मंत्रालयों/विभागों को झूफ्ट पैराग्राफ जिन्हें अर्धशासकीय रूप से मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को प्रेषित किया गया है के उत्तर छः हफ्ते के अन्दर प्रस्तुत किये जाने चाहिए। फिर भी, मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद को प्रस्तुतीकरण के लिए नि.म.ले.प. द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कुल 1,606 में से उनको जारी 561 झूफ्ट पैराग्राफ के उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये। राज्य/सं रा क्षे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में, सरकार द्वारा राज्य/सं रा क्षे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए अनुमोदित कुल 1,646 पैराग्राफों में से 183 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यकारी की जवाबदेही संसद/राज्य/संघ रा क्षे विधानमण्डलों को नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के माध्यम से स्थापित की जाती है जो स्वप्रेरणा से लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को भेजी जाती है। जवाबदेही ढाँचा में पैराग्राफों जिन्हें संबंधित लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को प्रस्तुत करना अपेक्षित है में शामिल किये गये निष्कर्षों और सिफारिशों पर औपचारिक उपायों को शामिल करते हुए सरकार की प्रतिक्रिया की भी परिकल्पना की गई। लोक लेखा समिति की सिफारिश पर संघ सरकार ने उनको की गई कार्रवाई टिप्पणियों के प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तारीख से चार माह की समय सीमा निर्धारित की। मंत्रालयों/विभागों ने अक्टूबर/नवम्बर 2006 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 3563 पैराग्राफ (अनुबंध III देखें) के प्रति सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जिन्हें 31 मार्च 2007 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। राज्य/सं रा क्षे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मामले में 13,547 पैराग्राफों (अनुबंध IV देखें) के बारे में की गई उपचारी कार्रवाई टिप्पणी को मार्च 2007 तक संबंधित राज्य/सं रा क्षे सरकारों द्वारा क्रमशः अपनी लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसने सार्वजनिक जवाबदेही की प्रभावकारिता को प्रभावित किया।

संसद/राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2006-07 के दौरान नि.म.ले.प. ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए संघ सरकार (लेनदेन लेखापरीक्षा 12; निष्पादन लेखापरीक्षा-16) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (लेनदेन लेखापरीक्षा-67; निष्पादन लेखापरीक्षा-3) के लेखाओं पर 98 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदित किए। 98 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में से, 97 प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अंतिम रूप दिए जाने तक संसद/विधान मंडलों (2006-07 के दौरान 41⁶ और मार्च 2007 के बाद 56⁷) के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। (अनुबन्ध-II देखें)

लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती

- 3,563 पैराग्राफों और 13,547 पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी क्रमशः संघ और राज्य सरकारों से प्रतीक्षित है।

कार्यकारी की जवाबदेही संसद/राज्य/संघ रा क्षे विधानमण्डलों को नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के माध्यम से स्थापित की जाती है जो स्वप्रेरणा से लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को भेजी जाती है। जवाबदेही ढाँचा में पैराग्राफों जिन्हें संबंधित लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को प्रस्तुत करना अपेक्षित है में शामिल किये गये निष्कर्षों और सिफारिशों पर औपचारिक उपायों को शामिल करते हुए सरकार की प्रतिक्रिया की भी परिकल्पना की गई। लोक लेखा समिति की सिफारिश पर संघ सरकार ने उनको की गई कार्रवाई टिप्पणियों के प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तारीख से चार माह की समय सीमा निर्धारित की। मंत्रालयों/विभागों ने अक्टूबर/नवम्बर 2006 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 3563 पैराग्राफ (अनुबंध III देखें) के प्रति सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जिन्हें 31 मार्च 2007 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। राज्य/सं रा क्षे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मामले में 13,547 पैराग्राफों (अनुबंध IV देखें) के बारे में की गई उपचारी कार्रवाई टिप्पणी को मार्च 2007 तक संबंधित राज्य/सं रा क्षे सरकारों द्वारा क्रमशः अपनी लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसने सार्वजनिक जवाबदेही की प्रभावकारिता को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा के परिणाम

- संसद और राज्य विधानमण्डल के लिए नि.म.ले.प. के 98 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; और
- 54,000 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

⁶ 40 लेन देन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

⁷ 38 लेन देन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 18 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लो ले स/लो उ स द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच

संसद की समितियाँ चयनित आधार पर पैराग्राफों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विस्तृत जाँच करती हैं। शेष पैराग्राफों के मामले में, मंत्रालय भा ले एवं ले प वि द्वारा समीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणियों (ए टी एन) को लो ले स/लो उ स को प्रस्तुत करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल की समितियाँ कुछ राज्यों में चयनित पैराग्राफों/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की जाँच करती हैं जबकि अन्यो में समस्त प्रतिवेदनों की जांच उनके द्वारा की जाती है।

वर्ष 2006-07 के दौरान लो ले स/लो उ स ने नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल बहुत से पैराग्राफों की विस्तृत जांच की। पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं और आयोजित बैठकों पर चर्चा निम्नवत् है :

केन्द्रीय लो ले स/लो उ स की चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	आयोजित बैठकों की संख्या	चर्चा किये गये पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की संख्या
सिविल	11	9
रक्षा	2	2
स्वायत्त निकाय	5	6
रेलवे	6	2
राजस्व प्राप्तियाँ	6	6
वाणिज्यिक	10	3
जोड़	40	28

राज्य लो ले स/लो उ स की चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	आयोजित बैठकों की संख्या	चर्चा किये गये पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की संख्या
सिविल	453	636
राजस्व प्राप्तियाँ	144	700
वाणिज्यिक	314	538
स्थानीय निकाय	2	15
जोड़	913	1,889

लेखापरीक्षा का प्रभाव


वित्तीय विवरणों की यथार्थता के संबंध में किए गए मूल्य परिवर्धन या धनात्मक अन्तर, लेखापरीक्षा के माध्यम से नियम, औचित्य एवं निष्पादन के मानक का अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रभाव के माप हैं। लेखापरीक्षा के खोजपूर्ण निष्कर्षों के रूप में दृष्टिगोचर प्रभाव के अलावा लेखापरीक्षा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण परन्तु अनिश्चयेय परिणाम निवारक और आश्वासन मूल्यों पर स्थित होता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हमारे आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने अपने विभागों में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा का प्रभाव वर्ष के दौरान जारी सभी स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्टों में इसके निष्कर्ष का कुल मूल्य और संसद/राज्य विधानमण्डलों को नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए निष्कर्षों का मूल्य है।

संघ/राज्य सरकारों में सत्तों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा टिप्पणियों में बताए गए 46,053.46 करोड़ रुपये (राज्य सरकारें 25,871.57 करोड़ रुपये और संघ सरकार 20,181.89 करोड़ रुपये) में से 17,006.83 करोड़ रुपये (राज्य सरकारें 11,215.20 करोड़ रुपये और संघ सरकार 5,791.63 करोड़ रुपये) के अधिक भुगतान/कम वसूली के लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार कर लिए गए। इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने तक 1,523.34 करोड़ रु. (राज्य सरकारें 607.12 करोड़ रु. और संघ सरकार 916.22 करोड़ रु.) की अब तक वसूली कर ली गई थी। कार्यकारियों द्वारा स्वीकार की गई वसूलियों के संबंध में निष्कर्षों को दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है :

लेखापरीक्षा का प्रभाव

- सरकार ने अधिक भुगतान/कम वसूली के लिए 17,006.83 करोड़ रुपये के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और अब तक 1,523.34 करोड़ रुपये की वसूली की; और
- केवल लेखापरीक्षा के बताए जाने पर की जाने वाली वसूली लेखापरीक्षा पर खर्च किए गए प्रत्येक रूपए के लिए 23 रु. बनती है।



यह प्रभाव दिए गए आश्वासन, प्रणाली संशोधनों तथा निवारक मूल्य को छोड़कर लेखापरीक्षा पर खर्च किए गए प्रत्येक रूपए के लिए केवल 22.77 रुपये बनता है।

इसके अतिरिक्त, संघ सरकार के लेखाओं तथा संव्ययवहार पर 12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के संबंध में 64 (स्थानीय निकायों के तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को छोड़ कर) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित पैराओं का धन मूल्य 8,505.20 करोड़ रुपये बनता था जिसका विवरण अध्याय 3 में दिया गया है।

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के लेखाओं का प्रमाणीकरण

सरकारी कम्पनियों एवं मानी गई सरकारी कम्पनियों और निगमों के वार्षिक वित्तीय परिणामों की मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के सुधार के उपाय के रूप में नियंत्रक महालेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 2006-07 के दौरान की गई ऐसी लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में 12 केन्द्रीय सा क्षेत्र और 33 राज्य सा क्षेत्र ने अपने लेखाओं का संशोधन किया जिसमें 1,727.43 करोड़ रुपये तक लाभ/हानि में वृद्धि/गिरावट हुई। जहाँ सा क्षेत्र ने अपने लेखाओं का संशोधन नहीं किया वहाँ उनके लेखाओं पर टिप्पणियाँ जारी की गई थीं। ये टिप्पणियाँ 7,429.80 करोड़ रु. (केन्द्रीय सा.क्षे.उ. 562.16 करोड़ रुपये और राज्य सा क्षेत्र 6,867.64 करोड़ रुपये) के सूचित लाभ/हानि की न्यूनोक्ति/अत्युक्ति तथा 35,908.49 करोड़ रु. (केन्द्रीय सा क्षेत्र 1,320.00 करोड़ रुपये तथा राज्य सा.क्षे.उ. 34,588.49 करोड़ रुपये) तक परिसम्पत्तियों/देयताओं की न्यूनोक्ति/अत्युक्ति की ओर संकेत करती हैं।

सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा के परिणाम

- 12 केन्द्रीय सा क्षेत्र और 33 राज्य सा क्षेत्र ने अपने लेखाओं का संशोधन किया जिससे 1,727.43 करोड़ रुपये तक के सूचित लाभ/हानि में वृद्धि/गिरावट हुई; और
- 7,429.80 करोड़ रुपये तक लाभ/हानि एवं 35,908.49 करोड़ रुपये तक परिसम्पत्तियों/देयताओं के कम बताने/अधिक बताने के लिए जारी लेखाओं पर टिप्पणियाँ

नीति, कानून, नियमों में परिवर्तन तथा लेखापरीक्षा के बताने पर अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

मौद्रिक प्रभाव के अतिरिक्त, नीति, कानून, नियमों में परिवर्तन और अभी हाल ही में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न प्रकार से हैं :

संघ सरकार

I- नीति में परिवर्तन

वित्त मंत्रालय

"संयोजित उद्ग्रहण योजना के अन्तर्गत लोहे तथा इस्पात के कुछ उत्पादों पर उत्पादन की क्षमता के आधार पर शुल्क के उद्ग्रहण की योजना वापिस लेना

संयोजित उद्ग्रहण योजना के अन्तर्गत लोहे तथा इस्पात के कुछ उत्पादों पर उत्पादन की क्षमता के आधार पर शुल्क के उद्ग्रहण के लिए सरकार द्वारा निर्मित विस्तृत प्रक्रिया के मूल्यांकन और राजस्व संग्रहण पर उसके प्रभाव पर विशेष ध्यान सहित उसके कार्यान्वयन के लिए एक समीक्षा की गयी थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें बताई गई थीं :

- योजना बनाने में कमी;
- कार्यान्वयन में त्रुटियाँ;

योजना की पुनः जांच की सिफारिश के दृष्टिगत, 2000-01 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने माना कि योजना कार्यान्वित नहीं हुई और उसे बन्द कर दिया। यथामूल्य आधार पर शुल्क के उद्ग्रहण की पहली प्रणाली फिर से शुरू कर दी गई थी।

कपड़ा मंत्रालय

लेखापरीक्षा द्वारा "जनता कपड़ा योजना" के अन्तर्गत नौ करोड़ रु. राशि की आर्थिक सहायता जारी करने में अनियमितताओं के बारे में बताया गया था। परिणामतः नौ करोड़ रु. की समस्त राशि वसूल कर ली गई थी। सरकार ने जनता कपड़ा योजना के सभी पहलुओं पर विचार किया और अप्रैल 1998 से योजना को बन्द करने का अन्तिम निर्णय लिया।

रेल मंत्रालय

सड़क के उपरि पुलों/सड़क के निचले पुलों के संबंध में अनुरक्षण प्रमारों की वसूली सुनिश्चित करने की नीति का प्रारम्भ

इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता के प्रावधानों के अनुसार, यदि सड़क के उपरि पुल/सड़क के निचले पुल (आर ओ बी/आर यू बी) की लागत रेलवे और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा बांटी जाती है तो अनुक्षण प्रमार रेलवे और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा उनकी लागत के संबंधित हिस्से के अनुपात में बांटे जाते हैं। प्रारम्भिक तथा आवर्ती लागत वहन करने के लिए देयताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए, कार्य शुरू करने से पहले संबंधित पक्षकार के साथ एक करार हस्ताक्षरित किया जाना था। विभिन्न पैराग्राफों के माध्यम से लेखापरीक्षा ने देखा कि रेलवे ने न तो करार निष्पादित किए और न ही वह आवर्ती अनुक्षण प्रमार वसूल कर रही थी।

आर ओ बी/ आर यू बी के अनुक्षण हेतु बिल बनाने में आने वाली समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने एक नई नीति शुरू की थी जिसके अनुसार वार्षिक रूप से बिल बनाने के बजाए, पक्षकारों को एक बार में ही पूंजीकृत अनुक्षण प्रमार देने और उन्हें प्रायोजक प्राधिकारियों से एकत्र करने के लिए कहा गया था। करार हस्ताक्षर करने और पूंजीकृत अनुक्षण प्रमार एकत्र करने का कार्य यातायात के लिए आर ओ बी/ आर यू बी खोलने से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

आर्थिक व्यवहार्यता की सुनिश्चितता का प्रारम्भ

रेलवे में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी चीजें रेलवे कार्यशालाओं में ही निर्मित की जाती हैं। एक कार्यशाला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुछ चीजें जो कार्यशाला द्वारा निर्मित की गई थी, बाजार से भी खरीद ली गई थी। निर्माण - लागत की क्रय-लागत से तुलना करने पर पता चला कि बाजार से खरीद काफी सस्ती थी। लेखापरीक्षा ने देखा था कि रेलवे ने खुले बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध चीजों की 45 श्रेणियों पर 2.64 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से इंगित किए जाने पर निर्माण-कार्य में लगी कार्यशालाओं को बाजार में उपलब्ध चीजों की लागत और गुणवत्ता की तुलना के द्वारा नियमित समीक्षा और विश्लेषण करने और बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध चीजों का निर्माण बन्द करने के अनुदेश दिए गए थे।

II-कानून में परिवर्तन

वित्त मंत्रालय

मांग के मामलों का अधिनिर्णय

*मांग को अन्तिम रूप देने और संग्रहण में विलम्ब की एक समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां बताई :

- वर्तमान अधिनियम/विनियमों में मांग-नोटिस के अधिनिर्णय को अन्तिम रूप देने के लिए समय सीमा का प्रावधान नहीं था। यहां तक कि कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी करने के छः महीने के अन्दर अधिनिर्णय को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के कार्यकारी अनुदेश भी बहुत से मामलों में कार्यान्वित नहीं किए गए थे जिससे निर्धारितियों को वित्तीय लाभ हुआ।
- सामान्य मामलों में कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी करने के लिए छः महीने की समय सीमा अपर्याप्त पाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप कई मांगे कालातीत हो गईं और समुचित जांच के बिना कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी किए गए।
- बहुत से मामले जिनमें 3,387.33 करोड़ रुपये का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अन्तर्गत था, अधिनिर्णय हेतु लम्बित थे।
- मानीटरिंग प्रणाली त्रुटिपूर्ण पाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

- मांग के मामले, कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से अधिकतम छः महीने की अवधि के अन्दर निर्णीत किए जाने चाहिए।
- उन सभी मामलों, जिनका छः महीने के अन्दर अधिनिर्णय नहीं किया जा सकता, की सूची उन पर व्याख्या सहित आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को भेजी जानी चाहिए।

- केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय हेतु समय सीमा नियत की जानी चाहिए।
लेखापरीक्षा की सिफारिश के दृष्टिगत, सरकार ने 11 मई 2001 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में निम्नलिखित संशोधन किए :
- निर्धारण अधिकारी के लिए घोषणा, गलत घोषणा आदि के परिणामस्वरूप कम प्रदत्त शुल्क के मामले में यथासम्भव एक वर्ष के अन्दर और अन्य (सामान्य) मामलों में छः महीने के अन्दर मामले का अधिनिर्णय करना अनिवार्य बना दिया गया।
- मांग करने के लिए समय सीमा छः महीने से बढ़ा कर एक वर्ष कर दी गई थी ताकि मामलों के कालातीत होने की संभावना घट जाए।

आयकर अधिनियम के विशेष प्रावधानों (धारा 115 जे ए) के अन्तर्गत कम्पनियों की करगणना की योजना का संशोधन

अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत, कर के लिए ग्राह्य आय की गणना के लिए परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रति उच्चतर मूल्यहास का दावा अनुमत नहीं है। तथापि, मैट प्रावधानों के अन्तर्गत तदनुसूची प्रावधान उपलब्ध नहीं था जिसके परिणामस्वरूप कुछ कम्पनियों ने उच्चतर मूल्यहास का दावा करने के लिए परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का सहारा लिया।

1 अप्रैल 2007 से वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित धारा 115 जे बी (2) (जी) (ii ए) में यह निर्धारित किया गया है कि लाभ तथा हानि लेखा में डेबिट किया गया परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से उच्चतर मूल्यहास का दावा, कर हेतु ग्राह्य पुस्तक लाभ की गणना करते समय आय में जोड़ दिया जाएगा।

निजी स्कूलों, कॉलेजों तथा कॉचिंग केंद्रों का निर्धारण

- आय की विवरणियों के साथ लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र सहित लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने के लिए धारा 10 (23 ग) (vi) के अन्तर्गत छूट के मामले में कोई प्रावधान नहीं है। निजी स्कूलों, कॉलेजों और धर्मार्थ न्यासों का बड़ी मात्रा में निर्धारण सामान्यतः संक्षिप्त ढंग से पूरा किया जाता है।
- वित्त अधिनियम, 2005 में एक प्रावधान शामिल किया गया है जिसके अनुसार निर्धारिती को अपनी आय कर विवरणी के साथ लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्रति-वर्ष दाखिल करना पड़ता है। सी बी डी टी ने आयकर विवरणियों की संवीक्षा हेतु मामलों के चयन के लिए अक्टूबर 2005 में दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें निर्धारित मौद्रिक सीमा के अध्यक्षीन अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के मामलों के चयन हेतु विशेष रूप से प्रावधान किया गया है।

- लेखापरीक्षा ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाएं चलाने वाले न्यास दान, भवन निधि, तरणताल प्रमारों, निर्धन-निधि आदि के माध्यम से आय अर्जित कर रहे थे और इसके अतिरिक्त उन्हें शैक्षणिक कार्यकलापों से भी आय प्राप्त हो रही थी और इस आय को आयकर से छूट प्राप्त थी।

वित्त अधिनियम, 2006 के माध्यम एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छोड़कर पूर्णतः धर्मार्थ न्यासों तथा संस्थाओं को दिए गए गुप्त दान पर भी कर लगाया जाएगा।

- लेखापरीक्षा ने बताया कि चूंकि धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारितियों को दी गई छूट की अधिसूचना वापिस लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, अतः अपात्र निर्धारिती, जो धारा 10(23 सी) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते थे, भी छूट का लाभ उठा रहे थे।

निर्धारितियों के क्रियाकलाप निष्कपट न होने अथवा सभी अथवा अधिसूचित अथवा अनुमोदित समस्त अथवा कुछ शर्तों के अनुसार कार्यान्वित न किए जाने के मामले में अनुमोदन को वापिस लेने अथवा अधिसूचना को निरस्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2004 से वित्त अधिनियम, 2004 में 10 (23 सी) (वाया) पर एक नया उपबन्ध शामिल किया गया है।

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रतिदाय

धारा 143(4) के अन्तर्गत, यदि नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है अथवा उप धारा (1) के अन्तर्गत वापिस की गई राशि नियमित निर्धारण की राशि से अधिक है तो पूरी अथवा इस प्रकार वापिस की गई अधिक राशि, निर्धारिती से वसूल की जाएगी। तथापि, अधिनियम के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्धारणों के दौरान अधिक प्रतिदायों पर ब्याज के उद्ग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है।

1 जून 2003 से वित्त अधिनियम, 2003 में धारा 234 डी के रूप में एक नया प्रावधान किया गया है जिसमें यह निर्धारित है कि जहाँ नियमित निर्धारण के परिणामस्वरूप निर्धारिती को कोई प्रतिदाय देय नहीं है अथवा वापिस की गई राशि नियमित निर्धारण के प्रति वापिस करने योग्य राशि से अधिक है तो संक्षिप्त निर्धारणों के दौरान वापिस की गई राशियों पर निर्धारित दरों पर ब्याज उद्ग्रहीत किया जाएगा।

III नियमों में परिवर्तन

वित्त मंत्रालय

अनन्तिम निर्धारण

प्रणाली की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों में अनन्तिम निर्धारण के मामलों पर एक समीक्षा की गई थी और निम्नलिखित कमियां बताई गई थी :

- अनन्तिम निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- मामलों की संख्या एवं अवरुद्ध शुल्क का मिलान न करना।
- अन्तिम निर्धारण पर शुल्क की वसूली पर ब्याज का अनुद्ग्रहण।

समीक्षा के इस षरे पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई थी जिसने अनन्तिम निर्धारण के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए एक सांविधिक समय सीमा की सिफारिश की। नियमों में 1 जुलाई 2007 से संशोधन किया गया तथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 7 के अनुसार अन्तिम निर्धारण के लिए छः महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसे आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क द्वारा अधिकतम छः महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

निम्नलिखित के निर्धारण हेतु अनन्तिम निर्धारण के मामलों की एक और समीक्षा की गई थी और उसे 2007 के (निष्पादन लेखापरीक्षा-अध्याय III) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 7 में शामिल किया गया था।

- अनन्तिम निर्धारण के मामलों के निपटान की गति पर समय सीमा के नियतन का प्रभाव,
- राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए आन्तरिक नियंत्रण और मानीटोरिंग तन्त्र की दक्षता और
- अनन्तिम निर्धारण के मामलों के निपटान को अधिशासित करने वाले नियमों, विनियमों तथा क्रियाविधियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता।

लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट क्रमबद्ध त्रुटियों में सुधार के लिए दस ठोस और कार्यान्वयन-योग्य सिफारिशों की गई हैं। इनमें से नौ सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

जॉब वर्क के आधार पर निर्मित माल का कम मूल्यांकन

मै. उजागर प्रिन्ट्स एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जॉब वर्क आधार पर निर्मित माल की लागत, जॉब श्रमिक के परिसर में कच्चा माल लाने के लिए आने वाली समस्त लागत सहित कच्ची सामग्री के उतरने तक की लागत में संसाधन प्रभार (जॉब वर्क प्रभार) जोड़ कर निर्धारित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने बताया कि उत्पाद शुल्क का भुगतान तैयार माल की निकासी के समय जॉब श्रमिक द्वारा प्रधान विनिर्माता की ओर से किया जा रहा था। निर्धार्य मूल्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत निकाला जा रहा था जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उसी उत्पाद के प्रधान विनिर्माता के संव्यवहार मूल्य से कम था। इसके परिणामस्वरूप तैयार माल का कम मूल्यांकन हुआ तथा उसके कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ।

संघ बजट 2007-08 में सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2000 के अन्तर्गत एक नया नियम 10 ए (उत्पाद शुल्क योग्य माल का निर्धारण) बना कर उपचारी कार्रवाई की जिसमें प्रधान विनिर्माता द्वारा अपनाए गए उसी माल के लेनदेन मूल्य पर शुल्क के भुगतान का प्रावधान था।

धारा 4 ए (अधिकतम खुदरा मूल्य) के अन्तर्गत लाए गए एकस्य एवं उपयुक्त औषध

धारा 4 ए के अन्तर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर इक्साइजेबल माल के मूल्यांकन की शुरूआत, ब्रैंड स्वामियों के द्वारा तैयार एवम निर्गत माल को जब श्रमिकों द्वारा कम निर्धार्य मूल्य अपनाने के कारण सरकार के राजस्व की रक्षा एवम् हानि को रोकने के लिए की गयी थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने बताया कि पेंटेन्ट एवम प्रोपराइटी औषधियां अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) की धारा 4 ए के अन्तर्गत नहीं लाई गई थी और सरकार को अप्रैल 1998 से दिसम्बर 2001 तक 471 करोड़ रु. की अनुमानित हानि हुई थी।

भारत सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया और दिनांक 7 जनवरी 2005 की अधिसूचना के द्वारा पेटन्ट एवम प्रोपराइटी औषधियां धारा 4 ए (एम आर पी) के अन्तर्गत लाई गई हैं।

रेल मंत्रालय

विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का उद्ग्रहण शुरू करना

भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकोर) 1 नवम्बर 1990 से ग्राहकों से भाड़ा सहित समस्त प्रभार एकत्र कर रहा था। यद्यपि सहमत क्रियाविधि के अनुसार, कॉनकोर को पहले पखवाड़े के लिए महीने के 25वें दिन तथा दूसरे पखवाड़े के लिए अगले महीने के 10वें दिन पाक्षिक आधार पर प्रारम्भिक रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में निर्धारित दरों पर रेलवे भाड़ा जमा कराना अपेक्षित था, तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि राशि काफी देर से जमा कराई जा रही थी। विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की हानि 5.93 करोड़ रु. परिकल्पित की गई थी।

कॉनकोर द्वारा रेलवे को भुगतान में विलम्ब पर लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड ने विलम्बित भुगतान पर 12.50 प्रतिशत की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए दिनांक 12 दिसम्बर 1999 और 23 मई 2000 के द्वारा नियमों में प्रावधान किए और क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए।

भाड़ा नियमों में परिवर्तन

भारतीय रेल सम्मेलन संघ (आई आर सी ए) में निहित नियमों के अनुसार जो माल टैरिफ, पण्य वैगन की चिन्हित वहन क्षमता तक लोड नहीं किए जा सकते, उन्हें भाड़ा प्रभारित करने के लिए नियत न्यूनतम भार देकर बुक किया जाना था। लेखापरीक्षा ने कई बार निर्धारित न्यूनतम भार शर्तों और प्रेषकों द्वारा वास्तव में लोड किए गए माल में अनियमितताओं के बारे में बताया था जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता था कि वैगनों में निर्धारित भार से अधिक भार लोड किया जा सकता था। अधिकतर मामलों में प्रेषक वैगनों में निर्धारित मात्रा में ही भार लोड कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप वैगन की वास्तविक क्षमता का कम उपयोग हुआ।

इस कमी को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने 1 अप्रैल 2005 से नियमों में परिवर्तन कर दिया और यह निर्णय लिया कि सभी मामलों में भाड़े की वसूली भी वैगन की चिन्हित वहन क्षमता के आधार पर ही की जानी चाहिए। इस परिवर्तन से वैगनों की क्षमता के कम उपयोग की गुंजाइश समाप्त हो गई है।

दुलाई प्रभार शुरू करना

कम भार की कंटेनर गाड़ियां चलाने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड ने सितम्बर 1993 में क्षेत्रीय रेलों को कंटेनर सर्किटों पर चलाने वाली सभी बी एफ के आई और बॉक्स वैगनों की बनावट की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए कि गाड़ियां 40 बी एफ के आई और 45 बॉक्स वैगनों के पूरे भार के साथ बनाई गई हैं।

पश्चिम रेलवे पर घरेलू कंटेनर डिपु के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रेलवे बोर्ड के फ्लैट/बॉक्स वैगनों को पूरे भार के साथ चलाने से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था और 77 प्रतिशत कंटेनर गाड़ियां कम भार के साथ चलाई जा रही थीं जिसके परिणामस्वरूप रेलवे इंजनों, लाईन और कर्मोदल की क्षमता के कम उपयोग के कारण राजस्व की भारी हानि हुई।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉनकोर की गाड़ियां निर्दिष्ट भार के साथ ही चलाई जाती हैं, रेलवे बोर्ड ने एक प्रणाली शुरू की जिसमें कॉनकोर को, इस बात का ध्यान किए बिना कि क्या वे वास्तव में इतनी संख्या में कंटेनर लोड करते हैं या नहीं, कंटेनरों की न्यूनतम संख्या के लिए दुलाई प्रभार देना अपेक्षित है।

शहरी विकास मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी आवासों के पारी से पहले आबंटन में कई त्रुटियां थीं। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर मंत्रालय ने सामान्य पूल आवासों के विवेकाधीन आबंटनों के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए थे।

IV अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

रेल मंत्रालय

विशेष रेलवे सुरक्षा निधि का सृजन

भारतीय रेल का सुरक्षा निष्पादन जो कि देश में परिवहन का मुख्य साधन है, बड़े महत्व का है। कई समितियों ने रेलवे के सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन किया और प्रणाली को सुधारने तथा दुर्घटनाओं को घटाने के लिए समय समय पर विभिन्न उपायों की सिफारिश की। संगठनात्मक रूप से रेलवे का एक सुरक्षा निदेशालय है जिसका मुखिया एक कार्यकारी निदेशक है। क्षेत्रीय और मंडल स्तरों पर भी कई अधिकारी निर्दिष्ट हैं जो कि सुरक्षा का ध्यान रखते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा था कि सुरक्षा से संबंधित कार्यों जैसे पटरी नवीकरण, पुलों का निर्माण और पुनः सुधार आदि की प्रगति बहुत धीमी थी जिससे यात्रियों और सम्पत्ति की सुरक्षा खतरे में थी। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं की खोज-खबर रखने के लिए कोई मॉनीटरिंग तंत्र नहीं था और दुर्घटनाओं की संख्या कम बताई जा रही थी। आयुक्त, रेलवे सुरक्षा (सी आर एस), जो प्रमुख दुर्घटनाओं का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है, सभी दुर्घटनाओं का पता लगाने में समर्थ नहीं था। कई नई प्रणालियां, जैसे स्वचालित चेतावनी प्रणालियां, चालक गार्ड एवं कन्ट्रोल के साथ सीधे संबद्ध स्थापित करने वाले संचार साधन आदि, अभी शुरू नहीं की गई थीं।

लोक लेखा समिति ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को गम्भीरता से लिया था और उसके पश्चात् रेलवे ने एक विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एस आर एस एफ) का सृजन किया और बकाया सुरक्षा संबंधी कार्यों के क्रमबद्ध ढंग से निपटान के लिए एक योजना तैयार की। एस आर एस एफ के अन्तर्गत 17,000 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। इस निधि का उपयोग पटरी नवीकरण कार्यों के अतिरिक्त खराब पुलों को बदलने, संकेत तथा दूरसंचार प्रणाली को सुधारने तथा नये डिज़ाईन वाला चल स्टॉक शुरू करने के लिए भी किया गया था। रेलवे ने सुरक्षा निष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय भी किए। ये थे (1) पटरी परिक्रमा कार्य (2) गाड़ियों तथा पटरियों पर पूरक चेतावनी प्रणाली का प्रावधान, (3) चल गाड़ी रेडियो संचार प्रणाली का प्रावधान तथा (4) समपारों पर गाड़ी उत्प्रेरित चेतावनी साधन।

राज्य सरकार

I- नीति में परिवर्तन

आन्ध्र प्रदेश सरकार-सिंचाई तथा कमांड क्षेत्र विकास विभाग

धन के लिए मूल्य सुनिश्चित करना

लेखापरीक्षा ने बताया कि विभाग ने उन 2,429 फालतू निर्माण-कार्य प्रभारित कर्मचारियों, जिन्होंने विगत पांच वर्षों से काम नहीं किया था और जिन पर आवर्ती देयता 11.41 करोड़ रुपये वार्षिक थी, की मज़दूरी पर नवम्बर 1995 से जून 2000 के दौरान 34.78 करोड़ रुपये खर्च किए।

9 नवम्बर 2005 को हुई पी ए सी चर्चा के दौरान, मुख्य अभियन्ता (परियोजना) ने बताया कि पांच वर्षों की अवधि के दौरान स्टाफ को अन्य इकाईयों तथा अन्य विभागों में पुनः तैनात किया गया था। 30 सितम्बर 2005 को संख्या घटा कर 936 कर दी गई थी।

लोक लेखा समिति ने फालतू निर्माण-कार्य प्रभारित स्टाफ को ज़रूरतमन्द इकाईयों/आगे आने वाली नई परियोजनाओं में पुनः तैनात करने की सिफारिश की और सुझाव दिया कि भविष्य में निर्माण-कार्य प्रभारित स्टाफ की नियुक्ति न की जाए।

आन्ध्र प्रदेश सरकार-समाज कल्याण विभाग

सरकारी निधियां केवल सरकारी लेखाओं में ही सुनिश्चित करना

लेखापरीक्षा ने बताया कि राज्य योजनाओं से संबंधित निधियां सरकारी लेखाओं से बाहर, बैंकों में जमा की गई थीं। लेखापरीक्षा पैरे की व्याख्यात्मक टिप्पणियों में सरकार ने बताया कि बैंकों, डाक-घरों आदि में उपलब्ध उन राशियों को, जिनकी अभी तत्काल आवश्यकता नहीं है, सरकारी लेखाओं में पुनः जमा करने के लिए समाज कल्याण के उप निदेशक को अनुदेश जारी कर दिए गए थे। सरकार ने यह भी बताया कि सरकारी लेखा से बाहर रखी गई निधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि समुचित प्राधिकार के बिना और जब तक परिस्थितियां लोकहित में उन राशियों को पूर्णतः सरकारी लेखा से बाहर रखने की अनुमति नहीं देती, कोई भी राशि सरकारी लेखा से बाहर नहीं रखी जाती है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार - श्रम विभाग

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

बाल श्रमिकों के पुनर्वास को मॉनीटर करने के लिए राज्य स्तर पर कोई नोडल विभाग नहीं था। समीक्षा के दौरान जारी किए गए एक लेखापरीक्षा प्रश्न के परिणामस्वरूप सरकार ने विद्यालय शिक्षा विभाग में आदेश जारी करके 'स्कूल से बाहर' के बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्याध्यापक से जोड़ने का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, डी पी ई पी और ज़िला स्तर पर सहायक परियोजना समन्वयक, डी पी ई पी को सौंपा।

लेखापरीक्षा पैरे की व्याख्यात्मक टिप्पणी में, सरकार ने यह भी बताया कि श्रम विभाग द्वारा केवल बाल श्रमिकों के लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी और श्रम विभाग द्वारा उस वेबसाइट में एक बाल श्रमिक ट्रेकिंग सिस्टम शुरू किया गया था।

II - नियमों में परिवर्तन

महाराष्ट्र सरकार

सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखाकरण

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (एम पी एस पी) ने सावधि जमा और बचत खातों में रखी गई राशियों पर 2002-04 के दौरान 7.21 करोड़ रुपये का ब्याज कमाया था जो अप्रयुक्त रहा। इसके बारे में मार्च 2005 में एम पी एस पी को बताया गया था जिसने बताया कि भारत सरकार के अनुदेश के अभाव में ब्याज की राशि एम पी एस पी के पास पड़ी थी।

भारत सरकार ने एम पी एस पी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए निधियां जारी करने के प्रति भारत सरकार और राज्य सरकारों के हिस्सों के प्रति वर्ष में उद्भूत ब्याज को लेखे में लेने के निदेश दिए (अप्रैल 2005)। ये निदेश सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन और अधिप्रापण मैनुअल में पैराग्राफ 89.4 को जोड़ने के पश्चात् जारी किए गए थे।

उत्तर प्रदेश सरकार

मन्त्रियों के जेब खर्च की अधिकतम सीमा तय करना

चूंकि उत्तर प्रदेश मन्त्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में मन्त्रियों के जेब खर्च की कोई सीमा नियत नहीं की गई थी, अतः उन्होंने कोई बिल अथवा समर्थन वाऊचर प्रस्तुत किए बिना 1,597 रुपये से 19,165 रुपये प्रति दिन के बीच वारस्तविक आधार पर दैनिक भत्ता प्रभारित किया। लेखापरीक्षा के बताने पर, सरकार ने नियमों में संशोधन किया (अक्टूबर 2002) तथा 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन राज्य के अन्दर 301 रुपये प्रति दिन और राज्य से बाहर 501 रुपये प्रति दिन की दर पर जेब खर्च की अधिकतम सीमा नियत की।

III अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

उत्तर प्रदेश सरकार

सर्वेक्षण तथा योजना

सड़क नेटवर्क की पर्याप्त उपलब्धता और उसका सतत उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग को चिन्हित स्थानों का वर्ष में दो बार सर्वेक्षण जैसे: विभिन्न श्रेणियों की सड़को- राष्ट्रीय-राजमार्गों (एन एच), राज्य राजमार्गों (एस एच), प्रमुख ज़िला सड़कों (एम डी आर) तथा अन्य ज़िला सड़कों (ओ डी आर) पर स्टेशनों की गिनती करके यातायात घनत्व को मापने एवम् जहां आवश्यक हो उनके उत्थान के लिए प्राथमिकताएं तय करना था। तथापि, सर्वेक्षण वर्ष में केवल एक बार ही किया गया था और वह भी 1997-2001 के दौरान एन एच और एस एच के संबंध में 12 से 56 प्रतिशत के बीच और एम डी आर तथा ओ डी आर पर कुछ गिने चुने स्टेशनों पर।

मामले पर 29-30 अगस्त 2005 को हुई पी ए सी की बैठक में चर्चा की गई थी। पी ए सी ने सड़कों को मज़बूत बनाने तथा उनके उत्थान की समुचित योजना के लिए नियमित सर्वेक्षण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निदेश दिए। मुख्य अभियन्ता ने आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए (नवम्बर 2005)।

अध्याय 5

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार और राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों की लेखापरीक्षा के आधार पर संसद/विधान-मण्डल में बहुत से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल कुछ अधिक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सार सम्मिलित हैं। विभिन्न लेखापरीक्षाओं में शामिल लेखापरीक्षा के तकनीकी स्वरूप के आधार पर प्रतिवेदनों को आठ क्षेत्रों⁸ और दो समूहों नामतः नियमित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभक्त किया गया है।

संघ सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं के साथ साथ इन लेखाओं में विभिन्न लेन-देनों की लेखापरीक्षा करते हैं।

सिविल

सिविल मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से अभ्युक्तियों को सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है :

नियमितता लेखापरीक्षा

- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड एवं पुलों के पूरा होने के पश्चात् पथकर फीस के उद्ग्रहण के लिए अधिसूचनाओं के जारी करने के लिए समय सीमा को निर्दिष्ट करने में जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप पथकर फीस के उद्ग्रहण पर विलम्ब से अधिसूचना के कारण 85.90 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।
- गुजरात डाक मण्डल के अन्तर्गत डाक घर, सिटी डिवीजन, अहमदाबाद के वरिष्ठ अधीक्षक और मुख्य महाडाकपाल, महाराष्ट्र डाक मण्डल ने अपात्र प्रकाशनों के लिए रियायती टैरिफ प्राधिकृत किया जिसके परिणामस्वरूप 3.23 करोड़ रुपये के डाक-शुल्क प्रभारों की कम उगाही हुई।
- गृह मंत्रालय द्वारा विहित प्रतिमानों के उल्लंघन में महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) मुख्यालय ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/इकाइयों से 158 वाहनों को वापिस लिया और उन्हें बी एस एफ मुख्यालय में इसके 100 प्राधिकृत वाहनों के अतिरिक्त लगा दिया। 2004 से 2006 तक की अवधि के लिए इन सम्बद्ध वाहनों के पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक (पी ओ एल) और मरम्मत एवं रखरखाव पर 1.76 करोड़ रुपये का व्यय इस प्रकार अनियमित था। इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय इकाइयों की परिचालन प्रभावकारिता को भी प्रभावित किया।
- परिसमाप्त कम्पनियों से उगाही गई फीस को सरकारी खाते में जमा करने में दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बंगलूर, इलाहाबाद और जयपुर के कार्यालयीन परिसमापकों की विफलता के परिणामस्वरूप एक माह से पाँच वर्षों तक 6.13 करोड़ रुपये सरकारी लेखा से अलग रखे गये और संघ सरकार की औसत उधार दर पर 66.53 लाख रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई।
- वित्त मंत्रालय ने संसद द्वारा बैंकिंग विनियमन (संशोधन) बिल के पारित होने की प्रत्याशा में 'सहकारी क्रेडिट संरचना के पुनः नवीकरण' योजना के अन्तर्गत मार्च 2003 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (एन ए बी ए आर डी) को 100 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये। योजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि बिल पारित नहीं हुआ था जिसके कारण निधियाँ तीन वर्षों तक अप्रयुक्त रहीं, परिणामस्वरूप 25.30 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

⁸ सिविल, स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक विभाग, स्था सेवाएं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, रेलवे और वाणिज्यिक

- महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने संस्वीकृत क्षमता से अधिक और इस बारे में गृह मंत्रालय के अनुदेशों की अवहेलना में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/इकाईयों से बहुत से कर्मचारियों को वापस ले कर निदेशालय में अनियमित रूप से लगाया। अकेले 2003-04 से 2004-05 तक की अवधि के लिए संस्वीकृत क्षमता के अतिरिक्त लगाये गये कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय 5.19 करोड़ रुपये हुआ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना के लिए प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने में बिलम्ब ने कम्प्यूटर शिक्षा के अभिप्रेत लाभ से दिल्ली में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को वंचित किया। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के लिए 12.37 करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर भी निष्क्रिय रहे।
- दिल्ली जल बोर्ड भवन और अन्य निर्माण कामगारों के कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत यथाअपेक्षित ठेकेदारों के बिलों से 2.68 करोड़ रुपये की राशि के उपकर की वसूली करने में विफल रहा। उपकर के जमा न करने के कारण बोर्ड कम से कम 2.68 करोड़ रुपये की शास्ति के लिए भी दायी था।

निष्पादन लेखापरीक्षा

- डाक विभाग में डाक प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पता चला कि डाक ट्रैफिक ने निजी कोशिरों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और दूर संचार क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाओं, विशेषतौर पर संचार के अन्य साधनों के कारण गत पाँच वर्षों के दौरान लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। डाक विभाग अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने, स्टाफ लागत को कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में अपने परिचालनों का आधुनिकीकरण करने में विफल हुआ और पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर हानियाँ वहन करता रहा एवं 20 में से 16 डाक सेवाएँ वर्षों से निरन्तर हानियाँ वहन कर रही हैं। 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निवल हानि 1,207.71 करोड़ रुपये थी। स्वचालित डाक प्रोसेसिंग मशीनों और कलर-फेसर-केन्सलर मशीनों के प्रयोग के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए चेन्नई एवं मुम्बई में डाक छँटाई प्रचालनों के आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिक बनाने के लिए विभाग के प्रयास डाक के मानकीकरण और मानक डाक स्टेशनरी का उपयोग करने के लाभ के बारे में पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी सुनिश्चित करने में 60.25 करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद, भी इसकी विफलता के कारण सफल नहीं हुए।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चार बड़े सार्वजनिक अस्पतालों के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से की गयी कि वो उपलब्ध संसाधनों और अवसरचना का सफल उपयोग करके किस तरह उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करने का कार्य रहे है। समीक्षा किये गये अस्पताल दिल्ली सरकार के अन्तर्गत लोक नायक अस्पताल (एल एन एच) और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डी डी यू एच), एम सी डी के अन्तर्गत हिन्दू राव अस्पताल (एच आर एच) और एन डी एम सी के अन्तर्गत चरक पालिका अस्पताल (सी पी एच) थे। लेखापरीक्षा से पता चला कि चारों अस्पतालों में मेडिकल, पैरा मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की क्षमता पर्याप्त से कम थी जिसने रोगी देख-रेख को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। रोगियों, जिन्हें शल्यचिकित्सा और विभिन्न जाँचों की सलाह दी जाती थी, का प्रतीक्षा समय काफी अधिक बढ़ा। समस्या, रोगी संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होने से, पुनः जटिल हो गई थी जबकि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या स्थिर रही जिसके कारण वार्डों में भीड़ हो गई। अस्पतालों में दुर्घटना और आपातकालीन सेवाएं भी मेडिकल स्टाफ, आवश्यक दवाइयों और अवसरचना सुविधाओं की कमी से समान रूप से प्रभावित हुईं। डी डी यू एच में 73 क्रय आदेश निम्नतम निविदाकार की अपेक्षा दूसरे को दिये गये जिसके कारण 31.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। एल एन एच और एच आर एच ने विहित प्रतिमानों के उल्लंघन में आपूर्तिकारों से कम जीवन काल वाली 1.04 करोड़ रुपये मूल्य की दवाइयों और वैक्सिनो को स्वीकार किया। अस्पताल एम्बुलेंसों का अकेले रोगियों को स्थानान्तरित करने के यथार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया। दो अस्पतालों में एम्बुलेंसों को आवश्यक जीवन समर्थित उपस्करों से भी सज्जित नहीं किया गया था। जीवन बचाने वाली आवश्यक औषधियों और दवाइयों की स्टॉकिंग के लिए अस्पतालों में स्टाक प्रबन्ध पॉलिसी दोषपूर्ण थी। सीमांत रूप से बीमार रोगियों सहित गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रोगी जीवन बचाने वाली आवश्यक औषधियों और दवाइयों से वंचित रहे। अस्पतालों द्वारा जैव-चिकित्सा व्यर्थ पदार्थ का प्रबन्धन और प्रहस्तन दक्ष नहीं था और अस्पताल जैव-चिकित्सा व्यर्थ पदार्थ प्रबन्धन एवं प्रहस्तन नियमावली, 1998 का उल्लंघन करते हुए भी पाये गये। अस्पताल-सम्बद्ध संक्रमण का रोकथाम एवं नियंत्रण कमजोर था और अस्पतालों में रोगी शिकायत सुधार प्रणाली में निवेशन और सापेक्ष महत्व का अभाव था।

रक्षा सेवाएं

रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ अधिक महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ निम्नलिखित हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

- चैन्नई में मद्रास यूनाइटेड क्लब, जबलपुर एवं बेलगाँव में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, आवदि में भारतीय स्टेट बैंक और बेलगाँव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकार में ली गई रक्षा भूमि के पट्टे के नवीनीकरण में 6 से 36 वर्षों तक असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप कई करोड़ रुपये के भाड़े और प्रीमियम की पर्याप्त राशि की वसूली नहीं हुई और उस पर ब्याज की हानि हुई।
- प्रति विद्रोही भत्ते की स्वीकार्यता को शासित करने वाले आदेशों के उल्लंघन में सीमा सड़क संगठन में तैनात सैन्य अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों के रैंक से कम के अधिकारियों और कार्मिकों को कुल 2.99 करोड़ रुपये के विद्रोही भत्ते का भुगतान किया गया था यद्यपि उन्हें वास्तविक रूप से प्रति विद्रोही प्रचालनों में नहीं लगाया गया था।
- भारतीय वायु सेना ने प्राइम रक्षा भूमि पर वाणिज्यिक उद्यम के रूप में एक ऑडिटोरियम चलाने की अनुमति दी और कोई भी वित्तीय लाभ रक्षा मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार सरकार को नहीं दिया जा रहा था हालांकि सुविधाओं को पूरा करने के लिए श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को भारतीय वायु सेना से विपश्चित किया जा रहा था। सरकार ने भाड़े की वसूली न होने के कारण 8.02 करोड़ रुपये की सीमा तक राजस्व की हानि उठाई, तथा इसने ऑडिटोरियम के लिए अनावश्यक स्थापना के सृजन के लिए 1.37 करोड़ रुपये का अप्राधिकृत व्यय किया और विद्युत की खपत के कारण हानि उठाई जिसका अभी निर्धारण किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा

आयात के माध्यम से अधिप्राप्ति पर मुख्य रूप से केन्द्रित थल सेना से संबंधित पूँजी अधिग्रहणों की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला :

- जबकि प्राप्ति योजना और बजटीय प्रबंधन ने 2005 से सुधारों को दिखाया, फिर भी गत तीन-पाँच वर्षों थल सेना योजनाएं अत्यधिक रूप से अपूर्ण रहीं। तीनों सेवाओं अर्थात थल सेना, वायु सेना एवं नौ सेना में सामान्य मर्दों की अधिप्राप्ति में समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप अदक्षता हुई। जी एस क्यू आर के निरूपण में कमियों ने अधिप्राप्ति में विलम्ब के अतिरिक्त इष्टतम उत्पाद के चयन में बाधा डाली। तकनीकी और परीक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया ने उद्देश्यता और स्पष्ट भूमिका को प्रदर्शित नहीं किया। 60 प्रतिशत मामलों में मात्र एक विक्रेता पूर्व अर्हक था। परीक्षण मूल्यांकन के लिए लिया गया समय अनुचित रूप से अधिक था और परीक्षण मूल्यांकन रिपोर्ट को बनाने के लिए लिया गया समय परीक्षणों में लिए गए समय से भी अधिक था। अधिक अधिप्राप्तियों के लिए आन्तरिक लीड समय बहुत अधिक था और अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अदक्ष विधि के कारण फास्ट ट्रेक प्रोसीजर के माध्यम से अधिप्राप्ति में अपर्याप्त विलम्ब हुआ था। जवाबदेही के छितरे केन्द्रों सहित बहुविध एजेंसियों के कारण समन्वय का अभाव, विसरित जवाबदेही और विलम्ब हुआ।

वैज्ञानिक विभाग

निष्पादन लेखापरीक्षा

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) नई दिल्ली देशज प्रौद्योगिकियों के विकास और सुधार के अनुसंधान के केन्द्र, के आधुनिकीकरण योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि यद्यपि सी एस आई आर ने अपनी प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर 262.38 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया फिर भी इसने 361.09 करोड़ रुपये के प्रत्याशित क्रमिक ई सी एफ के प्रति 15.06 करोड़ रुपये के ऋणात्मक क्रमिक बाह्य नगदी बहिर्गमन (ई सी एफ) का अर्जन किया। अनुसंधान पेपरों के प्रकाशन और पेटेंट्स को दाखिल करने के लक्ष्यों की उपलब्धि में क्रमशः 43 और 45 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सी एस आई आर की प्रयोगशालाओं/संस्थाओं द्वारा खरीदे गये उपस्कर का गलत प्रबंध किया गया। प्रतिष्ठापित न करने (तीन प्रयोगशालाओं में 0.57 करोड़ रुपये मूल्य के चार उपस्कर), एक वर्ष से तीन वर्षों से अधिक तक के मध्य की अवधि के लिए प्रतिष्ठापन में विलम्ब (ग्यारह प्रयोगशालाओं में 8.41 करोड़ रुपये

की लागत के 25 उपस्कर), मरम्मत न होने (पाँच प्रयोगशालाओं में 1.47 करोड़ रुपये मूल्य के आठ उपस्कर) और उपयोग न करने/कम उपयोग (आठ प्रयोगशालाओं में 7.38 करोड़ रुपये की लागत के 14 उपस्कर) के मामले थे।

स्वायत्त निकाय

2005-06 के दौरान 259 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे। भारत सरकार ने इन स्वायत्त निकायों को 13,222.69 करोड़ रुपये के अनुदान और 175.47 करोड़ रुपये के कर्ज़ निर्मुक्त किये। बड़े लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे सारांशिकृत किया गया है :

नियमितता लेखापरीक्षा

- भारतीय मानक ब्यूरो ने अगस्त 1994 में मार्किंग फीस संशोधित की लेकिन प्रबंधन ने इसे राजपत्र में अधिसूचित करने और प्रकाशित करने में ग्यारह वर्ष लिये। इसके कारण 1.63 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।
- औपचारिक रूप से केन्द्रीय सूची प्राधिकरण को स्थापित किये बिना उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य समर्थित कर्मचारियों की नियुक्ति के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विवेकहीन निर्णय के परिणामस्वरूप 2003-05 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों और कार्यालय व्यय आदि पर 43.73 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ जबकि उन्होंने कोई कार्यालयीन ज्यूटी नहीं की।
- प्रसार भारती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इसने उपयुक्त विपणन योजना के बिना भारत एवं आस्ट्रेलिया, भारत एवं साउथ अफ्रीका और भारत एवं पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले टेस्ट क्रिकेट मैचों के दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए क्रिकेट प्रसारण अधिकारों को प्राप्त किया और इसके बाद विज्ञापन की दरें मनमाने ढंग से तय की जो प्रक्षेपित दरों से कम थी। इसके परिणामस्वरूप, 51.59 करोड़ रुपये के प्रत्याशित राजस्व की हानि हुई, प्रसार भारती ने लेन-देन में 9.98 करोड़ रुपये की नगद हानि वहन की।
- कोलकाता पत्तन न्यास के सागर एन्कोरेज में पूरे वर्ष में नौभार प्रचालनों को करने के लिए पोर्ट इस्ट ने 5.73 करोड़ रुपये की लागत पर वास्तविक जैटी का निर्माण किया। वास्तविक जैटी फरवरी 2004 में लगाई गई थी। तथापि, जैटी नौभार प्रहस्तन के लिए उपयुक्त श्रेणी एवं आवश्यक साइज की नौकाओं की अनुपलब्धता के कारण लगाने के पश्चात् दो वर्ष नौ माह तक अप्रयुक्त रही जिससे समस्त व्यय अलामदायक हो गये। 5.96 रुपये की लागत से चैनल पर वास्तविक जैटी की तरफ तलककर्षण किया गया जो वास्तविक जैटी के उचित उपयोग के लिए अपेक्षित 7.8 मीटर तक ड्रॉफ्ट के बढ़ाने के इसके उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा।
- सागर द्वीप में समुद्र तट आधाशित पायलट स्टेशन के संचालन प्रचालन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास ने परामर्शदाता द्वारा संस्तुत उपार्यों की सक्षमता का पर्याप्त रूप से निर्धारण किये बिना पहुँच चैनल और बन्दरगाह के तलककर्षण/उत्खनन के लिए 3.07 करोड़ रुपये खर्च किये। इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार सृजित पहुंच चैनल और बन्दरगाह विद्यमान में व्यावहारिक रूप से बन्द हो गया था जिससे 3.07 करोड़ रुपये का कुल व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

निष्पादन लेखापरीक्षा

- विश्व भारती विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :
- विश्वविद्यालय की भूमि पर बहुत से अतिक्रमण थे। विश्वविद्यालय अतिक्रमणकर्ताओं के कोई प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा।
 - विश्वविद्यालय ने शिल्प-तथ्यों के डिजिटाइजेशन, फोटो प्रलेखन और कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करते हुए शिल्पकारियों एवं अन्य संग्रहालय वस्तुओं को खतों में लेने और सुरक्षा के पर्याप्त प्रयास नहीं किये।
 - रविन्द्र भवन से संबंधित संग्रहालय के सामान को छोड़कर गत पाँच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में चल परिसम्पत्तियों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया ।
 - कला भवन से यह अभिनिश्चय किया गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, नन्दलाल बोस जैसे कलाकारों की 30 पेंटिंग और 886 अन्य कला वस्तुएं लापता थीं। मामले की कोई जाँच-पड़ताल नहीं की गई थी।

- विश्वविद्यालय के सग्रहालयों को जैसे रबिन्द्र भवन और कला भवन को घुसपैठिया अलार्म/सी सी टी वी/मेटल डिटेक्टर जैसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा जुगतों से सज्जित नहीं किया गया।
- केम्पस में अग्निश्मन उपाय अपर्याप्त हैं। विश्वविद्यालय का भवन पुराना होने की वजह से अग्नि का जोखिम है।
- संरक्षण/पुनरुद्धार पर व्यय ने समीक्षा की अवधि के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई।
- रबिन्द्र भवन में 175 शिल्पतथ्य अनुचित प्रतिरक्षण के कारण क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। उदायना, पुनाश्चया, उदीची, श्यामली और रबिन्द्र भवन की पैतृक सम्पत्ति भवन जीर्णावस्था स्थिति में थी और पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी।
- कला भवन में शिल्पतथ्यों की प्रत्यक्ष स्थिति का आवधिक रूप से निर्धारण करने और उनकी कला वस्तुओं की क्षति के स्वरूप की पहचान करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
- ख्याति प्राप्ति कलाकारों द्वारा सृजित बहुत सी बाह्य मूर्तिकलाओं और भित्तिचित्रों को किसी विभागीय प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इन बाह्य अमूल्य खजानों में से कुछ के रखरखाव के लिए किसी भवन ने कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया। इन वस्तुओं में से बहुत सी ने उचित रखरखाव के अभाव के कारण अवक्रमण के संकेत पहले ही विकसित हो चुके हैं।

मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्ध पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

- पत्तन के पास दस्तावेजी पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना (ई एम पी) नहीं थी। इसने नियामक आवश्यकताओं के बावजूद भी पर्यावरणीय प्रबन्ध लेखापरीक्षा नहीं की जिससे पर्यावरणीय मामलों पर इसका नियंत्रण कम हो गया।
- नई परियोजनाओं पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को नहीं लिया गया।
- पर्यावरणीय मॉनीटरिंग, तेल छलकाव पर काबू पाने, आदि के लिए खरीदे गये अनिवार्य उपकरणों का रखरखाव करने में विफल होने के साथ साथ अर्हता प्राप्त श्रमबल की कमी ने प्रदूषण नियंत्रण कक्ष के कार्यचालन में बाधा डाली।
- छः वर्ष पहले परित्यक्त पुरानी पाइपलाइनों को अभी भी हटाया जाना था, जो पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर रही थीं।
- खतरनाक वेस्ट प्रबन्ध को नज़रअंदाज किया गया जैसाकि मुम्बई पत्तन न्यास (एम बी पी टी) कीचड़, छलके पानी और गंदी रोड़ी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के पर्याप्त उपायों को करने में विफल रहा।
- एम बी पी टी ने वायु और पानी की गुणवत्ता को उचित रूप से मॉनीटर नहीं किया और बन्दरगाह जल में प्रदूषण नियंत्रण करने में विफल रहा। वायु प्रदूषण स्तर की जाँच करने के लिए इसके द्वारा अपनाई गई प्रणाली नियामक मार्गनिर्देशों के अनुसार नहीं थी।
- एम बी पी टी ने सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जहाज तोड़ने के कार्यकलापों को मॉनीटर नहीं किया।
- एम बी पी टी ने राष्ट्रीय तेल छलकन दुर्घटना आकस्मिक योजना (एन ओ एस - डी सी पी) से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों पर ध्यान नहीं दिया।

रेलवे

रेल मंत्रालय पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सार नीचे दिये गये हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

- निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार कोर्चों के आवधिक ओवरहॉलिंग को पूरा करने में रेलवे की विफलता के परिणामस्वरूप 201.96 करोड़ रुपये की अर्जन क्षमता की हानि हुई।
- ब्रॉड गेज लाइन के पुनरुद्धार को अवास्तविक अनुमानों के आधार पर इसे व्यवहार्य मानने के परिणामस्वरूप 97.46 करोड़ रुपये का अलाभदायक निवेश हुआ।

- रेल प्रशासन मीटर गेज लाइन के गेज परिवर्तन के दौरान विभिन्न कार्यों को समय में पूरा नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप 29.83 करोड़ रुपये के अवरूद्ध होने के अतिरिक्त आवंटित निधियों (58.72 करोड़ रुपये) का अस्थर्पण हुआ।
- अतिक्रमणों से अपनी भूमि को मुक्त रखने में रेलवे की विफलता ने लगभग छः वर्षों के लिए 11 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के अतिरिक्त निवल अर्जनों के लाभ से उसे वंचित किया और इसके परिणामस्वरूप अधिक समय लगने के कारण 35.13 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि भी हुई।
- निर्माण के दौरान मटियार मिट्टी वाले तटबंध के कमजोर निर्माण और बाद में तटबंधों के लिए अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन की अनुशंसाओं के अननुपालन के परिणामस्वरूप 39.92 करोड़ रुपये की राशि के स्टॉक की हानि/क्षति हुई।
- काम की वास्तविक सम्भावनाओं का निर्धारण किये बिना, बिना बारी के कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप भूमि की लागत (22.64 करोड़ रुपये) सहित 44.06 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ जो आवश्यकता से फालतू हो गया।
- रेल प्रशासन ने रेलवे भूमि के अन्तरण के लिए विहित संहितीय प्रावधानों की अवहेलना की जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को 34.12 करोड़ रुपये की हानि हुई।
- साइडिंग मालिकों के साथ करारों के निष्पादन में और वर्तमान नियमों के अनुसार बिलों को उद्भूत करने में खराब प्रबन्ध के कारण 81.65 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।
- समिति की सिफारिशों के अनुसार रखरखाव प्रभारों की दरों को न अपनाये जाने के परिणामस्वरूप रेलवे को 180.51 करोड़ रुपये की हानि हुई। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार पूँजी लागत का सही रूप से निर्धारण करने में विफल होने के कारण 14.20 करोड़ रुपये के रखरखाव प्रभारों की कम वसूली हुई।
- विद्युत कनेक्शनों के पृथक्करण के लिए और रेलवे क्वार्टरों के लिए सीधे कनेक्शनों का प्रबन्ध करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने में रेलवे की विफलता के परिणामस्वरूप अकेले दो वर्षों में 46.77 करोड़ रुपये की हानि हुई। आवर्ती हानि लगातार होती रहेगी जब तक उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जाती।

निष्पादन लेखापरीक्षा

- रेलवे ने शर्तों का अनुपालन किये बिना भाड़ा गाड़ियों में वैगनों का लदान बढ़ाने की अनुमति दी और स्टेशनों, यार्डों, आदि में अवरोधनों के कारण 168.48 करोड़ रुपये के अर्जनों तथा वर्कशॉप में वैगनों के अवरोधन के कारण 65.26 करोड़ की हानि उठाई।
- भारतीय रेलवे ने विभिन्न सफाई कार्यकलापों के लिए न तो कोई बेंचमार्क मानक बनाये और न ही सशक्तिशील कार्रवाई योजना। सफाई के लिए उत्तरदायी बहुविध विभागों के शामिल होने के कारण उनके मध्य समन्वय का अभाव हुआ जिसने सफाई प्रयासों को अप्रभावी बनाया।
- भारतीय रेलवे ने कार्यों के पूरा होने में विलम्ब के कारण रेलपथ नवीनीकरण कार्यों की योजना एवं निष्पादन में अनुमानों की अपेक्षा अधिक व्यय किया और यह सम्भावना थी कि शेष कार्यों को पूरा करने को लक्षित वर्ष 2006-07 के प्रति आगामी वर्षों में चला जायेगा।
- दो रेल खण्डों (42.64 कि मी) से बनी हुई मल्टीमॉडल कम्प्यूटर परिवहन प्रणाली, हैदराबाद की परियोजना के चरण I को उचित व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना रेलवे द्वारा शुरू किया गया था और परियोजना को स्फीत/गलत डाटा के आधार पर वित्तीय रूप से न्यायसंगत ठहराया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

- यात्री आरक्षण प्रणाली सेवाएं, रेलवे ओ एफ सी नेटवर्क पर स्थानान्तरित करने के लिए विस्तृत पॉलिसी के बावजूद, पट्टे वाले बी एस एन एल चैनलों की बार-बार और व्यापक विफलताओं के कारण विभिन्न बुकिंग स्थानों पर बाधित रही थीं। स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट संकेतकों के साथ कोई रोड मैप नहीं था।

प्रत्यक्ष कर

2005-06 के दौरान संघ सरकार ने प्रत्यक्ष करों से राजस्व के रूप में 1,65, 216 करोड़ रुपये का संग्रहण किया। राजस्वों के संग्रहण की लेखापरीक्षा (प्रत्यक्षकर और अप्रत्यक्षकर) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की गई थी। अवनिर्धारण/अधिक निर्धारण पर कुल 15,930 अम्युक्तियाँ जिसमें 7,651 करोड़ रुपये का कर प्रभाव शामिल था को 2005-06 के दौरान लेखापरीक्षा में उद्भूत किया गया था। प्रतिवेदन में बड़ी अनियमितताओं के 862 मामलों को शामिल किया गया जिसमें 1,770 करोड़ रुपये के कर का अव प्रभाव शामिल था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अम्युक्तियों की मुख्य बातें निम्न रूप में दर्शाई गई हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

- 1,971.33 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले कुल 905 मामलों को अलग-अलग ड्राफ्ट पैराग्राफों के रूप में वित्त मंत्रालय को जारी किया गया था जिसमें से 862 मामले जिसमें 1,770.30 करोड़ रुपये का कर प्रभाव शामिल था को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।
- प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण 19.73 प्रतिशत की वृद्धि की औसत वार्षिक दर पर 2001-02 में 69,198 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 1,65,216 करोड़ रुपये हो गया। निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहणों का 74.98 प्रतिशत पूर्व-निर्धारण चरण पर किया गया था जिसमें से 53.37 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में था। गैर-निगमित निर्धारणों के मामले में सकल संग्रहण का 90.64 प्रतिशत पूर्व-निर्धारण चरण पर किया गया था जिसमें से 51.89 प्रतिशत टी डी एस के रूप में था।
- निर्धारण अधिकारियों ने 149 मामलों में गैर-हकदारी व्यय या प्रावधानों, देयता और दावों एवं मूल्यहास की अनुमति में गलतियों की जिसमें 476.73 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव शामिल था।

निष्पादन लेखापरीक्षा

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स एवं अनुबंधियों, इस्पात और व्यापार के चयनित क्षेत्रों में चयनित कम्पनियों का निर्धारण

- निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित चयनित कम्पनियों के कर की प्रभावी दर क्रमशः 20 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 17 प्रतिशत के रूप में अनुमानित की गई थी और अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत सभी लाभों के बारे में कर व्यय क्रमशः 915.30 करोड़ रुपये, 768.70 करोड़ रुपये और 2,287.60 करोड़ रुपये था।
- लेखापरीक्षा के ध्यान में विभिन्न प्रकारों की 559 गलतियाँ आई जिसमें चार चयनित क्षेत्रों में सभी चयनित कम्पनियों के निर्धारणों में 1,508.83 करोड़ रुपये का कर प्रभाव शामिल था, चाहे निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधानों या विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया था। कम्प्यूटर क्षेत्र में 266.73 करोड़ रुपये की राशि की अनियमितताएं धारा 10 ए/10बी के अधीन छूटों के संबंध में ध्यान में आई थीं। अनुबंधियों और व्यापार क्षेत्र सहित आटोमोबाइल में 308.43 करोड़ रुपये की राशि की अनियमितताएं मूल्यहास को अनुमत करने और हानियों के समंजन करने से संबंधित ध्यान में आई थीं। इस्पात क्षेत्र में 91.60 करोड़ रुपये की राशि की अनियमितताएं अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना के बारे में ध्यान में आई थीं।
- लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कम्पनियों के लाभ पैटर्न/अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण में अन्तरो को संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करते समय उच्च वरीयता दी जा सकती है। सरकार निर्धारणों को पूरा करते समय व्यापक स्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए धारा 10ए/10बी के अधीन कटौतियों, अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियों और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना के बारे में सुस्पष्ट मार्गनिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है। सरकार की राजस्व हानि की प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र बेहतर को सुदृढ़ किया जाए जिससे अभिलेखों का बेहतर मॉनीटरिंग एवं मिलान, निर्धारण अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय तथा उच्चतर गुणवत्ता के निर्धारणों को किया जा सके।

टी डी एस/टी सी एस योजनाओं का कार्यान्वयन

- लेखापरीक्षा के ध्यान में 12,814 मामलों में गलतियाँ आई जिसमें 389.20 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव शामिल था, इसमें से उद्ग्राह्य शास्ति 63.23 करोड़ रुपये थी। गलतियाँ 204.19 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभावी वाली गैर-रिहायशी/विदेशी कम्पनियों के 82 मामलों में ध्यान में आई थीं। लेखापरीक्षा ने 16 मामलों में स्रोत पर संग्रहित कर की चूक से संबंधित गलतियाँ देखीं जिसमें 3.90 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव शामिल था।
- लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहीत डाटा ने बीमा कमीशन, पुनर्बीमा कमीशन, गैर-रिहायशियों को भुगतान और शराब की बिक्री से टी डी एस एवं टी सी एस के लिए प्रचुर संभाव्य को दर्शाया।
- ई-टी डी एस योजना के मूल्यांकन से पता चला कि दायर की गई ई-टी डी एस विवरणियाँ ज्यादातर साफ्टवेयर सम्बन्धित समस्याओं और प्रशिक्षित श्रमबल की अपर्याप्तता के कारण पिछले तीन वर्षों के लिए असंसाधित रही।
- लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि मंत्रालय सभी कर कटौतीकर्ताओं को कर दायरे में लाने के लिए और अधिनियम के अन्तर्गत यथाअपेक्षित टी डी एस/टी सी एस की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। पर्याप्त प्रवर्तन तन्त्र को निर्धारण में सुसंगत सुनिश्चित करने के लिए और राजस्व की हानि को रोकने के लिए विशेष स्म से अन्तर्राष्ट्रीय कराधान के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। टी डी एस और नियमित निर्धारण इकाईयों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना चाहिए। सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं और प्रशिक्षित श्रमबल में अपर्याप्तता पर अत्यावश्यक स्म से ध्यान दिया जाए जिससे ई-टी डी एस विवरणियों को संसाधित किया जा सके और सरकार को देय राजस्व की उगाही हो सके।

खेल संघों/संस्थानों और खिलाड़ियों का निर्धारण

- लेखापरीक्षा ने अनियमितताओं के कुल 158 मामले देखे जिसमें 190.92 करोड़ रुपये का कर प्रभाव शामिल था। इनमें से 179.80 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाली अनियमितताओं के 130 मामले खेल संघों/संस्थानों के संबंध में और 11.12 करोड़ रुपये के कर प्रभाव के 28 मामले खिलाड़ियों के सम्बन्ध में थे।
- लेखापरीक्षा ने खेल संघों/संस्थानों और खिलाड़ियों को दी गई अनियमित छूटों एवं कटौतियों, खिलाड़ियों को किये गये भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती न करने, खेल संघों/संस्थानों के मामले में विवरणियों के दाखिल न करने और विभाग द्वारा लिये गये निर्णयों में असंगतता के मामले देखे। लेखापरीक्षा ने खेल संघों/संस्थानों और खेल क्लबों जिन्हें कर के दायरे में लाया जाना अपेक्षित था, किये गये संवय और इसके उपयोग के बारे में खराब आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र के बहुत से मामले भी देखे। खिलाड़ियों के बारे में लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहाँ उन आय पर कटौतियाँ अनुमत की गयी जिसका अर्जन खिलाड़ियों ने खिलाड़ी के स्म में नहीं किया था।
- संचित आय के निवेश न करने/निर्दिष्ट तरीकों में न किये गये निवेश के कारण दी गई अनियमित छूट के सात मामले थे जिसमें 20.83 करोड़ रुपये का कर प्रभाव शामिल था
- लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को निवेश के वर्षवार ब्यौरे अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसके उपयोग की जाँच करने और यदि आय/संचित आय विशिष्ट उद्देश्यों जिसके लिए संघों/संस्थानों को स्थापित किया गया था के लिए उपयोग की गई है, की जाँच करने के लिए सुदृढ़ किया जा सकता है।

अप्रत्यक्ष कर - सीमाशुल्क

2005-06 के दौरान संघ सरकार ने 65,050 करोड़ रुपये का सीमा-शुल्क संग्रहीत किया। लेखापरीक्षा के कुछ अधिक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिया गया है :

नियमितता लेखापरीक्षा

- उपयोग की गई आयातित "लिनको-इन कार" का सी टी एच 8703 के अन्तर्गत के बजाए सी टी एच 8702 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 12.64 लाख रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।
- विभाग ने 2.63 करोड़ रुपये की सीमा तक मैसर्स ओबराय होटल्स एण्ड एन्टरप्राइजेज लिमिटेड के विदेशी अर्जन के प्रति ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत दो आयात लाइसेंसों को मुक्त करने के लिए मैसर्स बालाजी होटल्स एण्ड इन्टरप्राइजेज लिमिटेड

- को अनुमति देते हुए सीमा शुल्क एवं ब्याज की 3.78 करोड़ रुपये की हानि वहन की। मैसर्स बालाजी होटल्स एण्ड इन्टर्राइजेज मैसर्स ओबराय होटल्स एण्ड इन्टर्राइजेज के समूह से संबंध नहीं रखता था और तदनुसार मैसर्स बालाजी होटल्स द्वारा ई ओ के रिहा करने के लिए मैसर्स ओबराय होटल्स एण्ड इन्टर्राइजेज के अर्जनों की गणना गलत थी।
- मालगोदाम के माल को अनुचित रूम से हटाने और शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र लाभ के गलत विस्तार के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 1.87 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की हानि हुई।
- सीमाशुल्क कमिश्नरी (निरोधक), पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत कृष्णानगर सीमाशुल्क डिवीजन की औरंगाबाद सीमाशुल्क निरोधक इकाई द्वारा सितम्बर 2003 और अप्रैल 2004 के मध्य जब्त की गई दवाईयों के चार प्रेषणों का उनके जब्त करने के पश्चात् निपटान नहीं किया गया और लम्बे भण्डारण के कारण इन दवाईयों की समय समाप्ति/क्षति हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप 76.85 लाख रुपये की हानि हुई।

अप्रत्यक्ष कर : केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्ति और सेवा कर

2005-06 में संघ सरकार ने 1,11,226 करोड़ रुपये का केन्द्रीय उत्पादशुल्क संग्रहीत किया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

नियमितता लेखापरीक्षा

केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राप्ति

- 1,197.09 करोड़ रुपये का राजस्व केन्द्र सरकार को कम आवंटित किया गया था क्योंकि शुल्क को गलती से विक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए ई डी) के रूप में राज्यों को क्रेडिट किया गया था।
- छूट प्राप्त माल या बट्टे खाते डाली गई प्रयोज्य सामग्री पर मोडवेट/सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेने, अयोग्य माल या शुल्कों पर क्रेडिट के लेने, छूट प्राप्त माल के डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं या क्रेताओं को सेनवेट क्रेडिट का गलत दिया जाना, दोहरे लाभ का लेना, शुल्क के भुगतान के बिना क्रेडिट का पूर्वपरिपक्व लाभ लेना अथवा क्रेडिट का लाभ लेना, आदि के मामले लेखापरीक्षा में ध्यान में आये थे। इन मामलों में शामिल शुल्क 64.63 करोड़ रुपये था।
- लेन-देन मूल्य के गलत अपनाने, लागत आधार पर माल के गलत मूल्यांकन, आदि, के कारण अवमूल्यांकन के दृष्टांत ध्यान में आये थे। कम उद्ग्रहीत शुल्क की राशि 52.71 करोड़ रुपये थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा

अनन्तिम निर्धारण की समीक्षा

- 2,087 लॉबित अनन्तिम निर्धारण मामलों में विभेदक शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया था। इसलिए इन मामलों में प्राप्त किये जाने वाले अपेक्षित बॉण्ड/प्रतिभूति की राशि की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। नियमों में छः माह की सामान्य समय सीमा के समावेशन होने के बावजूद 2,260 अनन्तिम निर्धारण मामले छः माह से अधिक और 25 वर्षों तक लम्बित थे।
- 133.23 करोड़ रुपये का राजस्व तीन अनन्तिम निर्धारण मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में जोखिम पर था जिन्हें अभी अनन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

प्लास्टिक और उनसे बनी वस्तुओं पर उत्पादशुल्क की समीक्षा

- नगद में भुगतान किये गये शुल्क के लिए सेनवेट की प्रतिशतता प्लास्टिक उद्योग में अपवाद स्वरूप उच्च थी। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सरकार को सही कारणों का पता लगाना चाहिए और प्लास्टिक क्षेत्र द्वारा सेनवेट के संभाव्य दुरुस्मयों से बचने के लिए बचाव के तरीके निकालने चाहिए।
- आन्तरिक रूप से उपभुक्त माल के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 64.88 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।
- सेनवेट क्रेडिट में अनियमित लाभ लेने के परिणामस्वरूप 9.07 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

प्रबन्ध परामर्शदाता की सेवाओं, वैज्ञानिक अथवा तकनीकी परामर्शी सेवाओं, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाओं एवं तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण सेवाओं पर सेवा कर की समीक्षा

- अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं को कर के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा किये गये उपाय अप्रभावी और अपर्याप्त थे। लेखापरीक्षा ने 86.96 करोड़ रुपये के राजस्व की अनुमानित हानि सहित 777 अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान की। 86.96 करोड़ रुपये की शास्ति और 15.12 करोड़ रुपये का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।
- 6.12 करोड़ रुपये के सेवा कर का अवधि के दौरान 105 पंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा अपवंचन हुआ जबकि उन्होंने विवरणियाँ दाखिल नहीं की।
- विवरणियों की संवीक्षा अप्रभावी थी और इनकी संवीक्षा करने के लिए पॉलिसी अस्पष्ट थी। विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों के जोखिम आघासित चयन को अपनाने की आवश्यकता है।
- 5.66 करोड़ रुपये के सेवा कर का करयोग्य मूल्य के छिपाव के कारण 116 पंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा कम भुगतान किया गया था।

सेवा कर

2005-06 के दौरान संघ सरकार ने 23,055 करोड़ रुपये के सेवा कर का संग्रहण किया। सेवा कर के संग्रहण की लेखापरीक्षा से पता चला कि 23.47 करोड़ रुपये के सेवा कर का सरकार को भुगतान नहीं किया गया था अथवा 32 मामलों में भुगतान से बच गया था।

वाणिज्यिक - केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

2005-06 में 304 केन्द्र सरकारी कम्पनियां, 94 मानी गई सरकारी कम्पनियां और छः सांविधिक निगम थे। केन्द्रीय वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुछ और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

- स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया की गुआ अयस्क खानों में संचित 35.04 एम एम टी परिष्कृत लोह अयस्क का निपटान न होने के परिणामस्वरूप मार्च 2005 तक 1.507 करोड़ रुपये के राजस्व की उगाही नहीं हुई।
- भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को देय से उच्च दरों पर सात वर्षीय गारन्टी योजना के अंतर्गत राज्य भाण्डागारण निगमों से गोदामों को किराए पर लेने के कारण 348.61 करोड़ रु का अतिरिक्त व्यय किया। प्राप्त भण्डारण जगह का भी उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया, परिणामस्वरूप फरवरी 2002 से मार्च 2006 तक की अवधि के लिए 287.90 करोड़ रु पर मूल्यांकित निष्क्रिय/बेशी क्षमता रही।
- भारतीय खाद्य निगम ने आठ किलोमीटर के अन्दर लेवी के चावल की सुपुर्दगी के लिए चावल मिल मालिकों को परिवहन प्रभार अनुमत किए, परिणामस्वरूप 1999-2000 से 2002-03 के दौरान 160.39 करोड़ रु का परिहार्य व्यय हुआ।
- पर्वतीय परिवहन आर्थिक सहायता के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बड़े हुए परिवहन बिलों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 2002-03 से 2004-05 तक के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार को 67.40 करोड़ रुपये के परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के कारण 2004-05 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में अधिक खाद्यान्न जारी किए गए थे, परिणामस्वरूप भारत सरकार पर 18.06 करोड़ रु की आर्थिक सहायता का बोझ पड़ा।
- बहुत बड़े कच्चे तेल वाहकों (वी एल सी सी) के लिए प्रत्याशित तथा पर्याप्त मांग के बावजूद भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड ने दो बी एल सी सी की अधिप्राप्ति में को आस्थगित किया, तदनन्तर अधिप्राप्ति परिणामस्वरूप 553.69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- ठेका सौंपने में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की ओर से विलम्ब के परिणामस्वरूप पुनः निविदा आमंत्रित की गई तथा 235.51 करोड़ रु तक उच्च लागत पर ठेका दिया गया।

- एन टी पी सी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों, जिनकी मजदूरी/वेतन बोनस भुगतान अधिनियम में यथा अनुबद्ध सीमा से अधिक थी, को 2004-05 को समाप्त नौ वर्षों के दौरान 116.88 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि का विशेष प्रोत्साहन के रूप में अनियमित भुगतान किया।
- इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड तथा पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के अनुदेशों के उल्लंघन में और प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अपात्र कर्मचारियों को बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान किया, परिणामस्वरूप अप्रैल 2000 से मार्च 2005 तक की अवधि के दौरान 16.44 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान हुआ।
- इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड ने फालतू पुर्जों की मालसूची की अधिप्राप्ति और अनुक्षण में योजना की कमी के कारण इंजनों/माड्यूलों की मरम्मत/पूरी मरम्मत की आउटसोर्सिंग पर और इंजनों को पट्टे पर लेने पर 68.40 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया। कम्पनी ने जुलाई 2005 से जून 2006 तक वायुयानों की ग्राउंडिंग के कारण 45.96 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि उठाई।

निष्पादन लेखापरीक्षा

राजरप्पा ओपन कार्ट प्रोजेक्ट (ओ सी पी) की झूफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी पी आर) तीन मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) कोयला उत्पादन तथा 8.5 मि घ मी ओवरबर्डन (ओ बी) निष्कासन लक्ष्य के साथ 91.46 करोड़ रु की अनुमानित पूंजीगत लागत पर भारत सरकार द्वारा जून 1983 में अनुमोदित की गई थी। तथापि इसने कभी भी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन स्तर प्राप्त नहीं किया। ओ बी निष्कासन के बेकलाग संचय को ध्यान में रखकर विश्व बैंक 91.56 करोड़ रुपये की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच ई एम एम) की अधिप्राप्ति पर प्रमुख जोर देने के साथ इस परियोजना के निधियन पर सहमत हो गया। एच ई एम एम का 1998-99 में आगमन हुआ। निष्पादन लेखापरीक्षा में ओ सी पी के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं की जांच से पता चला कि :

- क्षेत्रीय प्रबन्धन डी पी आर के अनुसार खनन पद्धति से विपथित हो गया और पूर्व वर्षों में अनुकूल स्ट्रिपिंग अनुपात पर ऊसरी परतों से चयनित खनन किया। इसके परिणामस्वरूप बाद की अवधि के दौरान ओ बी निष्कासन में विशाल संचयन हुआ
- ओ बी डम्पिंग की सुव्यवस्थित विधि का अनुपालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1997-98 से 2005-06 तक के दौरान 58.57 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय से कोयला उत्पादन को कायम रखने के लिए 3.69 मि घ मी ओ बी का पुनः प्रहस्तन हुआ।
- फालतू विभागीय क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद बेमेल उपस्करों ने कोयले के उत्पादन तथा परिवहन में कठिन बाधाएं डालीं परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन के लिए ठेकेदारों को लगाने पर 2001-02 से 2005-06 तक के दौरान 6.73 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 2001-02 से 2005-06 तक के दौरान उपलब्ध 58 डम्परों में से प्रत्येक वर्ष औसतन 13 खराब रहे और चालू डम्परों की उपलब्धता (23 से 44 प्रतिशत) खराब अनुक्षण के कारण प्रतिमानों (72 प्रतिशत) से काफी कम थी।

भारत संचार निगम लिमिटेड में दूरसंचार कारखानों के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि :

- दूरसंचार कारखाने विभिन्न लाइन भण्डारों, कैंबिल अनुषंगी कोइन बाक्स टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर टावरों आदि, की आपूर्ति के लिए बी एस एन एल की आन्तरिक विनिर्माण इकाइयां हैं। अलीपुर, गोपालपुर, खडगपुर, मुम्बई, राइट टाउन, रिछाई तथा भिलाई में सात दूरसंचार कारखाने हैं।
- कुल मिलाकर सभी दूरसंचार कारखानों की बिक्री वर्ष 2005-06 के लिए 290 करोड़ रुपये तथा मार्च 2006 को स्टाफ संख्या 4000 थी। बी एस एन एल द्वारा प्रदत्त टेलीफोन सेवाएं बेतार प्रौद्योगिकी, विशेषरूप से सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के आरम्भ के साथ घातीय रूप से बढ़ी हैं। दूरसंचार कारखानों में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के इस अवसर का लाभ कम्पनी नहीं उठा सकी।
- दूरसंचार कारखानों का उत्पादन अभी भी कम्पनी द्वारा की गई खरीद का बहुत छोटा अंश बनता है।
- बेतार प्रौद्योगिकी की ओर उत्पाद श्रेणी को बदलने के द्वारा दूरसंचार कारखानों में उत्पाद की मात्रा को बढ़ाना कम्पनी

की एक तत्काल आवश्यकता है। मानक लागत के निर्धारण और दक्ष विनिर्माण के साथ उत्पादन में वृद्धि से मितव्ययिता के लाभों को प्राप्त करने में कारखानों को सहायता मिलेगी और लाभ इकाईया बनेंगे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अवसंरचनात्मक तथा परिचालन सुविधाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि :

- 2000-01 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने विमानपत्तनों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए 3,161.94 करोड़ रुपये खर्च किए। सभी वर्षों में योजना व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी हुई थी जो 1.82 प्रतिशत (2005-06) तथा 58.35 प्रतिशत (2000-01) के बीच थी। यह योजनाओं तथा निविदाओं को अन्तिम स्म देने में देशी, बीचोबीच आशोधन और कार्य के निर्माण के दौरान ठेकेदारों द्वारा विलम्ब आदि के कारण थे। दिल्ली और मुंबई के विमानपत्तनों के प्रस्तावित पुनर्निर्माण के कारण इनमें 2005-06 को समाप्त चार वर्षों में कोई अवसंरचनात्मक परियोजना आरम्भ नहीं की गई थी।
- 84 विमानपत्तनों, जिनका प्रचालन अल्प था या कोई वाणिज्यिक प्रचालन नहीं था, राजस्व व्यय कर रहे थे और 2005-06 तक चार वर्षों में 20 ऐसे विमानपत्तनों को 50.38 करोड़ रुपये की नकद हानि हुई। प्राधिकरण में गैर यातायात राजस्व का हिस्सा, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्म से 50 प्रतिशत से अधिक है, शोचनीय स्म से लगभग 11 से 14 प्रतिशत तक कम था।
- प्राधिकरण ने अपनी प्रक्रियाओं तथा ठेका दस्तावेजों का मानकीकरण नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विभाग एवम राष्ट्रीय विमानपत्तन विभाग सहवर्ती असंगतियों के साथ विभिन्न निर्माण कार्य नियमपुस्तकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे थे।
- कार्यस्थलों की अनुपलब्धता/विवादों के कारण अनेक कार्य रोक दिए गए थे जिसके कारण अपव्यय हुआ, अधिक लागत तथा अधिक समय लगा।
- सामान्य सुख साधन, प्रसाधन सुविधाओं, उड़ान सूचना प्रणाली तथा ट्राली उपलब्धता के संबंध में अनेक विमानपत्तनों पर ग्राहक संतुष्टि स्तर 70 प्रतिशत से कम था।
- सुस्था मानकों पर अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आई सी ए ओ) की सिफारिशों को प्राधिकरण ने पूर्णस्म से पूरा नहीं किया। फायर टेडरों की नई खरीद या रीफर्बिशमेंट से संबंधित निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब हुआ। प्राधिकरण ने यह पता होने के बाद भी कि ये मशीनें आई सी ए ओ दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही थी, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए 39.09 करोड़ रुपये की लागत वाली 130 एक्सरे मशीनों की अधिप्राप्ति के आदेश दिए।
- प्राधिकरण, अवसंरचना तथा प्रचालन सुविधाओं के सृजन तथा वृद्धि में विलम्बों के कारण विमानपत्तन अवसंरचना की नीति में निर्धारित उद्देश्यों को पूर्णस्म से प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा, परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं हुए।

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एकीकृत कारबार समाधान

- एकीकृत कारबार समाधान (आई बी एस), पांच माड्यूलों वाला एक ई आर पी पैकेज 31 मार्च 2005 को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सी एम सी द्वारा कार्यान्वित किया गया था। प्रणाली की समीक्षा से पता चला कि प्रणाली में विभिन्न माड्यूलों के बीच एकीकरण की कमी थी और वैधीकरण तथा अनुप्रयोग नियंत्रण अपर्याप्त थे। कारबार नियमों के गलत मानचित्रण के कारण अचल भण्डारों की पहचान नहीं हो रही थी। विभिन्न यूनितों के बीच समन्वयन की कमी के परिणामस्वरूप अन्य यूनितों में उन्हीं मर्दों का स्टॉक हाने के बावजूद अनावश्यक खरीद की गई। समीक्षा में निम्न का भी पता चला :
- एकीकृत कारबार समाधान (आई बी एस) का पूर्ण स्म से उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण दो करोड़ रुपये की अनावश्यक खरीद की गई यद्यपि वही सामग्री अन्य परियोजनाओं में उपलब्ध थी।
 - 13.69 करोड़ रुपये की सामग्री का उसकी अधिप्राप्ति समय से उपभोग नहीं किया गया था।
 - आई बी एस में आगत नियंत्रण में विभिन्न कमियां थीं जिसके कारण डाटाबेस की अविश्वसनीयता हुई।

ओ एन जी सी में सामग्री प्रबन्धन

- अक्टूबर 2003 में कम्पनी ने दक्षता के लिए परियोजना सूचना समेकन (आई सी ई) के अन्तर्गत व्यापक उद्यम संसाधन आयोजना (ई आर पी), एस ए पी-माई एस ए पी वित्तीय एवं संभार तन्त्र का कार्यान्वयन किया। आई सी ई के सभी दस मोड्यूल्स का उपयोग संयुक्त उद्यम लेखाकरण, उत्पादन शेरिंग करार और अपटट संभार-तंत्र प्रबंधन के बने हुए माई एस ए पी तेल एवं गैस अपस्ट्रीम सोल्यूशन के साथ किया गया था। आई एम एस में विद्यमान डाटा को ई आर पी प्रणाली में स्थानांतरित किया गया था। आई सी ई चरणों (अक्टूबर 2003 में पश्चिम अपटट, अप्रैल 2004 में पश्चिम तटवर्ती, जुलाई 2004 में दक्षिण तटवर्ती, अक्टूबर 2004 में पूर्व और मध्य क्षेत्र और जनवरी 2005 में उत्तर क्षेत्र) में कम्पनी में विद्यमान थी।
- ई आर पी प्रणाली में सामग्री प्रबन्धन माड्यूल के निष्पादन की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। यह पाया गया कि आगत नियंत्रणों की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप सामग्री का गलत लेखांकन और फलतः सामग्री का गलत मूल्यांकन, डाटा की विश्वनीयता का अभाव एवम गलत एम आई एस हुए। दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण तंत्र के कारण सामग्री लेखाकरण, स्टॉक प्राप्ति तथा निर्गम सही तथा समय से नहीं लिए जा रहे थे, परिणामस्वरूप गलत सामग्री लेखाकरण हुआ। अन्तर्भूत डिजाइन दोषों के परिणामस्वरूप गलत रिपोर्टों की उत्पत्ति हुई। पर्याप्त डाटा क्लीनिंग के बिना ई आर पी में लीगेंसी डाटा लोड किया गया था परिणामस्वरूप डाटा अपूर्ण तथ गलत हो गए। ई आर पी के कार्यान्वयन के बाद भी सामग्री आवश्यकता योजना की जांचें मानवीय स्म से की जा रही थी।

राज्य सरकारें

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से किए गए सभी खर्चों की लेखापरीक्षा और उनके लोक लेखे तथा आकस्मिकता निधि की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जाते हैं और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

- आंध्र प्रदेश में डा. बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों से ट्यूशन फीस तथा अन्य प्राप्तियों के संग्रहण तथा लेखाकरण में धोखेबाजी का पता चला परिणामस्वरूप नमूना जांचित मामलों में 4.45 लाख रुपये की ट्यूशन फीस/परीक्षा फीस का कम लेखाकरण हुआ।
- पश्चिम बंगाल में इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च में मण्डारों के प्रबन्धन पर आन्तरिक नियंत्रण की विफलता के परिणामस्वरूप 1996-2003 के दौरान जाली इन्वॉयसों और जानबूझकर की गई चूकों के रूप में 4.66 करोड़ रुपये मूल्य के रसायनों की संदिग्ध अधिप्राप्ति और संदेहास्पद निःसरण हुआ।
- पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व परामर्श एवम झारखण्ड में निजी भूमि के अधिग्रहण किए बिना अन्तर्राज्यीय पुल निर्माण कार्य की अविवेकपूर्ण संस्वीकृत के कारण पहुँच मार्ग का कार्य आरम्भ नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय पुल पर 6.54 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।
- लघु सिंचाई मण्डल सम्मलपुर, उड़ीसा के अधीन एक सहायक अभियन्ता ने कार्य के लिए अनाज (एफ एफ डब्ल्यू) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 1.68 करोड़ रुपये मूल्य के 1,345 मी. ट. आर्थिक सहायता प्राप्त चावल का तथाकथित रूप से गबन किया।
- महाराष्ट्र में नागपुर में सरकारी कर्मचारियों को पस्विहन भत्ते के भुगतान के लिए गलत दरें अपनाने के कारण 6.45 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।
- पुलिस कार्मिकों, जिनकी सेवाएं जयपुर नगर, राजस्थान में पुलिस अधिकारियों के आवास पर अप्राधिकृत रूप से उपयोग की गई, के वेतन तथा भत्तों पर 1.30 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- वन संरक्षक, रायपुर परिमण्डल, छत्तीसगढ़ के डिपुओं के प्रत्यक्ष सत्यापन पर 24.68 लाख रुपये का कपटपूर्ण व्यय किया गया।
- निर्धारित जांच करने में आहरण तथा संवितरण अधिकारी की विफलता और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली न होने के कारण उपायुक्त, सोनीपत, हरियाणा कार्यालय में जिला नाजिर द्वारा 14.38 लाख रुपये का गबन किया गया।

- बिहार में स्टोन चिप्स की डुलाई के लिए ठेकेदार को 17.84 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।
- शेंनबागाथोप रिजर्वेयर प्रोजेक्ट डिवीजन, तिरुवन्नामलाई जिला, तमिलनाडु में माप पुस्तकों में सामग्री की प्राप्ति और कार्यों के निष्पादन के लिए मिथ्या प्रविष्टि के आधार पर अधिशासी अभियंता द्वारा 96.61 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
- निर्धारित प्रक्रिया अपनाने और संहिता प्रावधानों तथा सरकारी धन के प्रहस्तन के लिए जारी निर्देशों का अनुपालन करने में अधिशासी अभियन्ता मजीठा डिवीजन अपर बेरी दोआब केनाल, अमृतसर, पंजाब की विफलता से 70.30 लाख रुपये का गबन हुआ।

निष्पादन लेखापरीक्षा

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

सभी राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान

स्कूलों में भवन, पीने के पानी, खेल के मैदान, विद्युत आदि जैसी मूल अवसरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त थीं। अध्यापक छात्र अनुपात में बड़े अन्तर और अध्यापकों की अपर्याप्त संख्या देखी गई थी। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में कमियां भी देखी गई थीं। निवास स्थानों में प्राथमिक स्कूलों की अपर्याप्तता थी। सभी राज्यों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर भारी कमी देखी गई थी। यह भी देखा गया था कि शिक्षण अभिगम उपस्कर/सामग्री (टी एल इ/टी एल एम) के अपर्याप्त प्रावधान से अध्यापक तथा छात्र टी एल इ/टी एल एम के लाभों से वंचित रह गए। लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई कि :

- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कमी अनुपात को रोकना चाहिए ताकि कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।
- अध्यापक-छात्र अनुपात में अन्तर को दूर करने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जाए या पुनः नियोजित किया जाए।

खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्यान्न प्रबन्धन

गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) और अन्त्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) लाभग्राहियों की अनुपयुक्त पहचान के कारण योजनाओं को उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए थे। निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार लाभभोगी परिवारों को खाद्यान्न प्रदान नहीं किए गए थे। लक्षित लाभभोगीयों को वितरण से पूर्व खाद्यान्न के अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण तथा खाद्यान्न की अप्रभावी तथा अपर्याप्त संवितरण भी देखे गये। गेहूँ की क्षति धान प्रोषण के बाद मिल मालिकों द्वारा चावल की आपूर्ति न करने और अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के कारण आवर्ती हानियां हुई थीं। उचित दर की दुकानों के स्तर पर वितरण के अप्रमाणित अभिलेख और जिला अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण तथा अकार्यशील निगरानी समितियों का पता चला था। लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई कि बी पी एल/ए ए वाई की पहचान भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। राशन कार्डों की आवधिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, लक्षित गुणवत्ता की खरीद के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए और उचित दर की दुकानों के निरीक्षण के प्रबन्ध सहित प्रभावी मानीटर तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए।

आन्तरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा

सभी राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों जैसे महिला विकास, बाल तथा विकलांग कल्याण विभाग (आंध्र प्रदेश), स्वास्थ्य विभाग (बिहार), लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग (छत्तीसगढ़), लोक निर्माण विभाग (गोवा), उद्योग तथा खान विभाग (गुजरात), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (हरियाणा), सहकारिता विभाग (कर्नाटक तथा उड़ीसा), मछली पालन विभाग (केरल तथा झारखण्ड), पशुपालन विभाग (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश), श्रम विभाग (पुदुच्चेरी), पंजाब रोडवेज (पंजाब), सामाजिक कल्याण विभाग (राजस्थान), लघु उद्योग (तमिलनाडु), चिकित्सा शिक्षा विभाग (उत्तर प्रदेश), कुटीर उद्योग (पश्चिम बंगाल) के लिए विनिर्दिष्ट आन्तरिक नियंत्रण उपायों के पालन का मूल्यांकन किया गया था। दोषपूर्ण बजटीय तथा व्यय नियंत्रण, दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन, अप्रभावी प्रशासन तथा परिचालन नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मानीटरन, दोषपूर्ण नकदी प्रबन्धन तथा श्रमबल प्रबन्धन सभी राज्यों तथा विभागों में देखे गए थे। अधिकांश विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्य अप्रभावी तथा कमजोर थे।

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

- सू प्रौ पर की गई समीक्षाएं ई-खरीद (आंध्र प्रदेश), भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 'भुइयां' (छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश), उद्योग आयुक्त का कम्प्यूटरीकरण (गुजरात), लेखा एवं कोषागार निदेशालय (कर्नाटक), वन प्रबन्धन सूचना प्रणाली तथा जल

प्राधिकरण में बिल बनाना एवं राजस्व संग्रहण (केरल), सेतु-एकीकृत नागरिक सेवाएं तथा रोजगार दफ्तरों का कम्प्यूटरीकरण (महाराष्ट्र), कुआँ गणना परियोजना तथा पुलिस विभाग की लेखापरीक्षा (तमिलनाडु) पर थीं। साफ्टवेयर अनुप्रयोग, सुस्था नियंत्रण, लेखापरीक्षा खोजों, प्रणाली दस्तावेजीकरण आदि में अनेक कमियाँ इन समीक्षाओं में देखी गई थीं।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों की लेखापरीक्षा करने के लिए विशेष ध्यानाकर्षण हेतु मुख्यालय में एक अलग शाखा इन राज्यों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संसाधनों के लिए उत्तरदायी है। उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कुछ निष्कर्ष निम्नवत हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

- नागालैण्ड में 743 मामलों में महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत न किए गए पेंशन भुगतान आदेशों तथा उपदान भुगतान आदेशों को दो कोषागार (दीमापुर तथा फेक) तथा एक उप कोषागार (फुत्सेरो) द्वारा अनियमित रूप से स्वीकार करने से 13.19 करोड़ रुपये के छलपूर्ण पेंशन का भुगतान किया गया। दूसरे मामले में उप निरीक्षक, स्कूल, लोंगलेंग ने अध्यापकों की संख्या बढ़ाकर और कर्मचारियों के नाम दोहराकर भी अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों के रूप में 4.78 करोड़ रुपये छलपूर्ण ढंग से आहरित किए।
- मणिपुर में राज्य सरकार कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में उनके आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके शेषों से अधिक सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/आहरण दिए गए थे, परिणामस्वरूप मार्च 2005 के अन्त में 362 अंशदाताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं में 1.24 करोड़ रुपये के ऋणात्मक शेष हो गए। साथ ही अन्य मामले में कार्यकारी अभियन्ता, उखरूल मण्डल ने मार्च 2005 के दौरान 65 बैंकों के माध्यम से 56.21 लाख रुपये की राशि छलपूर्ण ढंग से आहरित की।

निष्पादन लेखापरीक्षा

- "पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) वित्त पोषित सड़कों पुलों के कार्यान्वयन" की समीक्षा में **मेघालय** में कार्यकारी मण्डलों द्वारा उपलब्ध निधियों के के उपयोग में विफलता और **अरुणाचल प्रदेश** में अनुमोदित विनिर्देशनों से अलग सड़क कार्यों के निष्पादन का पता चला जिसके कारण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब के अलावा कार्य का अवमानक निष्पादन हुआ। संस्वीकृत अनुमानों के विपथन में और सड़क के सुधार में छः वर्षों से अधिक विलम्ब के कारण **मेघालय** में 1.39 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। **अरुणाचल प्रदेश** में एन ई सी की 3.98 करोड़ रुपये की निधियाँ संस्वीकृति के उल्लंघन में सड़कों/वाहनों/मशीनों आदि की वार्षिक मरम्मत तथा अनुक्षण के प्रति विपथित की गई थी। लोक निर्माण विभाग ने सीमा सड़क संगठन को सड़क सौंपने के निर्णय के बाद भी सड़क कार्यों पर 6.73 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय किया।
- इसी प्रकार **त्रिपुरा** में "संसाधनों के समाप्त न होने वाले केन्द्रीय पूल" से वित्त पोषित छः सिविल विभागों से संबंधित छः परियोजनाओं की समीक्षा में इन परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन तथा मानीटरन में महत्वपूर्ण कमियाँ प्रकट हुईं, परिणामस्वरूप खराब वित्तीय प्रबन्धन और अनुशासन के अलावा पर्याप्त समय तथा लागत आई। परिणामतः लक्ष्य वर्गों को अभिप्रेत लाभों की सुपुर्दगी प्रतिकूल प्रभावित हुई।
- **जम्मू कश्मीर** की अर्थाव्यवस्था की अंशदाता डल झील संरक्षण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के असन्तोषजनक कार्यान्वयन के कारण वर्षों से पर्यावरणीय अपकर्ष का शिकार रही है। विकास कार्यक्रम पर बड़े निवेशों के बावजूद डल झील की समग्र स्वच्छता में कोई महत्वपूर्ण सुधार दिखाई नहीं दिया है। वस्तुतः झील के पानी फैलाव और औसत गहराई में कमी हुई है। झील के पानी में भारी धातुओं का सान्द्रण अनुमेय सीमाओं को पार कर गया है और यह निवासियों के लिए प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम देगा।
- **नागालैण्ड** में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला कि जनता को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का उद्देश्य दवाइयों की खरीद के लिए निर्धारित खरीद नीति का पालन न करने, खरीदी गई दवाइयों की गुणवत्ता की जांच न करने, और आवश्यक अवसंरचना के बिना उपस्करों की खरीद के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। इसी प्रकार **सिक्किम** में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के राज्य प्रबन्धन से पता चला कि इसे अभी स्वास्थ्य नीति का निरूपण करना था। सी एच सी, पी एच सी तथा पी एच एस सी की संख्या और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों में अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता, दोनों के अनुसार अवसंरचना अपर्याप्त थीं। डाक्टरों तथा नर्सों के नियोजन में जिला वार अन्तर थे। दवाइयों की कमी, दवाई परीक्षण प्रयोगशाला के काम न करने, चिकित्सा प्रभावी चिकित्सा उपस्कर प्रतिष्ठापन न करने और विशेषज्ञों की भारी कमी से स्वास्थ्य देखभाल तथा सेवाएं पंगु थीं।

- **असम** में सभी निवास स्थानों पर पेय जल मुहैया कराने पर उद्देशित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के उद्देश्यों को अपर्याप्त योजना, निधियों के विपथन और दोषपूर्ण निष्पादन के कारण हानि पहुँची। सामान्य क्षेत्रों में शामिल न किए गए 260 और आंशिक रूप से शामिल 1261 निवासस्थानों के लक्ष्य के प्रति वास्तविक कवरेज क्रमशः 73 (28 प्रतिशत) तथा 1070 (85 प्रतिशत) थी। इसी प्रकार 113 (सामान्य क्षेत्रों) तथा 11 (पहाड़ी क्षेत्रों) पाइप जल आपूर्ति योजना के लक्ष्य के प्रति वास्तविक उपलब्धि सामान्य क्षेत्रों में 27 (24 प्रतिशत) तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 'शून्य' थी। 60.29 करोड़ रुपये की योजना निधि अन्य प्रयोजनों को विपथित की गई थी।
- **हिमाचल प्रदेश** में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवासस्थानों में गांव स्तर पर आवश्यकता आधारित अवसंरचना के सृजन के लिए और जिला परिषद तथा ब्लाक समिति स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लाभभोगी अभिप्रेत व्यक्तिगत/युप कार्यों के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर संसाधनों को अलग नहीं किया गया था। स्त्री लाभभोगियों के लिए रोजगार के अवसरों की 30 प्रतिशत आरक्षण की विशेष सुझा मुहैया नहीं कराई गई थी।

राज्य प्राप्ति

राज्य राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी कर तथा करेतर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा सम्मिलित होती है। राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया गया कुल कर तथा करेतर राजस्व 2,60,306 करोड़ रुपये बनता था। प्रतिवेदनो में 15,299.32 करोड़ रुपये वाली अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। इनमें से 2,491.43 करोड़ रुपये वाली अभ्युक्तियां विभाग ने स्वीकार करली हैं और लेखापरीक्षा के बताने पर 124.40 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

विक्री कर

तीन राज्यों में 82 व्यापारियों की विक्री गलत अवधारित की गई, परिणामस्वरूप निम्नानुसार 187.98 करोड़ रुपये का सरकारी राजस्व वसूल नहीं हुआ :

- झारखण्ड में 17 वाणिज्यिक कर परिण्डलों के 76 व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं और घोषणा फार्मों के उनके व्यापारिक लेखाओं/विवरणियों के साथ प्रतिसत्यापन से 371.82 करोड़ रुपये के विक्री के छिपाव का पता चला। असम में एक व्यापारी की विक्री 62.51 करोड़ रुपये से गलत रूप से निर्धारित किया गया। हरियाणा में पांच व्यापारियों ने विक्री हेतु माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए रियायती दर पर 975.88 करोड़ माल की खरीद की परन्तु इन्हें कर के भुगतान बिना राज्य से बाहर स्थानान्तरित कर दिया।

राज्य उत्पाद शुल्क

- असम में चार भाण्डगारों से देशी स्पिरिट कम उठाने और झारखण्ड में 640 थोक उत्पाद शुल्क दुकानों का निपटान न करने के परिणामस्वरूप दो राज्यों में 23.71 करोड़ रुपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

- सम्पत्ति के अवमूल्यांकन और तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के पंजीकरण अधिकारियों के साथ निष्पादित दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 113.48 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भू राजस्व

- 120 जलकारों के पट्टों का समाधान न करने और 43 जलकारों से पट्टा किराया की कम वसूली के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में 11.99 करोड़ रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई जबकि नजूल प्लाटों के पट्टा दस्तावेजों का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में 3.08 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

खनन प्राप्तियां

- पश्चिम बंगाल में उत्पादित कोयले के वार्षिक मूल्य से अनियमित दावे को निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत किए जाने के कारण 93 करोड़ रुपये के ग्रामीण रोजगार तथा प्राथमिक शिक्षा उपकर की कम वसूली हुई
- राजस्थान में सरकारी निर्देशों के बावजूद विभाग द्वारा निविदा सूचना में चूककर्ता निविदादाताओं से करार हानियों की वसूली के प्रावधान का खण्ड शामिल न करने के परिणामस्वरूप 92.08 करोड़ रुपये की हानि हुई। छत्तीसगढ़ में कोयले के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 209.93 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

विलासिता कर

- होटलों द्वारा प्राप्त बैंकट/सम्मेलन कक्षों के किराया प्रभारों को विलासिता कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु होटलों की प्राप्तिओं के रूप में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में 13.74 करोड़ रुपये के विलासिता कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

वाहन कर

- हिमाचल प्रदेश के सात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में विशेष सड़क कर का भुगतान न करने और शास्ति के अनुद्ग्रहण तथा उड़ीसा में अपर्याप्त अनुसरण/कर वसूली कार्रवाइयों का संस्थापन न करने के परिणामस्वरूप इन दो राज्यों में 28.53 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

वृत्ति कर

- आंध्र प्रदेश में वर्ष 2004-05 के लिए सड़क के वाहनों के स्वामियों से 24.21 करोड़ रुपये का वृत्ति कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत नहीं किया गया था

करेत्तर प्राप्तियां

- हिमाचल प्रदेश में निष्कर्षण के बाद बिक्री डिपुओं तक इमारती लकड़ी के परिवहन में विलम्ब के परिणामस्वरूप इसका निम्नीकरण हुआ जिससे रायल्टी दरों का निर्धारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। इसके परिणामस्वरूप 6.38 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।
- उड़ीसा में उड़ीसा विद्युत शुल्क अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उद्ग्राह्य 3.32 करोड़ रुपये का विद्युत शुल्क तथा ब्याज दो औद्योगिक उपभोक्ताओं से उद्ग्रहीत नहीं किया गया परिणामस्वरूप उतने ही सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

वाणिज्यिक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

2005-06 के दौरान 1,059 राज्य सरकारी कम्पनियां, 60 मानी गई सरकारी कम्पनियां तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वामित्व अथवा नियंत्रित 108 सांविधिक निगम थे। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विशिष्टताएं निम्नवत हैं:

नियमितता लेखापरीक्षा

- सामाजिक तथा आर्थिक सुधार प्रक्रिया बाधित हो गई क्योंकि अनुसूचित जाति असम राज्य विकास निगम लिमिटेड ने अनुसूचित जाति तथा सफाई कर्मचारियों की आर्थिक उन्नति के लिए अभिप्रेत 5.20 करोड़ रुपये को निगम के कर्मचारियों के वेतन संवितरण के प्रति विपश्चित किया।
- मीटर न रखने वालों को मीटर वाले उपभोक्ताओं में बदलने में असम राज्य विद्युत बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप 3.26 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।
- सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने कार्य सौंपने के लिए गुजरात राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और कीमत वृद्धि के प्रति 6.43 करोड़ रुपये की देयता उठाई। निगम ने ठेकेदार की वजह से देरी के कारण 83.93 लाख रुपये के परिसमाप्त हर्जाने की भी वसूली नहीं की।

- गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड द्वारा गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड के साथ किए गए गैस संचरण प्रबन्धन करार में कमी के कारण गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड को 30.12 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।
- हरियाणा विद्युत प्रसारण लिमिटेड द्वारा जारी बाण्डों में पुट/काल विकल्प शामिल न करने के परिणामस्वरूप उनकी परिपक्वता पर बाण्डों के परिशोधन पर 16.41 करोड़ रुपये की अधिक ब्याज देयता उठाई।
- हरियाणा वित्त निगम द्वारा उनकी वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित किए बिना और निगम गारंटीकर्ता का संदिग्ध पूर्ववृत्त जानने के बावजूद कोलेट्रैल प्रतिभूति के बदले में निगम गारंटी की स्वीकृति से ऋणों का वितरण करने के लिए कर्जदारों से 3.44 करोड़ रुपये की वसूली असंभव हो गयी थी।
- विपणन एजेंट को बेचे गए लौह अयस्क के एम एम टी सी लिमिटेड के संकेत मूल्यों से काफी कम दर पर मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप मैसूर मिनरल्स लिमिटेड को 22.38 करोड़ रुपये की हानि हुई।
- उचित व्यवहार्यता अध्ययनों के बिना मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा 22.74 करोड़ रुपये की लागत पर चीड़ के पेड़ लगाना मंहगा सिद्ध हुआ।
- पश्चिम बंगाल आवश्यक पण्य आपूर्ति निगम लिमिटेड ने अज्ञात सत्त्वों को विदेश में निधियों के प्रेषण द्वारा 17.46 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा खो दी।
- पश्चिम बंगाल आवश्यक पण्य आपूर्ति निगम लिमिटेड ने उनके मूल्य से अधिक 24.37 करोड़ रुपये (56.03 लाख अमरीकी डालर) की ई पी सी आहरण के उद्देश्य के साथ उसी साख पत्र की मूल तथा प्रतिलिपियां प्रस्तुत करके बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन में दो भिन्न बैंकों से तीन साखपत्रों को भुनाया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दैनिक मजदूरों की सेवाओं का नियमितीकरण हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उचित नहीं पाया गया जिसके परिणामस्वरूप इन मजदूरों को वेतन के रूप में प्रदत्त 37.24 करोड़ रुपए की राशि की टैरिफ के माध्यम से लागत की वसूली का बोर्ड का दावा अस्वीकृत किया गया।
- सम्बन्धित अधिकारियों से निर्वाधन बिना योजनाओं पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 12.32 करोड़ रुपए का व्यय 8.38 करोड़ रुपए की ब्याज की हानि के अतिरिक्त निष्फल हो गया।
- पंजाब कृषि खाद्यान्न निगम लिमिटेड, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड तथा पेप्सू सड़क परिवहन निगम लिमिटेड का निष्पादन 2001-06 के दौरान उप इष्टतम होना पाया गया था।
- बिहार राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पास परिवहन तथा प्रहस्तन प्रभारों के प्रति गोदाम प्रबन्धक को 1.56 करोड़ रुपए के भुगतान के प्रमाणिक वाउचर नहीं पाये गये थे।
- पात्र श्रेणियों से आवेदनों की अनुपलब्धता की दशा में आरक्षित श्रेणियों के प्लाटों को सामान्य श्रेणी आवेदकों को आबंटित करने के लिए पंजीकरण तथा आवंटन विनियम 1979 (संशोधन 1995) में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद ऐसे 132 प्लाट अनुचित रूप से रोके गए थे और ई एम ओ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा लगभग सात वर्षों तक आगे बढ़ाए गए तथा बाद में संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों तथा विस्थापित व्यक्तियों के लिए आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित किए गए थे।

स्थानीय निकाय

स्थानीय निकायों में मुख्यतया जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम सम्मिलित हैं। स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के कुछ मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं :

नियमितता लेखापरीक्षा

तमिलनाडु

- चेन्नई नगर निगम में त्रुटिपूर्ण आयोजना के कारण 1997 में आरम्भ की गई एकीकृत आनलाइन सूचना संसाधन प्रणाली कार्यान्वित नहीं की जा सकी और 1.60 करोड़ रूपए का व्यय करने के बाद छोड़ दी गई थी। कार्यों के कम्प्यूटीरीकरण में विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों में अपूर्णता होने के कारण 100.38 करोड़ रूपए के सम्पत्ति कर की भी कम वसूली हुई थी।
- राज्य सरकार द्वारा घोषित शहरी स्वास्थ्य देखभाल नीति को न अपनाने के कारण आवश्यकता वाले शहरी स्थानीय निकायों में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किए जा सके। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल उपायों के लिए निधियों का उपयोग न करने के अलावा बीमारी पर अपर्याप्त निगरानी रही।

केरल

- कोषागार से आहरित रोकड़ का लेखांकन न करने और योजना रोकड़ बही को संवृत करने में विफलता के कारण तिस्वनन्तपूरम नगर निगम में 15.49 लाख रूपए का गबन हुआ।
- निर्धारित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाने में विफलता से 18 स्थानीय स्वशासी संस्थाओं (एल एस जी आई) में 33.87 लाख रूपए का दुर्विनियोजन हुआ।

निष्पादन लेखापरीक्षा


कर्नाटक

- गावों में परिवारों की संख्या से संबंधित सुसंगत आंकड़ों के बिना स्वच्छ ग्राम योजना आरम्भ की गई थी। गावों के अनुचित चयन से योजना का कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।
- जिला योजना समितियों के अप्रभावी कार्य करने और जिला पंचायतों में नेमी तरीके से वार्षिक जिला विकास योजना तैयार करने के कारण विकेन्द्रीकृत योजना की भावना फीकी हो गई।
- 2000-06 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन में रोजगार के 18.66 लाख कार्य दिवसों से ग्रामीण गरीब वंचित रह गए और खदानों के अनियमित विपथन के दृष्टान्त देखे गये।
- निर्धारित आन्तरिक नियंत्रणों के सकल समापन, जिसमें पंचायत राज इंजीनियरी डिवीजन/जिला पंचायत राज इंजीनियरी डिवीजन/जिला पंचायत/जिला खजाना हार्वरी के विभिन्न स्तरों के कर्मचारी शामिल थे, से कुल मिलाकर 96.41 लाख रूपये की निधियों के कपटपूर्ण आहरण में मदद मिली।

केरल

- एल एस जी आई द्वारा परिसम्पत्तियों की प्राप्ति तथा सृजन उचित रूप से आयोजित तथा निष्पादित नहीं किए गए थे जिसके कारण प्रक्रिया को बीच में छोड़ दिया गया तथा परिसम्पत्तियों का अकार्यात्मक सृजन हुआ। सृजित लाभकारी तथा अलाभकारी परिसम्पत्तियों का कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं किया गया, परिणामस्वरूप राजस्व की हानि तथा निष्क्रिय पूंजी निवेश हुआ। अनुक्षण में लापरवाही के मामले भी रहे जिसके कारण सम्पत्ति की हानि तथा क्षति हुई।
- 2001-02 से 2005-06 तक के दौरान वृत्ति कर के लिए अपने कर्मचारियों का निर्धारण करने के लिए नियोक्ताओं से अपेक्षा करने के लिए यू एल बी द्वारा नोटिस जारी न किए जाने के कारण 26 से 43 संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों का निर्धारण नहीं किया।
- एल एस जी आई के कार्यों तथा पदाधिकारियों के स्थानान्तरण में समन्वय की कमी थी, परिणामस्वरूप यथा निर्दिष्ट कार्यों का हस्तान्तरण नहीं हुआ, कार्यों तथा कार्यकलापों की इन्टर टायर अति व्याप्ति हुई, स्थानान्तरित संस्थाओं का अनुचित कार्यचालन हुआ और स्थानान्तरित कार्यों के अनुपात में निधियां अन्तरित नहीं हुई।

भा ले तथा ले प वि का संगठन



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

नि.म.ले.प. भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (भा ले एवं ले प वि) के माध्यम से अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं।

भा ले एवं ले प वि निम्न संवर्गों से बना हुआ है

- समूह क संवर्ग भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के अधिकारियों से बना है;
- समूह ख संवर्ग वारिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों, सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों और अनुभाग अधिकारियों से बना है; और
- समूह ग तथा घ सहायक स्टाफ।

नि.म.ले.प. का मुख्यालय निम्न के लिए जिम्मेवार है :

- विभाग के दृष्टिक्षेत्र और उद्देश्य की स्थापना;
- लक्ष्यों और उद्देश्यों का अनुमोदन;
- कार्यनीतियों और वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन;
- लेखापरीक्षण मानकों तथा स्थाई आदेशों को तैयार करना; और
- लेखा तथा लेखापरीक्षा कार्यों की मॉनीटरिंग, समीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण।

नि.म.ले.प., उप नि.म.ले.प. और अपर उप नि.म.ले.प. से बने उच्चतम प्रबंधन की सहायता से संसद और राज्य विधान मण्डलों को प्रस्तुत करने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन करते हैं।

संगठनात्मक ढाँचा

नि.म.ले.प. के संस्थान के सम्पूर्ण देश एवम विदेश में 91 शाखा कार्यालयों तथा 465 निवासी लेखापरीक्षा कार्यालयों सहित 136 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और समूह क, ख, ग और घ संवर्गों में लगभग 51 हजार कार्मिक संगठन के लिए कार्य करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों की लेखापरीक्षा, लेखांकन एवम प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार कार्यालयों का संवितरण निम्न प्रकार दिखाया गया है :

श्रेणी	मुख्य	शाखा	आरएओ*
I. लेखापरीक्षा कार्यालय- संघ लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए			
सिविल	5 #	5	17
रक्षा	3	16	6
डाक-दूरसंचार	1	16	34
रेलवे	17	10	198
वाणिज्यिक	12	19	121
विदेश	4	-	-
II लेखापरीक्षा कार्यालय- राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए	57	15	89
III राज्य लेखा तथा हकदारी कार्यालय	26	10	-
IV प्रशिक्षण संस्थान	11	-	-
जोड़	136	91	465*

* निवासी लेखापरीक्षा कार्यालयों में रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए मंडल लेखापरीक्षा कार्यालय, कार्यशाला लेखापरीक्षा कार्यालय, निर्माण लेखापरीक्षा कार्यालय, भण्डार लेखापरीक्षा कार्यालय, यातायात लेखापरीक्षा कार्यालय इत्यादि और रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए उप शाखा कार्यालय एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए निवासी लेखापरीक्षा दल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य प्र म ले/म ले संबद्ध राज्यों में स्थित संघ सरकार के सिविल विभागों की इकाईयों की लेखापरीक्षा करते हैं।

+ 01 मार्च 2007 को।

समूह क संवर्ग

समूह क संवर्ग भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (भा ले एवं ले प से) के अधिकारियों से बना है। वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से तथा भर्ती नियमों के अनुसार समूह 'ख' संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भी चुने जाते हैं। भर्ती किये जाने पर उन्हें वरिष्ठ लेखापरीक्षा व्यवसायिक बनाने के लिए, अधिकारियों को राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा एकादमी (एन ए ए ए), शिमला में दो वर्ष के लिए गहन व्यावसायिक (अकादमिक तथा ऑन जॉब) प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ समूह 'क' पद सचिवालय तथा कल्याण कार्यों के लिए भी हैं।

समूह ख संवर्ग

- समूह ख राजपत्रित संवर्ग सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी से बना है। ये पदोन्नति के पद हैं तथा अनुभाग अधिकारी इनका प्रारम्भिक फीडर वर्ग है। इसके अतिरिक्त आशुलिपिकों, निजी सचिवों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग तथा प्रबंधन के पदों में कुछ समूह ख राजपत्रित पद हैं।
- समूह ख संवर्ग क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेवार कटिंग एज व्यवसायिक लेखापरीक्षक से बना है। यह कनिष्ठ पर्यवेक्षीय संवर्ग अर्थात् अनुभाग अधिकारियों (समूह ख अराजपत्रित) से बना है। वे लेखापरीक्षा की विभिन्न विशेष शाखाओं जैसे सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, डाक तथा दूर संचार लेखापरीक्षा आदि और सिविल लेखाओं के लिए आयोजित की जाने वाली व्यावसायिक अर्हता परीक्षा के माध्यम से समूह ग व्यावसायिक सहायक संवर्ग से चुने जाते हैं। वे सीधे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती किये जाते हैं और परीक्षा पास करने पर अनुभाग अधिकारियों के रूप में सुनिश्चित किये जाते हैं।


समूह ग और घ संवर्ग

समूह ग संवर्ग वरिष्ठ लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखाकार, लेखापरीक्षक/लेखाकार, आशुलिपिक, लिपिक आदि का बना होता है। लेखापरीक्षक/लेखाकार, आशुलिपिक, लिपिक को या तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती किया जाता है अथवा फीडर संवर्गों से पदोन्नति द्वारा। लेखापरीक्षक/लेखाकार फीडर संवर्ग होने के कारण वरिष्ठ लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के पद हैं। कंसोल आपरेटर तथा डाटा एण्ट्री आपरेटर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार हैं। समूह घ संवर्ग प्राथमिक रूप से विभाग द्वारा चयनित सहायक कार्मिकों द्वारा बना होता है।

समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में विभाग में कार्मिकों का वितरण नीचे दिया गया है :

स्टाफ की श्रेणी	1 मार्च 2007 को कार्मिकों की संख्या		
	लेखापरीक्षा कार्यालय	ले एवं ह कार्यालय	जोड़
क	397	96	493
ख	11,477	4,095	15,572
ग	14,990	15,650	30,640
घ	2,575	1,591	4,166
जोड़	29,439	21,432	50,871

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन मान वेबपेज www.cag.gov.in/html/rti/htm पर उपलब्ध हैं



लोक निर्माण-कार्य खंडों में लेखा सहायक स्टाफ

महालेखाकारों (ले एवं ह) द्वारा 13 राज्यों में वरिष्ठ मण्डल/मण्डल लेखा अधिकारियों तथा मण्डल लेखाकारों के संवर्ग का प्रबन्धन किया जाता है। वे राज्य सरकारों के लोक निर्माण-कार्य विभागों के मण्डल कार्यालयों में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका लेखाकारों एवं वित्तीय सलाहकारों के मिले जुले कार्यों की है। मार्च 2007 में सभी 13 राज्यों में उनकी कुल संख्या 3,404 थी।

पदों का आरक्षण

राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से संबंधित विभिन्न संवर्गों में पद आरक्षित किये जाते हैं।

(i) 2006-07 के दौरान भर्ती

समूह	श्रेणी				
	अ जा	अ ज जा	शा वि	भू सै	अ पि व
क	2	-	-	-	2
ख	83	46	16	-	146
ग				-	
घ				-	
जोड़	85	46	16		148

(ii) व्यक्तियों की स्थिति (1 जनवरी 2007 को)

समूह	श्रेणी				
	अ जा	अ ज जा	शा वि	भू सै	अ पि व
क ⁹	96	36	-		40
ख	2,180	492	106	-	396
ग	5,617	2,399	401	343	985
घ	1,266	357	93	426	430
जोड़	9,159	3,284	600	769	1,851

⁹ 1 अप्रैल, 2007 की स्थिति

परीक्षाएं

भा ले एवं ले प वि सेवाकाल में तरक्की के लिए अभ्यर्थियों को छॉटने के लिए बहुत सी अर्हता परीक्षाएं आयोजित करता है। भा ले एवं ले प से परीक्षार्थी अपने प्रशिक्षण की समाप्ति पर और अपनी परीक्षा पूरी होने के पूर्व परीक्षा पर कठिन व्यावसायिक परीक्षाएं देते हैं। अनुभाग अधिकारियों के कनिष्ठ पर्यवेक्षीय पद अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं।


क्रम सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या
1.	भा ले एवं ले प से (परीक्षार्थी) के लिए पहली विभागीय परीक्षा	01	01
2	भा ले एवं ले प से (परीक्षार्थी) के लिए दूसरी विभागीय परीक्षा	10	10
3	अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा (भाग- I)	3,071	684
4	अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा (भाग -II)	3,930	659
5	लेखापरीक्षा कार्यालयों के अ अ/स ले प अ के लिए राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा	718	68
6	ले एवं ह कार्यालयों के अ अ/स ले अ के लिए प्रोत्साहन परीक्षा	153	07

कर्मचारी संघ


कर्मचारी और अधिकारियों के संघ श्रेणी I, II, III एवं IV के लिए भा ले एवं ले प वि में कार्य करते हैं। मार्च 2007 के अन्त तक भा ले एवं ले प वि के विभिन्न कार्यालयों में मान्यता प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के संघों की संख्या 229 थी। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक श्रेणी के संघों के बने हुए पाँच अखिल भारतीय फेडरेशनों को भी मान्यता प्रदान की गई थी। भा ले एवं ले प वि की विभागीय परिषद को भी पुनर्जीवित किया गया।

भा ले एवं ले प वि का बजट

2006-07 के दौरान भा ले एवं ले प वि का कुल व्यय 1,210 करोड़ रुपये था जो मुख्यतः वेतन के अन्तर्गत व्यय का था।



कार्यालय की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किया गया व्यय



यू एन लेखापरीक्षा इकाईयाँ- यू एन संगठनों से प्राप्त हुई निधियों के प्रति की गई लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा की लागत

प्रशासनिक और प्रशिक्षण उपरिव्ययों को शामिल करते हुए वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा कार्यों पर कुल व्यय 747 करोड़ रुपए था। प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करने पर लेखापरीक्षा पर व्यय 2005-06 के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कुल व्यय एवं राजस्व का मात्र 0.041 प्रतिशत था; जो पिछले वर्ष के दौरान 0.045 प्रतिशत से कम है। 2005-06 के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के व्यय और राजस्व के ब्यौरे निम्नवत हैं

लेखापरीक्षण कार्यों पर व्यय

लेखापरीक्षित लेन देनों के प्रत्येक एक लाख रुपये मूल्य के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय मात्र 41 रुपये था।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संघ सरकार	राज्य सरकार	जोड़
I राजस्व प्राप्तियाँ			
कर राजस्व	2,71,766 ¹⁰	2,12,595	4,84,361
करोत्तर राजस्व ¹¹	1,59,174	47,418	2,06,592
जोड़-I	4,30,940	2,60,013	6,90,953
II व्यय			
राजस्व व्यय	5,40,637	4,37,882	9,78,519
पूंजीगत व्यय	5,6119	77,133	1,33,252
जोड़ - II	5,96,756	5,15,015	11,11,771
कुल राजस्व प्राप्तियाँ + भा ले एवं ले प वि द्वारा लेखापरीक्षित व्यय (I +II)	10,27,696	7,75,028	18,02,724


राजस्व एवं व्यय के उपर्युक्त आँकड़ों में केन्द्रीय तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सरकारी अनुदानों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों, कर्जों और संघ एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण लेन देनों, जिनकी लेखापरीक्षा भी नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है, के लेन देन शामिल नहीं है। इन प्राप्तियों तथा व्यय की गणना करने पर लेखापरीक्षित प्राप्ति तथा व्यय की

¹⁰ राज्यों को सौंपी गयी आय को छोड़कर

¹¹ सहायता अनुदान सहित

कुल राशि के इसके अनुपात के अनुसार लेखापरीक्षा पर व्यय महत्वपूर्ण रूप से 0.041 प्रतिशत से कम था। दूसरे शब्दों में भा ले एवं ले प वि द्वारा लेखापरीक्षित प्रत्येक 1,00,000 रुपये के लिए व्यय मात्र 41 रुपये था।

यहाँ तक कि केन्द्र और राज्य सरकारों के वास्तविक राजस्व और व्यय के प्रति एक लाख रुपये की लेखापरीक्षा की लागत पिछले तीन वर्षों से घट रही है।



मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण

लेखा और लेखापरीक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में और व्यावसायिक विकास के बनाए रखने में इसके लक्ष्य के अनुसरण में नि.म.ले.प. अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त महत्व देता है। भा ले एवं ले प वि ने समूह क अधिकारियों के लिए एन ए ए ए, शिमला और आईसीसा, नौएडा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों एवं समूह ख तथा ग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (आर टी आई) तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आन्तरिक प्रशिक्षण देने की सुविधाएं हैं।

समूह क अधिकारियों का प्रशिक्षण

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा (भा ले एवं ले प से) के अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। वे प्रारम्भ में परिवीक्षा पर रखे जाते हैं, तथा अन्य समूह क सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी में 15 हफ्तों का मूल पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इसके पश्चात, उन्हें एन ए ए ए, शिमला में गहन व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

कक्षा प्रशिक्षण को जिला कोषागार, लोक निर्माण-कार्य एवं वन डिवीजन, भारतीय रिजर्व बैंक, संसदीय अध्ययन ब्यूरो और राष्ट्रीय लोक वित्तीय नीति संस्थान में सार्वजनिक वित्त में गहन मोड्यूल में व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जाता है। परिवीक्षार्थी को निम्न के अनुसार बने हुए प्रश्न पत्रों के द्वारा दो भागों में विभागीय परीक्षा को पास करना अपेक्षित है :

भाग- I

1. सरकारी लेखा (लोक निर्माण-कार्य लेखा सहित)
2. वाणिज्यिक लेखाकरण
3. सार्वजनिक वित्त एवं भारतीय वित्तीय प्रणाली
4. लेखापरीक्षण सिद्धान्त और पद्धतियाँ
5. सूचना प्रौद्योगिकी - मूल दक्षता और सुरक्षा मामले (सिद्धान्त एवं व्यावहारिक)

भाग - II

1. सरकारी लेखापरीक्षा
2. वित्तीय नियम एवं पूरक नियम
3. लागत एवं प्रबंधन लेखा और वित्तीय प्रबंधन की संकल्पना
4. उन्नत वाणिज्यिक लेखाविधि
5. सू प्रौ लेखापरीक्षा और डाटा विश्लेषण (सिद्धान्त और व्यावहारिक)

भा ले एवं ले प से परिवीक्षार्थियों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण की कुल अवधि 104 सप्ताह है। प्रशिक्षण की योजना निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	प्रशिक्षण का प्रकार	सप्ताह की संख्या
1.	मूल पाठ्यक्रम	15
2	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन आई एफ एम) के साथ सम्बद्ध सहित प्रवेश प्रशिक्षण (चरण I)	60
3	अध्ययन दौरा	3
4	महालेखाकार के कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण	16
5	प्रवेश प्रशिक्षण (चरण II)	10
	जोड़	104

सेवा के दौरान राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी शिमला एवं आईसीसा, नोएडा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

विभाग भा ले एवं ले प से अधिकारियों के लिए बहुत से सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करता है। 2006-07 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों/ संगोष्ठियों आदि में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षण/लेखाकरण मानकों लेखापरीक्षा विधियों, प्रबन्धन विकास, कार्यकारी विकास, सू प्रौ लेखापरीक्षा, ई आर पी प्रणाली की लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, सांख्यिकीय नमूना, पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली की लेखापरीक्षा, प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण आदि को शामिल किया गया है। 2006-07 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों की संख्या और भा ले एवं ले प से अधिकारियों, जिन्होंने इन कार्यक्रमों में भाग लिया, की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1	क्षे प्र सं/आईसीसा और मुख्यालय में सेवा के दौरान प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशालाएं	75	623
2	एन ए ए ए, शिमला में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियाँ आदि	6	120
3	भा ले एवं ले प वि के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियाँ आदि	11	32
4	अन्य विभागों के लिए प्रशिक्षण	1	1
5	विदेश में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियाँ आदि		
	(क) विभाग द्वारा निधिबद्ध	8	10
	(ख) अन्य	8	15
	जोड़	109	801

तकनीकी सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

भारत के नि.म.ले.प. आईसीसा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और साई में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप के साई की उनके व्यावसायिक विकास में सहायता करते हैं। प्रशिक्षण के लिए संकाय का चयन अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों के रूप में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य से किया जाता है।

भारत के बाहर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग ने भारत के बाहर निम्नलिखित चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए :

क्रम संख्या	विवरण
1.	साई- भूटान के अधिकारियों के लिए लोक उपयोगिता की लेखापरीक्षा: जून 2006
2.	साई-साऊदी अरब के अधिकारियों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा: जनवरी 2007
3.	साऊदी अरब के अधिकारियों के लिए सू0 प्रौ0, लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण: फरवरी 2007
4.	साऊदी अरब के अधिकारियों के लिए लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रणाली का प्रशिक्षण: मार्च 2007

अन्तरराष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र- नौएडा

नि.म.ले.प. ने 2002 में आईसीसा की स्थापना की। संस्थान एक आई एस ओ 9001: 2000 प्रमाणित संस्थान है। यह उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण और सू प्रौ लेखापरीक्षा एवं पर्यावरण लेखापरीक्षा जैसे उदीयमान क्षेत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न साई के लिए लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ आने के लिए और उनके ज्ञान एवं अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच के रूप में सेवा मुहैया कराने को वचनबद्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लेखापरीक्षा में समकालीन सर्वोत्तम पद्धतियों और सरकारी लेखापरीक्षकों के मध्य उदीयमान लेखापरीक्षा के क्षेत्रों को प्रकट करने में समर्थ बनाते हैं।

आईसीसा, एक आई एस ओ 9001: 2000 प्रमाणित संस्थान, जो विभिन्न साई को सू प्रौ लेखापरीक्षा, पर्यावरण लेखापरीक्षा, आदि पर पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण, मुहैया कराता है।

आईसीसा नौएडा में स्थित है। यह अकादमिक, प्रशासनिक, होस्टल और रिहायशी ब्लकों से बने हुए स्वतः पूर्ण केम्पस में स्थित है। प्रशासनिक ब्लॉक में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं वाले कक्ष और कम्प्यूटर लेब है। इसमें साउंड रिकार्डिंग और सीमित भाषा व्याख्या सुविधाओं वाले सम्मेलन कक्ष भी हैं। यहाँ लेखापरीक्षा, सू प्रौ, प्रबंधन, साहित्य, यात्रा, इतिहास, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के विषयों पर पुस्तकों, जर्नल एवं पत्रिकाओं सहित एक पर्याप्त मात्रा में संग्रह वाला पुस्तकालय है। अध्ययन सामग्री की सी डी/वी सी डी/डी वी डी के एक अच्छे संग्रहण का भण्डार भी पुस्तकालय में है। भागीदारों के लिए इन्टरनेट सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। छात्रावास सुविधाओं में 38 एक कमरे वाले, 15 दो कमरे वाले और छः सूट/डीलक्स रूम शामिल हैं।

भारत में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भा. ले. एवं ले. प. वि. द्वारा 1979 से 2006-07 तक 77 अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई टी पी) आयोजित किये गये जिनमें अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पेसीफिक और पूर्व यूरोप के 106 देशों से 2,149 वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के कर्मचारियों ने भाग लिया।

2006-07 के दौरान हमने आईसीसा, नौएडा में निम्नलिखित पाँच अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये :-

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	73वाँ आई टी पी - सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एवं विनिवेश मामलों की लेखापरीक्षा	7.8.2006 से 6.9.2006	31
2	74वाँ आई टी पी - सू0 प्रौ0 पर्यावरण में लेखापरीक्षण	18.9.2006 से 17.10.2006	35
3	75वाँ आई टी पी - निष्पादन लेखापरीक्षा	20.11.2006 से 19.12.2006	38
4	76वाँ आई टी पी - पर्यावरण लेखापरीक्षा	8.1.2007 से 7.2.2007	36
5	77वाँ आई टी पी - ऊर्जा क्षेत्र की लेखापरीक्षा	26.2.2007 से 27.3.2007	28

भारत में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

2006-07 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि आयोजित किए गए :-

सू0 प्रौ0 में दक्षता का प्रशिक्षण/सू0 प्रौ0 की लेखापरीक्षा

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली लेखापरीक्षा	3.4.2006 से 7.4.2006	22
2.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	3.4.2006 से 15.4.2006	12
3.	प्रशासन विजार्ड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.4.2006 से 21.4.2006	20
4.	सू0प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	17.4.2006 से 29.4.2006	23
5.	सू0प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	1.5.2006 से 13.5.2006	18
6.	सू0प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	15.5.2006 से 27.5.2006	20
7.	ई आर पी प्रणाली की लेखापरीक्षा	22.5.2006 से 24.5.2006	14
8.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	29.5.2006 से 10.6.2006	30
9.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	12.6.2006 से 24.6.2006	25
10.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	26.6.2006 से 8.7.2006	18
11.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	10.7.2006 से 22.7.2006	20
12.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	24.7.2006 से 5.8.2006	34
13.	सू0 प्रौ0 की त्वरित लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण की पहल	7.8.2006 से 19.8.2006	34
14.	सू0 प्रौ0 की लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम	15.1.2007 से 19.1.2007	11
15.	सू0 प्रौ0 की लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम	18.2.2007 से 22.2.2007	11
16.	सू0 प्रौ0 की लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम	19.3.2007 से 23.3.2007	21

लेखापरीक्षा में दक्षता का प्रशिक्षण

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	मिशन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.4.2006 से 28.4.2006	33
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम	10.7.2006 से 11.7.2006	34
3.	सीमा-शुल्क शाखाओं के प्रभारी समूह अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	13.7.2006 से 14.7.2006	31
4.	नये प्रवेशु आई ए एण्ड ए. एस अधिकारियों के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.7.2006 से 5.8.2006	22
5.	लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण के मानकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.9.2006 से 28.9.2006	22
6.	खाद्य एवं कृषि संगठन की लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण	6.11.2006 से 10.11.2006	25
7.	लेखापरीक्षा में सांख्यिकीय नमूना का प्रशिक्षण कार्यक्रम	13.11.2006 से 15.11.2006	25
8.	कल्याण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.12.2006 से 23.12.2006	30
9.	डाक एवं तार लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.1.2007 से 12.1.2007	39

कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रत्यक्ष -करों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा के लिए संगोष्ठी	1.4.2006	20
2.	सीमा-शुल्क लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की संवीक्षा के लिए संगोष्ठी	12.4.2006 से 13.4.2006	22
3.	रक्षा के कमाण्ड अधिकारियों के लिए सम्मेलन	23.4.2006 से 25.4.2006	43
4.	क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थानीय निकायों के लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभारी समूह अधिकारियों के लिए कार्यशाला	3.7.2006 से 5.7.2006	22
5.	ए पी डी आर पी एवं अनुसूचित व जनजाति वर्ग के शैक्षणिक विकास की अखिल भारतीय निष्पादन रिपोर्ट पर कार्यशाला	12.9.2006 से 13.9.2006	40
6.	एन ए ओ की वित्तीय (सत्यापित) लेखापरीक्षा के लिए कार्यशाला	11.12.2006 से 16.12.2006	32
7.	प्रत्यक्ष करों पर उत्तर क्षेत्र की कार्यशाला	30.10.2006 से 31.10.2006	40
8.	प्रत्यक्ष करों पर पूर्वी क्षेत्र की कार्यशाला	2.11.2006 से 3.11.2006	32
9.	प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण पर कार्यशाला	7.11.2006 से 8.11.2006	25

अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखापरीक्षा को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.5.2006 से 20.5.2006	35
2.	लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबन्धन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.6.2006 से 16.6.2006	25
3.	भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखापरीक्षा को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.1.2007 से 10.2.2007	32

अन्य विशेष कार्यक्रम

"लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रबन्ध" विषय पर एसोसाई की एक पांच दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन 30 अक्टूबर 2006 से 4 नवम्बर 2006 तक किया गया जिसमें 25 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

समूह ख और ग कर्मचारियों का प्रशिक्षण

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (क्षे प्र सं.)

समूह ख और ग कर्मचारियों को इलाहाबाद, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, राँची और शिलांग में स्थित नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और नई दिल्ली, हैदराबाद एवं बँगलूर में स्थित तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में आन्तरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अडोस-पडोस के कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। क्षेत्र प्र सं क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं के लिए संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजित करने के अलावा लेखापरीक्षा पद्धतियों, आधुनिक लेखापरीक्षा तकनीकों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विषयों पर मूल्यवर्द्धित प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। कर्मचारी जिनकी पदोन्नति पर्यवेक्षक संवर्गों में हुई है के लिए विशेष कार्यक्रमों को उन्हें नये उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए समर्थ बनाने हेतु बनाया गया है। सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारियों को भी क्षेत्र प्र सं में प्रवेश प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

विशेष कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को भी वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस प्रबन्धन, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन और सू प्रौ लेखापरीक्षा आदि के लिए क्षेत्र प्र सं में आयोजित किया जाता है। 2006-07 के दौरान क्षेत्र प्र सं में आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण मुहैया कराये गये व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् है :

पाठ्यक्रमों का स्वरूप	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
सामान्य पाठ्यक्रम	234	4,244
सू प्रौ लेखापरीक्षा/ई डी पी पाठ्यक्रम	272	4,153
जोड़	506	8,397

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

नई दिल्ली, हैदराबाद और बँगलूर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्र प्र सं से इस तरह से अलग है कि यहाँ वे ई डी पी पाठ्यक्रमों सहित सामान्य स्वरूप के पाठ्यक्रमों के लिए मात्र स्थानीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं का प्रबन्धन करते हैं। 2006-07 के दौरान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण मुहैया कराये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् थी :

पाठ्यक्रमों का स्वरूप	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
सामान्य पाठ्यक्रम	61	1,142
ई डी पी पाठ्यक्रम	60	929
जोड़	121	2,071

प्रशिक्षण केन्द्र

सात प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना 2000-2001 के दौरान भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, गुवाहाटी, ग्वालियर, पटना, राजकोट और तिरुवनन्तपुरम में की गई थी। अनुभाग अधिकारी कोटि परीक्षा की "कम्प्यूटर प्रणाली" प्रश्न पत्र और लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के स प्र अ/ अ अ की प्रोत्साहन परीक्षा के "डाटा प्रोसेसिंग एवं कम्प्यूटर प्रणाली" प्रश्न पत्र में व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करने के अतिरिक्त इन केन्द्रों का उपयोग स्थानीय कार्यालयों एवं छोटे कार्यालयों द्वारा जिनमें पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं आन्तरिक प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में निकटतम क्षेत्र प्र सं से जुड़ा हुआ है जब कि उनका प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय प्र म ले/ म ले के पास है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में आन्तरिक प्रशिक्षण

प्रत्येक कार्यालय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस के साथ निरन्तर व्यावसायिक विकास को गहनता प्रदान करने के मद्देनजर क्षेत्रीय कार्यालय आन्तरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से संबंधित विशिष्ट कार्य संचालित करते हैं। 2006-07 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए थे :

कार्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> डी एल एफ ए के स्टाफ के लिए शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम नवम्बर-दिसम्बर 2006 में आयोजित किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च 2007 में आयोजित किया गया। डी एल एफ ए के स्टाफ के लिए शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नवम्बर 2006 में आयोजित किया गया।
केरल	पंचायती राज संस्थाओं के स्टाफ एवं केरल के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं बजट प्रारूप के लिए अप्रैल से जून 2006 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
आन्ध्र प्रदेश	मई 2006 में पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
महाराष्ट्र	डी एल एफ ए के स्टाफ के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखा तथा लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण सत्र का दिसम्बर 2006 में आयोजन किया गया।
हरियाणा	मई 2006 में पंचायती राज संस्थाओं के बजट एवं लेखा प्रारूप के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
कर्नाटक	राज्य सरकार के लेखा विभाग के सहायक नियंत्रकों के उत्साहवर्धन तंत्र के लिए मई 2006 में प्रशिक्षण दिया गया।
पश्चिम बंगाल	2006-07 के दौरान पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 74 तथा पश्चिम बंगाल सरकार के 25 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
गुजरात	अक्टूबर 2006 में निदेशक (एल एफ ए), जिला पंचायत एवं स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा के स्टाफ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2003-08 की अवधि के लिए भा ले एवं ले प वि के लिए प्रशिक्षण योजना

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में उदीयमान चुनौतियों के सामंजस्य में जोखिम आघातित लेखापरीक्षा योजना, सू प्रौ लेखापरीक्षा, पर्यावरण लेखापरीक्षा, बढ़ते हुए जटिल परिवेश में निष्पादन लेखापरीक्षा, न्यायिक लेखापरीक्षा, आदि को शामिल करते हुए अपनी क्षमता के विकास पर जोर देते हुए 2003-08 की अवधि को कवर करते हुए एक पाँच वर्षीय प्रशिक्षण योजना भा ले एवं ले प वि के लिए बनाई गई है। प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण उद्देश्यों, प्रशिक्षण के विस्तृत क्षेत्रों, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षण अवसंरचना और गुणवत्ता आश्वासन को शामिल किया जाता है। प्रशिक्षण योजना 2003-08 में जोर अवसंरचना में पुनः विस्तार की अपेक्षा समेकन पर है।

पाँच वर्षीय प्रशिक्षण योजना को, पाँच वर्षीय योजना में लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाकर कार्यान्वित किया जाता है।

आई एस ओ प्रमाणीकरण

प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में श्रेष्ठता और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति उन्हें बँचमार्क करने के प्रयास में एवम आई एस ओ प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के मद्देनजर एक स्वतन्त्र बाह्य संस्था से मूल्यांकन आरम्भ किया गया था। प्रारम्भ में क्षेत्र प्र सं, जयपुर और चेन्नई को इस प्रयोजन के लिए चुना गया था। उन्हें आई एस ओ 9001: 2000 प्रमाण पत्र दिया गया। तदनन्तर, क्षेत्र प्र सं मुंबई एवं जम्मू ने भी 2003-04 के दौरान आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त किया।

निर्मित प्रशिक्षण मोड्यूल्य और प्रशिक्षण सामग्री का विकास

विभिन्न क्षेत्र प्र सं द्वारा निर्मित प्रशिक्षण मोड्यूल्य (एस टी एम)/प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए 36 विषयों की पहचान की गई है। कोर्सवेयर की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के क्रम में प्रत्येक एस टी एम की समीक्षा भा ले एवं ले प वि के सुविज्ञ अधिकारी और 'समकक्ष समीक्षा' अन्य क्षेत्र प्र सं द्वारा की जाती है।

24 एस टी एम को अब तक संबंधित क्षेत्र प्र सं द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है और नि.म.ले.प. की वेबसाइट के सार्वजनिक फोल्डर में अपलोड कर दिया गया है। 12 विषयों पर एस टी एम क्षेत्र प्र सं द्वारा विकास के विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत हैं।

संसदीय प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों पर पाठ्यक्रम

एक सप्ताह की अवधि के संसदीय प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों पर दो मूल्यांकन पाठ्यक्रमों को संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, नई दिल्ली में जुलाई और दिसम्बर 2006 में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए आयोजन किया गया जिसमें 96 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

श्रेष्ठता के केन्द्र

विभिन्न कार्यकारी समूहों, इन्टोसाई, एसोसाई की अनुसंधान परियोजनाओं एवं समितियों, लेखापरीक्षकों के यू एन पेनल, राष्ट्रमण्डल के महालेखापरीक्षक के सम्मेलन आदि में चर्चा किये जाने वाले मामले पर संस्थानिक संयोजन की आवश्यकता पर विचार करते हुए आठ क्षेत्र प्र सं को विभिन्न विषयों में श्रेष्ठता के नोडल केन्द्रों के रूप में नामित किया गया है। 2006-07 के दौरान निर्दिष्ट विषय पर उपलब्धि और इन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की क्षेत्र प्र सं वार स्थिति निम्नवत है :

क्र.सं.	नोडल संस्थान	विषयक मामला	उपलब्धि
1.	क्षे प्र सं, चेन्नई	सू प्रौ लेखापरीक्षा- इन्टोसाई सू प्रौ लेखापरीक्षा समिति, एसोसाई अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रमण्डल महालेखाकार सम्मेलन आदि जैसी अन्य विदेशी निकायों द्वारा कवर होने वाले मामले।	तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 47 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
2.	क्षे प्र सं, जयपुर	निजीकरण - निजीकरण पर इन्टोसाई कार्यचालान समूह सहित विचाराधीन मामलों को शामिल करते हुए।	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 19 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
3	क्षे प्र सं, मुंबई	परिवेश लेखापरीक्षा- परिवेश लेखापरीक्षण के इन्टोसाई कार्यचालान समूह और परिवेश लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्यचालान समूह एवं अन्य ऐसे निकायों में चर्चा किये गये मामलों को शामिल करते हुए।	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 14 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
4	क्षे प्र सं, नागपुर	धोखाधड़ी की लेखापरीक्षा- धोखाधड़ी पर एसोसाई तदर्थ कार्यचालान समूह और धोखाधड़ी दिशानिर्देशों पर अन्य समूहों से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए।	एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया और 23 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।
5	क्षे प्र सं, कोलकाता	स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा	76 अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
6	क्षे प्र सं, इलाहाबाद	निगमित अभिशासन और आन्तरिक नियंत्रण	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
7	क्षे प्र सं, राँची	सू प्रौ लेखापरीक्षा और प्रौद्योगिकीय ट्रेकिंग	चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 62 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
8	क्षे प्र सं, जम्मू	मूल्य वर्द्धित कर में हाल में नामित ।	श्रेष्ठता के नोडल संस्थान के रूप

पुस्तकालय

नि.म.ले.प. कार्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर लगभग 39,000 पुस्तकों का श्रेष्ठ संग्रहण है जिसमें लेखाकरण, लेखापरीक्षण, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, कराधान, प्रबन्धन, कम्प्यूटर साइन्स, साहित्य, जीवनी साहित्य/आत्मकथा और इतिहास पर पुस्तकें शामिल हैं, इनमें संसदीय समिति प्रतिवेदनों, संघ एवं राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, वित्त लेखे, विनियोग लेखे, संहिता एवं नियमपुस्तक और कार्यकलाप रिपोर्टें शामिल हैं। यह 43 भारतीय और सात विदेशी पत्रिकाएं और जर्नल मंगाता है।

एन ए ए ए, शिमला में पुस्तकालय दो तलों पर फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें विभिन्न विषयों पर 35,000 पुस्तकों से अधिक का संग्रह है। पुस्तकालय में प्रशिक्षण सामग्री और विभागीय प्रतिवेदन एवं साहित्य भी रखे हुए हैं। यह 40 भारतीय और विदेशी पत्रिका/जर्नल भी मंगाता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्र सं में भी सुव्यवस्थित पुस्तकालय हैं और ये विभिन्न विषयों पर संहिता पुस्तकें/नियमपुस्तकों एवं पुस्तकों के आधुनिक संस्करणों से सज्जित है।

कुल मिलाकर, 113 भा ले एवं ले प वि के कार्यालयों में हमारे पास विभिन्न विषयों पर 3.88 लाख पुस्तकों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त 1,070 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं एवं जर्नल भी मंगाए जाते हैं। पुस्तकालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए **पुस्तकालय सूचना प्रणाली** पर साफ्टवेयर को भा ले एवं ले प वि के बहुत से कार्यालयों में प्रारम्भ किया गया है।

प्रकाशन और नियमपुस्तक

सरकारी लेखापरीक्षा के एशियन जर्नल

"सरकारी लेखापरीक्षा का एशियन जर्नल" एसोसाई का विभागीय प्रकाशन है। इसका प्रकाशन सुदृढ़ एवं प्रभावी राज्य लेखापरीक्षा प्रणाली को उन्नत करने और एसोसाई सदस्यों को अपने अनुभव बांटने के लिए एक फोर्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसोसाई के महासचिव की क्षमता से नि.म.ले.प. द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है। यह प्रकाशित नहीं किया जाता बल्कि एसोसाई की वेबसाईट www.ASOSAI.org पर लोड किया जाता है।

लेखापरीक्षा बुलेटिन

नि.म.ले.प. का मुख्यालय, मुख्यालय एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं आदेशों वाला त्रैमासिक लेखापरीक्षा बुलेटिन प्रकाशित करता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर नियमपुस्तिका

नि.म.ले.प. कार्यालय "नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक झलक" का वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है जिसमें वर्ष के दौरान संसद को प्रस्तुत किये गये संघ सरकार के लेखाओं पर सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सार अन्तर्विष्ट हैं। राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी प्र म ले/म ले प्रत्येक राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में " नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के सार" का प्रकाशन करते हैं।

लेखापरीक्षा प्रकाश

मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग हिन्दी में एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसका शीर्षक "लेखापरीक्षा प्रकाश" है जिसमें भा ले एवं ले प वि के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखे गये लेख, कविताएं, कहानियाँ आदि शामिल किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय इकाईयाँ भी विभिन्न मैगजीन/हिन्दी पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करती हैं।

प्राप्ति लेखापरीक्षा बुलेटिन

मुख्यालय का प्राप्ति लेखापरीक्षा स्कन्ध प्राप्ति लेखापरीक्षा में लगे भा ले एवं ले प वि के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य लेखापरीक्षा दक्षता को अद्यतन करने के उद्देश्य से प्रत्येक तिमाही में प्राप्ति लेखापरीक्षा बुलेटिन - प्रत्यक्ष कर प्रकाशित करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली

मुख्यालय द्वारा 2006-07 में एक आदर्श आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली परिचालित की गई। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए यह एक आदर्श नियमावली होगी और भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का प्रत्येक कार्यालय "आदर्श आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली" के निर्देशों के आधार पर एक पृथक आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार करेगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा समाचार

उच्च स्तर के व्यावसायिक विचार-विमर्श के लिए पहल करने एवं उसे जारी रखने के मुख्य उद्देश्य से निष्पादन लेखापरीक्षा विंग नवम्बर 2006 से साई इण्डिया का एक मासिक समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है जो व्यवसायिकत्व के क्रमिक सुधार के लिए आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

भारत के नि.म.ले.प. एसोसाई के महा सचिव हैं। वह इन्टोसाई वित्त और प्रशासन समिति के एक सदस्य होने के अतिरिक्त इन्टोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य भी हैं और ज्ञान बॉटने तथा ज्ञान सेवाओं पर इन्टोसाई के लक्ष्य-3 के लक्ष्य सम्पर्क के लिए चुने गये हैं।

भारत के नि.म.ले.प. लगातार सू प्रौ लेखापरीक्षा (आई एस सी आई टी ए) पर इन्टोसाई स्थाई समिति के अध्यक्ष रहे हैं। वह इन्टोसाई की विभिन्न समितियों, कार्यचालन समूहों और कार्य बल में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के नि.म.ले.प. विभिन्न यू एन एजेंसियों के लिए बाह्य लेखापरीक्षक भी हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इन्टोसाई)

इन्टोसाई 186 साई की क्षमता के साथ सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) का एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संगठन है। 50 से अधिक वर्षों से इन्टोसाई ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा की बढती हुई माँगों को पूरा करने के लिए एक संस्थानिक ढाँचा मुहैया कराया है।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में एक अग्रणी के रूप में इन्टोसाई वित्तीय प्रबन्धन और लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश और बेहतर पद्धतियाँ जारी करते हैं; संबंधित कार्यप्रणालियों को विकसित करते हैं; प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं और सदस्यों के मध्य सूचना के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। भारत के नि.म.ले.प. सू प्रौ लेखापरीक्षा पर स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं और (i) शासी बोर्ड (ii) वित्तीय और प्रशासन समिति (iii) व्यावसायिक स्थाई समिति (iv) निजीकरण पर कार्यचालन समूह (v) पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर कार्यचालन समूह (vi) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की लेखापरीक्षा पर कार्यबल के सदस्य हैं।

सू प्रौ लेखापरीक्षा पर इन्टोसाई स्थाई समिति पर जर्नल

समिति का जर्नल 'इण्टो आई टी' द्वि वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अब तक जर्नल के 24 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक अंक में मुख्य विषय होता है। 24 वे अंक का विषय आई टी आडिट में प्रशिक्षण था। जर्नल के 25 वें अंक के लिए मुख्य विषय 'सू प्रौ अभिशासन' के रूप में चुना गया है। जर्नल के सभी अंक समिति की वेब-साइट www.intosaiitaudit.org पर उपलब्ध हैं।

वैश्विक कार्य समूह :

भारत के नि.म.ले.प. 1999 से महालेखापरीक्षकों के इस विशिष्ट समूह के सदस्य हैं जो लेखापरीक्षा से सम्बन्धित प्रचलित एवं उभरने वाले विचारणीय मुद्दों, जो नई चुनौतियों जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से उभरे हैं, के हल के लिए इकट्ठे हुए हैं।

सम्पर्क.....विश्वव्यापी

बैठकें

चीन

भारत के नि.म.ले.प. ने 11 सितम्बर 2006 एवं 15 सितम्बर 2006 को शंघाई में आयोजित एसोसाई के शासी मण्डल की 36वीं एवं 37वीं बैठक में भाग लिया। प्रशिक्षण, नीतिगत परियोजना एवं 8वीं अनुसंधान योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी/

वार्तालाप

नि.म.ले.प. निम्नलिखित है :

- एसोसाई के महासचिव;
- इन्टोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य,
- सू प्रौ लेखापरीक्षा पर इन्टोसाई स्थाई समिति के अध्यक्ष, और
- विभिन्न यू एन एजेंसियों के बाह्य लेखापरीक्षक

मैक्सिको

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 2-3 नवम्बर 2006 को मैक्सिको शहर, मैक्सिको में आयोजित **इन्टोसाई के शासी मण्डल की 55वीं बैठक में भाग लिया**। भारत के नि.म.ले.प.ने मण्डल को इन्टोसाई के लक्ष्य 3 (ज्ञान का बटवारा + ज्ञान सेवाओं) के लक्ष्य सम्पर्क की हैसियत से इण्टोसाई के आन लाइन केलिबिटेसन टूल के बारे में अवगत कराया।

भारत

- भारत के नि.म.ले.प. ने 4-5 जनवरी 2007 को नई दिल्ली में **इन्टोसाई की अनुपालना लेखापरीक्षा की उप समिति की चौथी बैठक** का आयोजन किया। 10 साई सदस्यों के 15 प्रतिनिधियों एवं यूरोपीय संघ ने बैठक में भाग लिया। अनुपालना लेखापरीक्षा दिशा निर्देश उप समिति, अनुपालना लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश बनाने के कार्य का नेतृत्व कर रही है। अनुपालना लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश, अनुपालना लेखापरीक्षा की योजना, कार्यान्वयन एवं रिपोर्ट के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश उपलब्ध करवायेंगे।

ओमान

- भारत के नि.म.ले.प. ने 5-7 मार्च 2007 के दौरान ओमान की राजकीय लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा आयोजित **इन्टोसाई की सू0 प्रौ0 लेखापरीक्षा की स्थायी समिति की 16वीं बैठक** में भाग लिया। बैठक में 20 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में समिति की वर्तमान एवं भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। साई-भारत द्वारा ई-गवर्नेंस पर अन्तिम उत्पाद सू0 प्रौ0 लेखापरीक्षा पर अद्यतन कोर्सवेयर के साथ प्रस्तुत किया गया।



नार्वे

- साई भारत ने साई नार्वे द्वारा ओसलो में **इन्टोसाई वित्त एवं प्रशासन समिति की 26-27 मार्च 2007 को आयोजित चौथी बैठक** में भाग लिया। इण्टोसाई वित्त एवं प्रशासन समिति की स्थापना इंकोसाई - 2004 द्वारा इंकोसाई की नीतिगत योजना 2005-2010 के लक्ष्य -4 (आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय संगठन) के लक्ष्य सम्पर्क के रूप में समग्र दायित्व के लिए की गई थी।

कार्यशालाएँ

इण्डोनेशिया

- साई भारत ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया की लेखापरीक्षा पर एसोसाई द्वारा 7-18 अगस्त 2006 के दौरान जकार्ता, इण्डोनेशिया में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया एवं प्रशिक्षक दल को तकनीकी सहायता प्रदान की।

जापान

- साई भारत ने जे.आई.सी.ए. द्वारा प्रायोजित एसोसाई कार्यशाला "नई सीमाओं पर चुनौतियाँ- उभरते हुये लेखापरीक्षा विषयों के लिए मानव संसाधनों के विकास एवं प्रबन्ध" पर 12-22 नवम्बर 2006 के दौरान टोकयो जापान में भाग लिया। कार्यशाला साई के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभिप्रेत थी जो अपने साई देश में मानव संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन के प्रभारी एवं 30 - 50 आयु वर्ग के थे।



सेमीनार

भारत

- "नियामक निकायों की लेखापरीक्षा" विषय पर भारत -पौलैंड का 7वां संयुक्त सेमिनार 6-7 नवम्बर 2006 को तिरुवनन्तपुरम, केरल में हुआ। दोनों पक्षों ने अपने देश के दस्तावेज एवं मामला अध्ययन प्रस्तुत किये।
- "सरकारी राजस्व की लेखापरीक्षा" विषय पर भारत-चीन का संयुक्त सेमीनार 20-24 नवम्बर 2006 के दौरान गोवा, भारत में हुआ। दोनों पक्षों ने अपने देश के दस्तावेज एवं मामला अध्ययन प्रस्तुत किये।

➤ भारत के नि.म.ले.प. ने "लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रबन्धन पर प्रथम सेमीनार का उद्घाटन किया जो नि.म.ले.प. के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में 12-16 फरवरी 2007 को हुआ। सेमिनार ने सफलतापूर्वक विभिन्न साई देशों के अनुभवी एवं पेशेवर लोगों को एकत्रित किया जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की तथा उसके बारे में सीखा ताकि सरकार एवं सम्बन्धित संगठन की जवाबदेही के लिए समस्त कार्य प्रणाली में सुधार किया जा सके। सेमिनार में एसोसाई के साई सदस्यों में 24 और जी.ए.ओ. एवं साई-भारत के दो एस एम आई के अलावा वाणिज्यिक उद्यमों, संचार माध्यमों एवं गैर-सरकारी संगठनों के कुछ श्रेष्ठ वक्ताओं ने भाग लिया। विदाई समारोह की अध्यक्षता भारत के उप नि.म.ले.प. ने की।

ओमान

- सू.प्रौ. शासन की निष्पादन लेखापरीक्षा पर 5वां सेमीनार 3-4 मार्च 2007 के दौरान हुआ। सेमीनार का समन्वय साई यू.एस.ए. ने किया एवं सम्पादकीय मण्डल में साई ब्राजील कनाडा, नीरलैंड एवं भारत थे।

दोरे

- पाकिस्तान के महालेखापरीक्षक श्री मोहम्मद यूनिस खान ने अपने दो अधिकारियों श्री आरिफ अस्मान खान तथा श्री खुर्रम फारूक के साथ 12-27 मार्च 2007 के दौरान भारत का दौरा किया। अपने प्रवास के दौरान, महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला की यात्रा के अलावा वे परिवीक्षार्थियों को प्राप्त प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने के लिए राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला भी गये। श्री मोहम्मद यूनिस खान ने आपसी हित एवं सहयोग के क्षेत्रों पर भारत के नि.म.ले.प. के साथ भी चर्चा की।
- भूटान के महालेखापरीक्षक श्री उगेन चिवांग ने, अपने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 10-20 दिसम्बर 2006 के दौरान भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला के अलावा साई भारत के चण्डीगढ़, जयपुर एवं कोलकाता स्थित कार्यालय देखने भी गये।
- श्री नस्सिर अल रवाही, साई, ओमन के उपाध्यक्ष ने क्षमता बनाने के लिए सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों पर चर्चा के लिए 16-20 अप्रैल 2007 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया। बैठक के दौरान श्री अल रवाही, ने नि.म.ले.प. से मुलाकात की एवं श्री सी.वी. अक्धानी, उप नि.म.ले.प. तथा श्री के.पी. लक्ष्मणराव, अतिरिक्त नि.म.ले.प. (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग) के साथ चर्चा की।

- डॉ अहमद अल मिदोई, प्रीमियर प्रेसीडेंट डी.ला कुर डेस काम्पट्स, मोरक्को के निमन्त्रण पर, भारत के नि.म. ले.प. श्री विजयेन्द्र नाथ कौल ने 8-10 मार्च 2006 के दौरान द्विपक्षीय आघार पर मोरक्को की यात्रा की। द्विपक्षीय बैठक में सू.प्रौ. की लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में दोनों संस्थाओं के बीच आपसी हित के लिए सहयोग पर बल दिया गया

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को लेखापरीक्षा सेवाएँ मुहैया कराना

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक 2006-07 के दौरान निम्नलिखित यू एन विशेषज्ञ एजेन्सियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बाह्य लेखापरीक्षक थे।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ)

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आई एम ओ)

विश्व पर्यटन संगठन (डब्लू टी ओ)

यू.एन. के बाह्य लेखापरीक्षक का पैनल, इसकी विशिष्ट एजेंसियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अणविक उर्जा एजेंसी :

- 1993 से सुयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के बाह्य लेखापरीक्षक होने की वजह से भारत के नि.म.ले.प. पैनल के सदस्य हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा के लिए मानक स्थापित करने, सर्वोत्तम प्रयोग एवं मार्गदर्शन से सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बद्ध रहे हैं।

हम अग्रसर हैं.....

निम्नलिखित उद्देश्य से :

- पणधारियों को अत्यधिक आश्वासन देना;
- लेखापरीक्षा के माध्यम से सत्त्वों के निष्पादन को अधिक से अधिक महत्व देना;
- सत्त्वों एवं उनके घटकों की अत्यधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना;
- अभिशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लेखापरीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सरकार की सहायता करना;
- जोखिम निर्धारण एवं प्रबन्धन में कमियों के सम्बन्ध में सत्त्वों को जागरूक बनाना ; और
- सर्वोपरि बेहतर आयोजना, सुदृढ़ प्रबन्धन पद्धति, व्यापक एवं सुसंगत सूचना प्रणाली, संसाधनों के मितव्ययी एवं दक्ष उपयोग, पूर्वनिर्धारित निष्पादन उपाय एवं कार्यक्रम लक्ष्यों के प्रति निरन्तर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करके लोक प्रशासन की गुणवत्ता सुधार में योगदान प्रदान करना।

इस जानकारी के साथ कि

- सत्त्व परिवेश जटिल हो रहा है;
- अत्यधिक हस्तान्तरण एवं विकेन्द्रीकरण के साथ जुड़े जोखिमों के प्रति समान जवाबदेही प्रणाली एवं कार्यविधियों का स्वीकार्य किया जाना चाहिए;
- स्वायत्त संस्थाओं को सौंपे गए अधिक से अधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन की नीति जवाबदेही के अत्यधिक जोखिम के साथ जुड़ी हो;
- लोक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और कई कार्य सत्त्वों के आउटसोर्सिंग के उपयोग की वृद्धि में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अत्यधिक जोखिम हो सकता है;
- सू प्रौ प्रणाली और ई-अभिशासन के अधिक से अधिक उपयोग के कारण लेखापरीक्षा योजना, कार्यविधि एवं भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्मिकों के कौशल की निरन्तर समीक्षा एवं उन्नयन अपेक्षित है; और
- कार्यक्रम प्रबन्धन एवं सूचना प्रणालियों की पद्धति में बढ़ती जटिलताओं के साथ धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के जोखिम उच्चतर हो सकते हैं।

लेखा एवं हकदारी कार्य

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं

- गोवा एवं चण्डीगढ़ तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर 27 राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन एवं रख-रखाव
- राज्य सरकारों के वार्षिक लेखाओं को तैयार करना; और
- राज्य सरकारों को लेखांकन सूचना एवं सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ

- 27 राज्यों में लेखाओं के इलेक्ट्रॉनिक संकलन (तीन राज्यों में कोषागार संकलित लेखाओं से समेकन सहित)
- राज्य महालेखाकारों द्वारा "लेखा-एक झलक" का वार्षिक प्रकाशन।
- वेबसाइट पर राज्य सरकारों के लेखाओं के प्रमुख संकेतकों/सूचना दर्शाने के लिए महालेखाकारों ने कार्रवाई की पहल की।
- सामान्य भविष्य निधि (सा भ नि) एवं पेंशन लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण में पर्याप्त प्रगति प्राप्त हुई है।
- सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मिकों द्वारा ऑन लाइन पूछताछ की सुविधा प्रदान करने हेतु कई राज्यों में आई वी आर एस (इन्टरएक्टिव वॉइस रिसपांस सिस्टम) का कार्यान्वयन किया गया है।
- सा भ नि लेखाओं के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए कई राज्यों ने वेबसाइट की शुरुआत की है।
- हकदारी के सम्बन्ध में सभी शिकायतों की सघन मानीट्रिंग नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय में विद्यमान है।

लेखाकरण कार्य-एक आधुनिक

मासिक लेखाओं का संकलन- राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र

27 राज्यों में कोषागारों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखाओं अर्थात् वाउचर, नकद लेखा, भुगतान की सूची, प्राप्ति अनुसूची, इत्यादि (आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जहाँ कोषागार संकलित लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं, को छोड़कर) और लोक निर्माण, वन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंडल इत्यादि से प्राप्त संकलित लेखाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संकलित किया जाता है। वर्ष के दौरान लगभग तीन करोड़ वाउचरों का संकलन किया गया था। राज्य के महालेखाकार मासिक लेखाओं को समेकन एवं अंतिम रूप देने से पहले कई अन्तर विभागीय और अंतरराज्यीय समायोजन भी करते हैं।

वित्त लेखा एवं विनियोग लेखा-राज्य सरकार

वित्त लेखा वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करता है जिसमें राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में अभिलेखित शेषों से निकाली गई देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के लेखाओं द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणाम दिखाये जाते हैं। संस्वीकृत प्रावधानों के आधिक्य/बचत पर टिप्पणियों के साथ दत्तमत्त अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि से वास्तविक की तुलना विनियोग लेखाओं में होती है। महालेखाकार (लेखा एवं हक) राज्य सरकारों के वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं।

1998-99 के वार्षिक लेखाओं से राज्य के महालेखाकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के वार्षिक लेखाओं के सम्बन्ध में वार्षिक प्रकाशन "लेखा एक झलक" निर्गम करते हैं। यह प्रकाशन वित्त लेखा एवं विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित सरकारी कार्यकलाप का एक वृहद दृष्टिकोण देता है। आन्ध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु में यह बुकलेट स्थानीय भाषाओं में भी मुद्रित की जाती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं का प्रमाणीकरण

वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्बन्धित राज्य के प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है जिसके आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इन लेखाओं को प्रमाणित करते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल/प्रशासक को प्रमाणित लेखा प्रस्तुत करते हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वर्ष 2005-06 के लिए लेखाओं को निर्धारित समयावधि के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया और प्रमाणित किया गया था।

मासिक लेखाओं को वेबसाइट पर डालना

विभाग ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेबसाइट पर राज्य सरकारों के मासिक लेखाओं के मुख्य संकेतक/सूचना को डालने हेतु कार्सवाई की पहल की थी। 24 राज्य नामतः आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल ने सारांश डाटा डालने हेतु सहमति दी है। दस कार्यालय मासिक सिविल लेखे अपनी वेबसाइटों पर दिखा रहे थे।


हकदारी कार्य-एक आशुचित्र

राज्यों में राजपत्रित अधिकारियों को भुगतान प्राधिकृत करना

राजपत्रित अधिकारियों के भुगतानों को प्राधिकृत करने का कार्य असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और तमिलनाडु राज्यों में भा ले एवं ले प वि के पास या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से है। उच्च पदाधिकारियों जैसे राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, एम एल ए, एम एल सी इत्यादि की परिलब्धियों पर कार्सवाई लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में की जाती है।

पेंशन प्राधिकार करना एवं सा भ नि कार्य

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार कर्मचारियों, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान एवं सिक्किम को छोड़कर, के सा भ नि लेखाओं का रखरखाव रखते हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, के कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी प्राधिकृत करते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, भा ले एवं ले प वि के लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा पेंशन, कुटुम्ब पेंशन इत्यादि प्राधिकृत किए गए थे और सा भ नि अंतिम भुगतान किया गया था जैसा कि नीचे के चार्ट में दर्शाया गया है



सा भ नि एवं पेंशन के कम्प्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सा भ नि लेखाओं का रख-रखाव एवं वार्षिक विवरणों का निर्गम सभी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत किया गया है। लगभग 48 लाख भविष्य निधि अभिदाताओं को वर्ष के दौरान सेवा प्रदान की गई थी।

नागरिक घोषणा पत्र

सेवारत एवं सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बेहतर हकदारी सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक घोषणा-पत्र अप्रैल 2003 में अपनाया गया था। लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा अपनाये गये नागरिक घोषणा-पत्र को कार्य करने हेतु सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया है। नागरिक घोषणा-पत्र का नीचे उल्लेख किया जाता है :

पेंशनरी लाभों एवं भविष्य निधि शेष प्राप्यों के तत्काल निपटान प्राप्त करने हेतु पेंशनरों के अधिकार को **मान्यता देना।**

संवीक्षा एवं प्राधिकृत प्राधिकारी के रूप में उत्तरदायित्व का **संचेतन।**

सेवा की उच्चतम गुणवत्ता को मुहैया कराने और रखरखाव करने हेतु हमारी वचनबद्धता के **साक्ष्य** में।

हम ये निश्चित करते हैं

- सभी प्रकार से पूर्ण मामलों की प्राप्ति के दो महीनों के भीतर पेंशनरी लाभों एवं भविष्य निधि प्राप्यों को प्राधिकृत करना
- एक महीने के भीतर विसंगतियों एवं दोषों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों को सम्बोधन करना और ऐसी कार्रवाई से लाभभोगियों को सूचित करना;
- एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायत मामलों की प्राप्ति की पावती देना;
- प्राप्ति के दो महीनों के भीतर सेवानिवृत्त लाभों के सम्बन्ध में शिकायतों का अंतिम उत्तर देना;
- प्राप्ति के तीन महीनों के भीतर सामान्य भविष्य निधि में विसंगतियों से सम्बन्धित पत्राचार का अंतिम उत्तर देना;

सभी "पणधारियों" की क्रियाविधियों एवं प्रक्रियाओं पर जानकारी एवं सूचना का प्रदान करने का भी निश्चय करते हैं।

इन्टरएक्टिव वॉइस रिस्पॉंस सिस्टम (आई वी आर एस)

पेंशन एवं सा भ नि लेखाओं पर सूचना के सम्बन्ध में सेवारत एवं सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा आनलाइन पूछताछ को सुकर बनाने के लिए आई वी आर एस (इन्टरएक्टिव वॉइस रिस्पॉंस सिस्टम) का प्रतिष्ठापन गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र I एवं II, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्रप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों में किया गया है। यह परियोजना अन्य शेष राज्यों में भी शुरू की जा रही है। सा भ नि लेखाओं के सम्बन्ध में सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र II, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश द्वारा वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई गई है।

पेंशन अदालत द्वारा पेंशनरों को पेंशन का प्राधिकार

वर्ष 2006-07 के दौरान पेंशन निपटाने वाले महालेखाकारों (लेखा एवं हकदारी) ने 19 पेंशन अदालतें लगायीं और 1,930 मामलों में पेंशन को प्राधिकृत किया। राज्य सरकार के अधिकारियों हेतु पेंशन प्रलेखीकरण दिशानिर्देश वाली बुकलेट राज्य सरकार के कार्यालयों के बीच परिचालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित की गई है। दो कार्यालयों (महाराष्ट्र और तमिलनाडु) ने अपने पेंशन प्राधिकरण प्रणाली के लिए आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

अन्य कार्य

शिकायतों को मानीटर करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय हकदारी से सम्बन्धित सभी शिकायतों को गम्भीरता से मानीटर करता है। शिकायतों की समीक्षा की जाती है और जल्दी अथवा अंतर्सिम निपटान हेतु सम्बन्धित महालेखाकार को निर्देश दिया जाता है। शिकायतकर्ता को विलम्ब अथवा मामले के निपटान न करने के कारणों को सूचित किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 12,214 शिकायतों में से 10,653 निपटाई गई थी।

आयकर और संघ उत्पाद शुल्कों की वारस्तविक प्राप्तियों का प्रमाणीकरण

संविधान के 80वें संशोधन के फलस्वरूप संघ सरकार द्वारा उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत उपकर एवं अधिभार को छोड़कर सभी कर एवं शुल्क राज्यों में बांटने योग्य होता है। संशोधन 01 अप्रैल 1996 से प्रभावी किया गया था। वर्ष 2003-04 के लिए प्रत्यक्ष कर एवं व्यय करों के प्रमाण-पत्र वर्ष के दौरान जारी किए गए थे। संघ उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण के अभाव में जारी नहीं किए गए थे।

संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखाओं का संकलन

संयुक्त एवं राजस्व लेखा (सी एफ आर) एक दस्तावेज है जो एक स्थान पर संघ और राज्यों के वित्त के संबंध में सूचना देता है। 2004-05 तक के वर्षों के लिए सी एफ आर तैयार किया गया है और वर्ष के दौरान सभी विभागों एवं अन्य प्रयोक्ताओं को मुद्रित प्रतियाँ वितरित की गई हैं।

लेखाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु किए गए उपाय

लेखाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु सभी ले. एवं हक. कार्यालयों को उन प्रारम्भिक लेखाओं जो कोषागारों से प्राप्त होते हैं की आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करने और वाउचरों में उन गलतियों को बताने जो कोषागार स्तर पर संवीक्षा से छूट जाती है हेतु निर्देश दिया गया था। कार्यालयों को उन योजनाओं, जो बजट में नहीं है, पर व्यय और माह के दौरान अन्तः सरकारी दावों की वसूली तथा निपटान और आहरण एवं संवितरण अधिकारी आदि द्वारा व्यय के समाधान की स्थिति को राज्य सरकार की सूचना में लाने के लिए निर्देश दिया गया था।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

I. लेखापरीक्षा कार्यालय - संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र

क. सिविल

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
4. शाखा कार्यालय: बेंगलूर, मुम्बई, कोलकाता एवम् चेन्नई (उप कार्यालय)
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
6. शाखा कार्यालय: पोर्ट ब्लेयर
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई

टिप्पणी :- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, केरल एवं तमिलनाडु एवं पुडुचेरी द्वारा क्रमशः चंडीगढ़, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के लेखापरीक्षा कवर किए जाते हैं। दादरा एवं नगर हवेली से सम्बन्धित लेखापरीक्षा महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), गुजरात, राजकोट द्वारा कवर किए जाते हैं।

ख. रक्षा

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, नई दिल्ली
2. शाखा कार्यालय: इलाहाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली कैंट, जम्मू, कोलकाता, मेरठ कैंट, पटना एवं पुणे
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायुसेना एवं नौसेना, नई दिल्ली
4. शाखा कार्यालय: बेंगलूर, देहरादून एवं मुम्बई
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फॅक्टरियाँ, कोलकाता
6. शाखा कार्यालय: अवादी (चेन्नई) कोलकाता, जबलपुर, कानपुर एवं फिस्की

ग. डाक एवं दूरसंचार

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली
2. शाखा कार्यालय: अहमदाबाद, बेंगलूर, भोपाल, कोलकाता (2), कटक, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कपूरथला, लखनऊ, मुम्बई, चेन्नई, नागपुर, पटना एवं तिरुवनंतपुरम

घ. रेलवे

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुम्बई
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
4. शाखा कार्यालय: कोफमाऊ, नई दिल्ली
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोर्खपुर
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
शाखा कार्यालय: चेन्नई, इर्नाकुलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और इगमोर
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुम्बई
शाखा कार्यालय: अजमेर
12. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
13. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन इकाई एवं मेट्रो रेलवे, कोलकाता
शाखा कार्यालय: चित्तरंजन (बर्द्धमान), कोलकाता एवं वाराणसी
14. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
15. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
16. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
17. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

ड. वाणिज्यिक

1. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड , बेंगलूर
शाखा कार्यालय : बेंगलूर, हैदराबाद और नासिक
2. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I , कोलकाता
शाखा कार्यालय: कोलकाता
3. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II , कोलकाता
शाखा कार्यालय : राँची
4. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड , चेन्नई
5. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड , हैदराबाद
शाखा कार्यालय: विशाखापत्तनम
6. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I , मुम्बई
7. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II , मुम्बई
शाखा कार्यालय: मुम्बई (बांद्रा), बड़ोदरा एवं देहरादून
8. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I , नई दिल्ली
9. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II , नई दिल्ली
शाखा कार्यालय: देहरादून और नई दिल्ली
10. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III , नई दिल्ली
शाखा कार्यालय: भोपाल
11. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-IV , नई दिल्ली
शाखा कार्यालय: चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और नई दिल्ली

12. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड , राँची
शाखा कार्यालय: दुर्गापुर एवं राउरकेला

च. विदेश स्थिति

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारत लेखापरीक्षा कार्यालय, लंदन
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारत लेखा, वाशिंगटन, डी सी
3. निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम
4. निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा

II. लेखापरीक्षा कार्यालय: राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
3. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
4. महालेखाकार, अरुणाचल प्रदेश, इटानगर
5. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), असम, गुवाहाटी
7. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), छत्तीसगढ़, रायपुर
10. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नई दिल्ली
11. महालेखाकार, गोवा
12. प्रधान महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद
शाखा कार्यालय: राजकोट
13. महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), गुजरात, राजकोट
शाखा कार्यालय: अहमदाबाद
14. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), गुजरात, अहमदाबाद
15. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़
16. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
17. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
18. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
शाखा कार्यालय: जम्मू
19. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, राँची
20. प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), कर्नाटक, बेंगलूर
शाखा कार्यालय: धारवाड़
21. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), कर्नाटक, बेंगलूर
22. महालेखाकार (निर्माण कार्य, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), कर्नाटक, बेंगलूर

23. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम
शाखा कार्यालय: कोच्चि (एर्नाकुलम), कोट्टायम, कोझीकोड एवं त्रिशुर
24. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), केरल, तिरुवनंतपुरम
25. प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
26. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
27. महालेखाकार (निर्माण कार्य, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, भोपाल
शाखा कार्यालय: ग्वालियर
28. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)I, महाराष्ट्र, मुम्बई
शाखा कार्यालय: पुणे
29. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), महाराष्ट्र, मुम्बई
30. महालेखाकार (लेखापरीक्षा)II, महाराष्ट्र, नागपुर
31. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), महाराष्ट्र, नागपुर
32. महालेखाकार (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुम्बई
33. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
34. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), मणिपुर, इम्फाल
35. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग
36. महालेखाकार, मिजोरम, आइजोल
37. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा
38. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), उड़ीसा, भुवनेश्वर
39. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), उड़ीसा, भुवनेश्वर
40. महालेखाकार (वाणिज्यिक, निर्माण कार्य एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), उड़ीसा, भुवनेश्वर
शाखा कार्यालय: पुरी और भुवनेश्वर
41. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ़
42. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
43. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), राजस्थान, जयपुर
44. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
45. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम, गंगटोक
46. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, चेन्नई
शाखा कार्यालय: पुडुचेरी एवं मदुरई
47. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), तमिलनाडु, चेन्नई
48. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), तमिलनाडु, चेन्नई
शाखा कार्यालय: मदुरई
49. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
50. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), त्रिपुरा, अगरतला
51. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

52. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
53. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
शाखा कार्यालय: इलाहाबाद
54. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
55. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा), उत्तरांचल, देहरादून
56. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
57. महालेखाकार (प्राप्ति, निर्माण कार्य एवं स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

III. लेखा एवं हकदारी कार्यालय : राज्य

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), असम, गुवाहाटी
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), गुजरात, राजकोट
शाखा कार्यालय: अहमदाबाद
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला
7. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
शाखा कार्यालय: जम्मू
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, रांची
9. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कर्नाटक, बेंगलूर
10. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल, तिरुवनंतपुरम
शाखा कार्यालय: एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, त्रिशुर
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
शाखा कार्यालय: भोपाल
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)I, महाराष्ट्र, मुंबई
14. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II, महाराष्ट्र, नागपुर
15. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मणिपुर, इम्फाल
16. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम, शिलांग
17. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), नागालैंड, कोहिमा
18. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा, भुवनेश्वर
शाखा कार्यालय : पुरी
19. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब, चंडीगढ़
20. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर
21. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), सिक्किम, गंगटोक
22. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तमिलनाडु, चेन्नई

23. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), त्रिपुरा, अगरतला
24. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
25. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
शाखा कार्यालय: लखनऊ
26. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

शाखा कार्यालय: कोलकाता

टिप्पणी : संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के लेखा एवं हकदारी कार्य क्रमशः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब, गुजरात और केरल द्वारा किया जाता है।

IV. प्रशिक्षण संस्थान

1. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केन्द्र, नोएडा
2. राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला
3. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
4. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई
5. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
6. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
7. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता
8. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
9. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
10. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची
11. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग

2006-07 के दौरान संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2005-06 हेतु नियमितता लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	विवरण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की श्रेणी	संसद/विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तारीख
संघ सरकार			
वाणिज्यिक			
1.	दूरसंचार क्षेत्र	2007 की 12	14.03.2007
राज्य सरकार			
सिविल, प्राप्ति एवं वाणिज्यिक			
2.	आन्ध्र प्रदेश	सिविल	21.12.2006
3.		राज्य प्राप्तियाँ	30.03.2007
4.		वाणिज्यिक राज्य	30.03.2007
5.	अरुणाचल प्रदेश	सिविल	20.03.2007
6.	असम	सिविल	10.03.2007
7.		राज्य प्राप्तियाँ	26.02.2007
8.		वाणिज्यिक राज्य	10.03.2007
9.	बिहार	सिविल	23.03.2007
10.	छत्तीसगढ़	सिविल	15.03.2007
11.		राज्य प्राप्तियाँ	15.03.2007
12.	गुजरात	सिविल	30.03.2007
13.		वाणिज्यिक राज्य	30.03.2007
14.	हरियाणा	सिविल	09.03.2007
15.		राज्य प्राप्तियाँ	09.03.2007
16.		वाणिज्यिक राज्य	09.03.2007
17.	जम्मू एवं कश्मीर	सिविल	08.02.2007
18.	कर्नाटक	वाणिज्यिक राज्य	26.03.2007
19.	केरल	सिविल	28.12.2006
20.		राज्य प्राप्तियाँ	28.03.2007
21.		वाणिज्यिक राज्य	28.03.2007
22.	मध्य प्रदेश	राज्य प्राप्तियाँ	29.03.2007
23.		वाणिज्यिक राज्य	29.03.2007
24.	मिजोरम	सिविल	29.03.2007
25.	नागालैंड	सिविल	26.03.2007

26.	ओड़िसा	सिविल	30.11.2006
27.		राज्य प्राप्तिर्षाँ	29.03.2007
28.		वाणिज्जिक राज्ज	29.03.2007
29.	पंजाब	सिविल	27.03.2007
30.		राज्य प्राप्तिर्षाँ	29.03.2007
31.		वाणिज्जिक राज्ज	29.03.2007
32.	राजस्थान	सिविल	13.03.2007
33.		राज्य प्राप्तिर्षाँ	13.03.2007
34.		वाणिज्जिक राज्ज	13.03.2007
35.	सिक्किम	सिविल	26.03.2007
36.	त्रिपुरा	सिविल	29.03.2007
37.	उत्तर प्रदेश	राज्य प्राप्तिर्षाँ	25.01.2007
38.	पश्चिम बंगाल	सिविल	29.03.2007
39.		राज्य प्राप्तिर्षाँ	29.03.2007
40.		वाणिज्जिक राज्ज	29.03.2007

**31 मार्च 2007 के पश्चात संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2005-06
हेतु नियमितता लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्रम सं.	विवरण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की श्रेणी	संसद/विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तारीख
संघ सरकार			
सिविल			
1.	संघ सरकार के लेखाओं	2007 की 1	14.05.2007
2.	संघ सरकार-सिविल संव्यवहार लेखापरीक्षा	2007 की 2	14.05.2007
3.	स्वायत्त निकायों-नियमितता लेखापरीक्षा	2007 की 3	14.05.2007
रक्षा			
4.	सेना एवं आयुध फैक्टरियाँ	2007 की 4	14.05.2007
5.	वायुसेना एवं नौसेना	2007 की 5	14.05.2007
रेलवे			
6.	संव्यवहार लेखापरीक्षा	2007 की 6	14.05.2007
राजस्व प्राप्तियाँ			
7.	अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)	2007 की 7	14.05.2007
8.	प्रत्यक्ष कर (संव्यवहार लेखापरीक्षा)	2007 की 8	14.05.2007
वाणिज्यिक			
9.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग-नियमितता लेखापरीक्षा	2007 की 9	15.05.2007
10.	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में लागू सूचना प्रौद्योगिकी-नियमितता लेखापरीक्षा	2007 की 10	15.05.2007
11.	संव्यवहार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ-नियमितता लेखापरीक्षा	2007 की 11	15.05.2007
राज्य सरकार			
सिविल, प्राप्ति एवं वाणिज्यिक			
12.	बिहार	राज्य प्राप्ति	16.07.2007
13.		वाणिज्यिक राज्य	16.07.2007
14.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सिविल एवं वाणिज्यिक	20.04.2007
15.		राज्य प्राप्ति	20.04.2007
16.	गोवा	सिविल	30.07.2007
17.	हिमाचल प्रदेश	सिविल	03.04.2007
18.		राज्य प्राप्ति	03.04.2007
19.	झारखंड	सिविल	04.04.2007
20.		राज्य प्राप्ति	04.04.2007

21.		सिविल	25.07.2007
22.	कर्नाटक	स्थानीय निकाय	27.07.2007
23.		राज्य प्राप्तिर्याँ	25.07.2007
24.	केरल	स्थानीय निकाय	26.07.2007
25.	मध्य प्रदेश	सिविल	26.07.2007
26.		सिविल	17.04.2007
27.	महाराष्ट्र	राज्य प्राप्तिर्याँ	17.04.2007
28.		वाणिज्यिक राज्य	17.04.2007
29.	मेघालय	सिविल	19.04.2007
30.	मणिपुर	सिविल	19.05.2007
31.	पुडुचेरी	सिविल	02.05.2007
32.		सिविल	14.05.2007
33.	तमिलनाडु	वाणिज्यिक राज्य	14.05.2007
34.		राज्य प्राप्तिर्याँ	14.05.2007
35.		स्थानीय निकाय	22.10.2007
36.	उत्तरांचल	सिविल	27.06.2007
37.	उत्तर प्रदेश	सिविल	10.07.2007
38.		वाणिज्यिक राज्य	23.05.2007

**संसद/विधानमंडल में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2005-06
हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्रम सं.	विवरण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की श्रेणी	संसद/विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तारीख
संघ सरकार			
सिविल			
1.	सिविल एवं डाक विभाग	2007 की 1	14.05.2007
2.	वैज्ञानिक विभाग	2007 की 2	14.05.2007
3.	पासपोर्ट, विसा और कन्सुलर सेवाएं	2007 की 12	17.05.2007
4.	चयनित केन्द्रीय मंत्रालयों में आंतरिक नियंत्रण	2007 की 13	17.05.2007
5.	औद्योगिक विवादों अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन और ठेका श्रम (विनियम और समापन) अधिनियम 1970	2007 की 15	17.05.2007
6.	त्वरित पावर विकास एवं सुधार कार्यक्रम	2007 की 16	17.05.2007
स्वायत्त निकाय			
7.	निष्पादन लेखापरीक्षा	2007 की 3	14.05.2007
रक्षा			
8.	सेना एवं आयुध फैक्टरियाँ	2007 की 4	14.05.2007
9.	वायुसेना एवं नौसेना	2007 की 5	14.05.2007
रेलवे			
10.	रेलवे निष्पादन	2007 की 6	14.05.2007
11.	सूचना प्रौद्योगिकी	2007 की 11	14.05.2007
राजस्व प्राप्तियाँ			
12.	अप्रत्यक्ष कर	2007 की 7	14.05.2007
13.	प्रत्यक्ष कर	2007 की 8	14.05.2007
केन्द्रीय वाणिज्यिक			
14.	चयनित सा क्षेत्र के कार्यकलापों की समीक्षा	2007 की 9	15.05.2007
15.	निष्पादन लेखापरीक्षा (दूरसंचार क्षेत्र)	2006 की 10	26.04.2007
16.	संरचना और परिचालन सुविधाएं की समीक्षा- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	2007 की 17	15.05.2007
राज्य सरकार			
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सिविल विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा)	सिविल	20.04.2007
18.	केरल-स्टैंड एलोन रिपोर्ट	सिविल	20.03.2007
19.	महाराष्ट्र-स्टैंड एलोन रिपोर्ट	सिविल	17.04.2007

विभिन्न संघ मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित¹² कार्रवाई टिप्पणियां

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वाणिज्यिक	सिविल	वैज्ञानिक विभाग	स्वायत्त निकाय	स्थानीय निकाय	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	रक्षा सेवाएं	रेलवे	जोड़
1	वित्त	-	03	-	-	-	2,181	293	-	-	2,477
2	संचार एवं सूचना प्रसारण	08	-	-	06	-	0	-	-	-	14
3	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन	10	-	-	41	-	-	-	-	-	51
4	युवा मामले एवं खेलकूद	-	-	-	04	-	-	-	-	-	04
5	रक्षा	-	-	-	-	-	-	-	58	-	58
6	रेलवे	06	-	-	-	-	-	-	-	128	134
7	सूचना एवं प्रौद्योगिकी (डाक विभाग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	03	-	-	-	-	-	-	-	-	03
9	दूरसंचार	112	-	02	-	-	-	-	-	-	114
10	वाणिज्य एवं उद्योग	-	03	-	-	-	-	-	-	-	03
11	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
12	सी एस आई आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	संस्कृति	-	01	-	02	-	-	-	-	-	03
14	रसायन एवं पेट्रो रसायन	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
15	विदेश मामले	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
16	वित्त (राजस्व विभाग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	आर्थिक मामले विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	08	-	03	-	-	-	-	-	22
19	मानव संसाधन विभाग (सेक्रेटरी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	विधि एवं न्याय	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
22	उर्जा	32	01	-	-	-	-	-	-	-	33
23	ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02

¹² ए टी एन बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ

25	परमाणु ऊर्जा		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	जहाजरानी	10	02	-	05	-	-	-	-	-	17
27	लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग	03	-	-	-	-	-	-	-	-	03
28	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	39	-	-	01	-	-	-	-	-	40
29	इस्पात	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80
30	कपड़ा	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
31	पर्यटन	03	-	-	-	-	-	-	-	-	03
32	जल संसाधन	03	-	-	-	-	-	-	-	-	03
33	कृषि एवं सहयोग	03	-	-	-	-	-	-	-	-	03
34	जैव प्रौद्योगिकी	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
35	उर्वरक	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23
36	नागर विमानन	18	0	0	0		0	0	0	0	18
37	कोयला	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28
38	खान	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
39	वाणिज्य एवं उद्योग	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
40	रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
41	पूर्वोत्तर विकास	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02
42	पर्यावरण एवं वन	05	-	-	-	-	-	-	-	-	05
43	वित्त (बैंकिंग प्रभाग)	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92
44	वित्त (बीमा प्रभाग)	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68
45	गृह	06	01	-	-	-	-	-	-	-	07
46	मानव संसाधन	08	02	-	-	09	-	-	-	-	19
47	मानव संसाधन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	04	-	-	-	-	-	-	-	-	04
48	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	48	01	-	-	-	-	-	-	-	49
49	अपारम्परिक ऊर्जा संसाधन	03	-	-	-	-	-	-	-	-	03
50	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64
51	सार्वजनिक उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	05	-	-	-	-	-	-	-	-	05
53	अंतरिक्ष	05	-	-	-	-	-	-	-	-	05
54	भूतल परिवहन	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
55	वैज्ञानिक एवं उद्योग अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर)	-	-	03	-	-	-	-	-	-	03
56	योजना आयोग	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
57	श्रम	-	-	-	03	-	-	-	-	-	03
	योग	790	33	05	75	-	2,181	293	58	128	3,563

राज्य सरकारों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियाँ

क्रम सं.	राज्य का नाम	सिविल	वाणिज्यिक	राजस्व	स्थानीय निकाय	जोड़
1	आन्ध्र प्रदेश	108	47	152	-	307
2	अरुणाचल प्रदेश	40	07	-	-	47
3	असम	म.ले. कार्यालय में ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुआ।	171	26	-	197
4	बिहार	3,201	एटीएन नहीं प्राप्त हुए	1,916	-	5,117
5	छत्तीसगढ़	108	07	20	-	135
6	दिल्ली	-	07	39	-	46
7	गोवा	16	02	-	-	18
8	गुजरात	40	17	प्रतीक्षित	-	57
9	हरियाणा	80	11	56	-	147
10	हिमाचल प्रदेश	47	29	32	-	108
11	जम्मू एवं कश्मीर	523	105	-	-	628
12	झारखंड	-	04	37	-	41
13	कर्नाटक	132	19	181	108	440
14	केरल	83	17	66	उ न	166
15	मध्य प्रदेश	74	919	592	-	1,585
16	महाराष्ट्र	1,184	23	77	-	1,284
17	मणिपुर	14	94	-	-	108
18	मिजोरम	36	24	-	-	60
19	मेघालय	231	62	-	-	293
20	नागालैंड	09	-	-	-	09
21	ओड़िसा	825	129	103	-	1,057
22	पुडुचेरी	30	-	-	-	30
23	पंजाब	-	ए.टी.एन. प्राप्त नहीं किया जाता है	41	-	41
24	राजस्थान	10	27	26	-	63
25	सिक्किम	म.ले. सिक्किम के माध्यम से ए.टी.एन. नहीं किया गया।	म.ले. सिक्किम के माध्यम से ए.टी.एन. नहीं किया गया।	-	-	-
26	त्रिपुरा	49	02	-	-	51
27	तमिलनाडु	194	90	1,015	54	1,353
28	उत्तर प्रदेश	ए.टी.एन. प्राप्त नहीं किया जाता है	ए.टी.एन. प्राप्त नहीं किया जाता है	60	-	60
29	उत्तराखंड	-	-	-	-	-
30	पश्चिम बंगाल	53	उ न	46	-	99
	कुल योग	7,087	1,813	4,485	162	13,547

शब्दावली

ले.एंव हक.	लेखा एवं हकदारी
अपर उप नि. म. ले. प.	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
म ले	महालेखाकार, कार्यालयों के प्रमुख, प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार, प्रधान निदेशक एवं महानिदेशक भी सन्दर्भित
एसोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के एशियाई संगठन-एक अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र निकाय जिसका लक्ष्य लोक लेखापरीक्षण के क्षेत्र में एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाओं के बीच विचारों एवं अनुभवों को बढ़ावा का लक्ष्य है। वर्तमान सदस्य संख्या 43 है।
ए टी एन	की गई कार्रवाई टिप्पणी
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार संसद/विधानमंडल को प्रस्तुत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन
लेखापरीक्षण मानक	लेखापरीक्षक हेतु न्यूनतम दिशानिर्देश मुहैया करना जो लेखापरीक्षा उपायों एवं कार्यविधियों की सीमा के अवधारण में सहायता करते हैं और जो लेखापरीक्षा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लागू होने चाहिए।
बी पी एल	गरीबी रेखा के नीचे
नि. म. ले. प.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी बी डी टी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
कोपू	संसद/राज्य विधानमंडल के सार्वजनिक उपक्रम की समिति-सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है
उप नि. म. ले. प.	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
म नि	महानिदेशक
डी पी सी	कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें
उप म ले	उप-महालेखाकार
ई डी पी	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग
ई आर पी	उद्यम संसाधन आयोजना
गसब	सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकारी बोर्ड- सरकारी लेखाकरण मानक बनाने के लिए स्थापित
सा भ नि	सामान्य भविष्य निधि
भा ले एवं ले प वि	भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
भा ले एवं ले प से	भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा
आई सी ए आई	इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया
आई सी आई एस ए	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा केन्द्र - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान जो विभागीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है।

आई डी एफ

सांस्थानिक विकास निधि

इन्टोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन-एक अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र निकाय जिसका लक्ष्य लोक लेखापरीक्षण के क्षेत्र में सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के बीच विचारों एवं अनुभवों के विनिमय का प्रोत्साहन करना है। इन्टोसाई का वर्तमान सदस्य 185 है।

आई आर

निरीक्षण रिपोर्ट - स्थानीय लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षण

सू प्रौ

सूचना प्रौद्योगिकी

एम एस ओ

स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका

एन ए ए ए

- लेखापरीक्षा के सामान्य सिद्धान्तों एवं कार्यविधियों के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेश राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी-आई ए ए एस अधिकाशियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण, आंतरिक प्रशिक्षण, अनुसंधान, सेमीनारों इत्यादि हेतु जिम्मेदार

एन सी ए ई आर

नेशनल काउन्सिल फार एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च

लो ले स

संसद एवं राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं की जाँच-पड़ताल करती है

प्र म ले

प्रधान महालेखाकार

प्र नि

प्रधान निदेशक

निष्पादन लेखापरीक्षा

मितव्ययी, दक्षता, एवं प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा जिससे सत्त्व अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने में संसाधनों का उपयोग करता है

सा क्षे उ

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

आर बी आई

भारतीय रिजर्व बैंक

नियमितता लेखापरीक्षा

जवाबदेही सत्त्वों का वित्तीय जवाबदेही का सत्यापन जिसमें वित्तीय अभिलेखों की जाँच पड़ताल एवं मूल्यांकन है और वित्तीय विवरणों पर राय, वित्तीय प्रणालियों एवं लेन देनों की लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा शामिल है।

क्षे प्र के

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र - जो सामान्य स्वल्प के पाठ्यक्रमों की स्थानीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

क्षे प्र स

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जहाँ आई ए ए डी के समूह ख और ग संवर्गों के कार्मिक को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

साई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था - एक देश का लोक निकाय जिसने विधि के अन्तर्गत उस राज्य के सर्वोच्च लोक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया को नामित, गठित अथवा संगठित किया

एस टी एम

स्ट्रक्चरड ट्रेनिंग मोडूल

यू एन

राष्ट्र संघ

सं रा क्षे

संघ राज्य क्षेत्र

